भण्डारण भारती

अंक–62

राजभाषा विशेषांक

राजभाषा नियम

वार्षिक कार्यक्रम

राजभाषा नीति

राजभाषा अधिनियम, 1963

केन्द्रीय भण्डारण निगम

कोशिश करने वालों की ...

– हरिवंश राय 'बच्चन'

लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
नन्हीं चींटी जब दाना लेकर चलती है,
चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है।
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है,
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है।
आख़िर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है,
जा–जा कर खाली हाथ लौटकर आता है।
मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में,
बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में।
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो,
क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो।
जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम,
संघर्ष का मैदान छोड़ कर मत भागो तुम।
कुछ किये बिना ही जय जय कार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।

जुलाई–सितम्बर, 2016

मुख्य संरक्षक
हरप्रीत सिंह
प्रबन्ध निदेशक

संरक्षक
जे.एस. कौशल
निदेशक (कार्मिक)

परामर्शदाता
अनिल कुमार शर्मा
महाप्रबंधक (कार्मिक)

मुख्य संपादक
नम्रता बजाज
प्रबंधक (राजभाषा)

संपादक
महिमानन्द भट्ट
वरिष्ठ सहायक प्रबंधक (राजभाषा)

उप संपादक
रजनी सूद, रेखा दुबे

सहायक संपादक
प्रकाश चंद्र मैठाणी
एस.पी. तिवारी

संपादन सहयोग
नीलम खुराना, शशि बाला,
विजयपाल सिंह

केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
4/1, श्री इंस्टीच्यूशनल एरिया,
हौज खास, अगस्त क्रान्ति मार्ग,
नई दिल्ली–110016

यह पत्रिका निगम की वेबसाइट
www.cewacor.nic.in
पर भी उपलब्ध है

मुद्रक : **श्री गणेश एसोसिएट्स**
सी 83/11, मोहनपुरी, मौजपुर
दिल्ली–110053

भण्डारण भारती
राजभाषा विशेषांक

त्रैमासिक पत्रिका **अंक–62**

	विषय	पृष्ठ संख्या
➲	संदेश	3–9
➲	प्रबंध निदेशक की कलम से ...	10
➲	निदेशक (कार्मिक) की ओर से	11
➲	संपादकीय	12
आलेख		
➡	कार्यालयीन हिंदी का अपेक्षित स्वरूप– डॉ. विचार दास सुमन	13
➡	भाषाई एकता–अंग्रेजी का वर्चस्व कैसे समाप्त हो–हरभजन सिंह	16
➡	रेलवे यानों का विसंक्रमण–रवि तिवारी	18
➡	भण्डारण एक व्यवस्था एवं चुनौतियां–सच्चिदानंद राय	21
➡	विश्व हिंदी सम्मेलनों से विश्व मंच पर हिंदी ..... –महिमानंद भट्ट	22
➡	कम्प्यूटर और गूगल वॉइस टाइपिंग–नम्रता बजाज	25
➡	हमारी हिंदी–मीनाक्षी गंभीर	27
➡	भारतीय कृषक–रजनी सूद	30
➡	देश का आईना है, हिंदी–विजयपाल सिंह	32
➡	राजभाषा हिंदी के बढ़ते कदम–राकेश सिंह परस्ते	36
➡	जन–जन की भाषा हिंदी–एस.पी. तिवारी	38
➡	कार्यालय कार्य में सहज शब्द संग्रह–डॉ. हरीश कुमार सेठी	42
➡	सम्मान की हकदारिणी हमारी राजभाषा–रेखा दुबे	46
➡	कृषक महिला सशक्तिकरण–अभिलाषा कुलश्रेष्ठ	49
➡	राजभाषा हिंदी एक परिचय–देवराज सिंह देव	51
➡	संस्कृति एवं भावात्मक एकता की प्रतीक–हिंदी–डॉ. रमेशचंद्र शर्मा	53
➡	अनुवाद में विश्लेषण का महत्त्व–डॉ. सत्येन्द्र सिंह	55
➡	राष्ट्रीय विकास में हिंदी का योगदान–रणधीर सिंह	61
➡	हमारी राजभाषा हिंदी–शशि बाला	75
कविताएं		
▶	अजन्मी बेटी के मूकप्रश्न– प्रो. बलवंत रंगीला	15
▶	तलाश–सागरिका दत्ता	17
▶	हिंदी हमें बचाएगी–गुलाम हुसैन सनटोनवाला शेख	26
▶	गर मीत मेरे बन जाओ तुम–रविशंकर श्रीवास्तव	31
▶	चिड़िया उड़ गई–कृष्ण कुमार	33
▶	याद– दिनेश कुमार	35
▶	आओ सब मिलकर–राधेश्याम तिवारी	39
▶	क्या नारी तेरी यही कहानी–रजनी साव	45
▶	ये वो बंद मुट्ठी है–विनीत निगम	48
▶	नारी सशक्तिकरण–एस.के. दुबे	67
▶	बचपन–जितेन्द्र कुमार सिंगला	67
कहानी		
☛	कुछ तो लोग कहेंगे–रुचि यादव	34
साहित्यिकी		
✪	प्रायश्चित–भगवती चरण वर्मा	58
स्वास्थ्य		
✱	मधुमेह (डायबटीज)–प्रकाश चंद्र मैठाणी	64
✱	जीवन जीने की कला : योग–आर.पी. जोशी	68
विविध		
☑	सकारात्मकता का महत्त्व–हरि मोहन	24
☑	गुरू बिना गति नाहीं–नीलम खुराना	29
☑	फौलादी इरादों वाले राजनेता लालबहादुर शास्त्री–डॉ. मीना राजपूत	70
☑	राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के जीवन के प्रेरक प्रसंग	74
अन्य गतिविधियां		
➢	निगमित कार्यालय में आयोजित हिंदी दिवस समारोह	40
➢	सचित्र गतिविधियां	77
➢	खेल समाचार–राजीव विनायक	80

संपादक मंडल का लेखकों के विचारों से सहमत होना अनिवार्य नहीं।

केन्द्रीय भण्डारण निगम

लक्ष्य, दूरदर्शिता एवं उद्देश्य

लक्ष्य

सामाजिक दायित्वपूर्ण एवं पर्यावरण–अनुकूल ढंग से विश्वसनीय, किफायती, मूल्य संवर्द्धक तथा एकीकृत भंडारण एवं लॉजिस्टिक्स समाधान सुलभ कराना।

दूरदर्शिता

हितधारी की संतुष्टि पर बल देते हुए भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था के सम्बल के रूप में एकीकृत भंडारण अवसंरचना एवं अन्य लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करने वाले बाजार के एक अग्रणीय संसाधक के रूप में खड़ा होना।

उद्देश्य

- वैज्ञानिक भंडारण एवं संबंधित अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए कृषि, उद्योग, व्यापार व अन्य क्षेत्रों की परिवर्तनशील आवश्यकताओं की पूर्ती करना।
- भंडारण, हैण्डलिंग एवं वितरण के दौरान होने वाली हानियों को कम करना।
- पर्यावरण अनुकूल विधियां प्रयोग करते हुए पैस्ट नियंत्रण सेवाओं के क्षेत्र में प्रभुख भूमिका निभाना।
- बैकिंग संस्थाओं एवं गैर बैकिंग वित्तीय कंपनियों के माध्यम से भंडारित वस्तुओं के लिए ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में भंडारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 2007 के क्रियान्वयन में सहयोग करना।
- पोर्ट हैण्डलिंग, प्रापण एवं वितरण, कोल्ड चेन, भण्डारण वित्तपोषण, 3 पी.एल., परामर्शी सेवाएं, मल्टी मॉडल परिवहन आदि के क्षेत्रों में फारवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन द्वारा लॉजिस्टिक्स वैल्यू चेन की योजना बनाना और उसमें विविधता लाना।
- भण्डारण और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में वैश्विक उपस्थिति दर्ज करना।
- ग्राहक संतुष्टि हेतु कर्मचारियों की प्रतिबद्धता, अभिप्रेरणा और उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाना व क्रियान्वित करना।

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री कार्यालय
नई दिल्ली

संदेश

प्रधान मंत्री जी को यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई है कि केन्द्रीय भंडारण निगम की त्रैमासिक पत्रिका 'भंडारण भारती' के राजभाषा विशेषांक का प्रकाशन हो रहा है।

इस अवसर पर त्रैमासिक पत्रिका 'भंडारण भारती' के राजभाषा विशेषांक की सफलता हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ।

(चंद्रेश सोना)
उप सचिव

सत्यमेव जयते

सुषमा स्वराज
विदेश मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली

संदेश

यह प्रसन्नता का विषय है कि केन्द्रीय भंडारण निगम राजभाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने अंशधारियों की वार्षिक साधारण बैठक के अवसर पर ''भंडारण भारती–राजभाषा विशेषांक'' का प्रकाशन कर रहा है।

देश के किसानों को वैज्ञानिक भंडारण की तकनीकों में प्रशिक्षित करने के साथ–साथ राजभाषा हिंदी के उत्थान हेतु पत्रिका का प्रकाशन किया जाना प्रशंसनीय है।

पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

सुषमा स्वराज

(सुषमा स्वराज)

सत्यमेव जयते

राम विलास पासवान
उपभोक्ता मामले,
खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि केन्द्रीय भंडारण निगम अपने अंशधारियों की वार्षिक साधारण बैठक के अवसर पर 'भंडारण भारती–राजभाषा विशेषांक' का प्रकाशन कर रहा है।

किसी राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य के लिए खाद्यान्नों का रखरखाव तथा वैज्ञानिक भंडारण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है क्योंकि यह कृषि, व्यापार और उद्योगों के विकास से जुड़ी होती है। निगम लम्बे समय से भंडारण एजेंसी के रूप में जमाकर्ताओं के विभिन्न वर्गों के लिए वैज्ञानिक भंडारण की व्यवस्था उपलब्ध कराने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

अपनी विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों के साथ–साथ राजभाषा की समृद्धि के लिए इस पत्रिका का प्रकाशन करना निगम के लिए गौरव की बात है। मैं आशा करता हूँ कि यह विशेषांक सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने तथा राजभाषा को कार्यान्वित करने की दिशा में विशेष भूमिका अदा करेगा।

पत्रिका अपने प्रकाशन के उद्देश्य में सफल हो, मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

(राम विलास पासवान)

सत्यमेव जयते

वृन्दा सरुप
सचिव
भारत सरकार
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
उपभोक्ता मामले, खाद्य और
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
नई दिल्ली

संदेश

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि केन्द्रीय भंडारण निगम अपने अंशधारियों की वार्षिक साधारण बैठक के अवसर पर 'भंडारण भारती–राजभाषा विशेषांक' का प्रकाशन कर रहा है।

निगम गत कई वर्षों से खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भंडारण और किसानों के हित में काम कर रहा है। इस उद्देश्य से वैज्ञानिक भंडारण की जानकारी हिंदी भाषा में उपलब्ध कराना आज की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि पत्रिका में प्रकाशित सामग्री से निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राजभाषा के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होने के साथ–साथ उनकी लेखन प्रतिभा भी उजागर होगी।

निगम का यह प्रयास सराहनीय है। मैं इस पत्रिका के सफल एवं उद्देश्यपूर्ण प्रकाशन के लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूँ।

वृन्दा सरुप

(**वृन्दा सरुप**)

सत्यमेव जयते

अनूप कुमार श्रीवास्तव
सचिव
भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
नई दिल्ली

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा ''भंडारण भारती का राजभाषा विशेषांक'' का प्रकाशन किया जा रहा है।

अभिव्यक्ति के सभी साधनों में भाषा ही सर्वाधिक सजीव, सुचारु एवं सशक्त माध्यम है इसलिए भाषा का सरल एवं स्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। हिंदी में ये सभी गुण समाहित हैं। इसी कारण हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है।

राजभाषा के प्रचार–प्रसार में केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा ''भंडारण भारती का राजभाषा विशेषांक'' प्रकाशित करना एक सफल प्रयास है।

मैं संपादक मंडल को बधाई देता हूँ तथा आशा करता हूँ कि आने वाले अंक बेहद रुचिपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक होंगे।

शुभकामनाओं सहित,

अनूप कुमार श्रीवास्तव

(अनूप कुमार श्रीवास्तव)

गिरीश चन्द्र चतुर्वेदी
अध्यक्ष
भाण्डागारण विकास और
विनियामक प्राधिकरण
भारत सरकार
नई दिल्ली

संदेश

'भंडारण भारती – राजभाषा विशेषांक' के माध्यम से मैं केन्द्रीय भंडारण निगम के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को राजभाषा विशेषांक प्रकाशित करने की शुभकामनाएँ देता हूँ।

आपके निगम द्वारा राजभाषा के क्षेत्र में की गई प्रगति वास्तव में प्रशंसनीय है। निगम की वैबसाइट को राजभाषा टैब के साथ जोड़ना एक उपलब्धि है। निगम व्यापारिक गतिविधियों के साथ–साथ देश में कृषक समुदाय को वैज्ञानिक भंडारण तकनीकों को राजभाषा में शिक्षित–प्रशिक्षित करने सहित दैनिक कार्यों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की दिशा में भी निरंतर प्रयत्नशील है। निगम अपनी कार्यप्रणाली में राजभाषा के प्रयोग द्वारा ही कृषि संबंधी भंडारण की जानकारी अधिक से अधिक कृषकों तक पहुँचा पायेगा।

मुझे आशा है कि इस पत्रिका के माध्यम से पाठकों को ज्ञानवर्धक, सुरुचिपूर्ण एवं मनोरंजक लेख पढ़ने के लिए प्राप्त होंगे और यह राजभाषा विशेषांक हिंदी के प्रचार–प्रसार में एक अनुकरणीय कदम सिद्ध होगा।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

(**गिरीश चन्द्र चतुर्वेदी**)

के.यू. थंकाचन
प्रबंध निदेशक
सैन्ट्रल रेलसाइल वेअरहाउस
कम्पनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
नई दिल्ली

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा सितम्बर, 2016 में अपनी त्रैमासिक गृह पत्रिका 'भंडारण भारती' का **'राजभाषा विशेषांक'** प्रकाशित किया जा रहा है।

मेरी राय में इस प्रकार के प्रकाशन से जहाँ निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों और अन्य सृजनशील व्यक्तियों को मूल रूप में हिंदी में लिखने का अवसर प्राप्त होता है वहीं दूसरी ओर राजभाषा के रूप में हिंदी का सामर्थ्य बढ़ता है तथा वैज्ञानिक भंडारण तकनीकों की जानकारी जनसामान्य तक पहुंचाने में सहायता मिलती है। अतः मुझे विश्वास है कि इस दृष्टि से आपका यह कदम हिंदी को यथोचित स्थान पर स्थापित करने सहित राजभाषा के प्रति नए उत्साह का संचार करेगा। यह भी हर्ष का विषय है कि एक सेवा संगठन के रूप में केन्द्रीय भंडारण निगम अपने मूल्यवान ग्राहकों को वैज्ञानिक भंडारण एवं उत्कृष्ट लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करने सहित अपनी समस्त गतिविधियों एवं संव्यवहारों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है।

मैं 'राजभाषा विशेषांक' के सफल एवं उद्देश्यपरक प्रकाशन के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ संप्रेषित करता हूँ।

(के.यू. थंकाचन)

प्रबंध निदेशक की कलम से ...

निगम की राजभाषा गतिविधियों को आगे बढ़ाने की दिशा में **'भण्डारण भारती'** पत्रिका के **राजभाषा विशेषांक** का प्रकाशन एक सार्थक प्रयास है। इस पत्रिका का उद्देश्य भंडारण, राजभाषा तथा इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों की जानकारी जनसामान्य तक पहुँचाना है और अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए उनकी रचनात्मक प्रतिभा को विकसित करना है इसलिए इस पत्रिका से अधिक से अधिक कर्मचारियों को जुड़कर अपना सहयोग देना चाहिए।

निगम अपने लक्ष्य और उद्देश्यों के अनुरूप खाद्यान्नों का वैज्ञानिक भण्डारण व अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए पैस्ट नियंत्रण के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इसके अतिरिक्त, यह ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप कुशल एवं पारदर्शी पद्धतियों द्वारा वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक के क्षेत्र में बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। वैज्ञानिक भंडारण तकनीक अपनाते हुए भंडारण हानियों को कम करने, गुणवत्ता सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यकतानुसार आधारभूत ढांचे में सुधार करने, समुचित प्रशिक्षण द्वारा कर्मचारियों की कार्य–कुशलता बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। निगम ने अपने लक्ष्य निर्धारित करते हुए वर्ष 2016–17 के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

यह प्रसन्नता की बात है कि निगम को इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मानव संसाधन प्रबंधन उत्कृष्टता के लिए मिनी रत्न श्रेणी में **पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार,** 2015 का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। सरकार की अपेक्षाओं के अनुकूल आगे बढ़ते हुए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा प्रति वर्ष राजभाषा में श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए निगम को पुरस्कृत किया जाता है। इसके अलावा, यह भी खुशी की बात है कि राजभाषा अनुभाग द्वारा इस पत्रिका का समय पर प्रकाशन किया जा रहा है और यह अपने उद्देश्यों में निरंतर सफल हो रही है जिसके कारण गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी इस पत्रिका को नराकास (उपक्रम), दिल्ली द्वारा श्रेष्ठ गृह पत्रिका के **द्वितीय पुरस्कार** से भी सम्मानित किया गया है। निगम पत्रिका प्रकाशन के अलावा भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु वचनबद्ध है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी के सहयोग एवं प्रयासों से हमारी यह परिपाटी आगे भी कायम रहेगी।

यह हर्ष का विषय है कि राजभाषा के कार्यान्वयन में विस्तार लाने के उद्देश्य से निगम की वेबसाइट पर **राजभाषा टैब** इंस्टॉल किया गया है जिसके माध्यम से राजभाषा संबंधी जानकारी निगम के प्रत्येक कर्मचारी को तत्काल उपलब्ध हो सकेगी। राजभाषा अनुभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में हिन्दी पखवाड़े के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों सहित विभागों को राजभाषा शील्ड प्रदान करना, प्रतियोगिताएं तथा कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों से राजभाषा के प्रति रुचि और कार्य को गति मिलती है। इस संबंध में मेरा सभी से यह भी आग्रह है कि हिन्दी में काम बढ़ाने के लिए इसे अत्यंत सरल और सहज बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए आम प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि हिन्दी लिखने और समझने में और भी आसानी हो सके।

भण्डारण भारती के **राजभाषा विशेषांक** में विभिन्न जानकारियों का समावेश किया गया है, जिसके कारण यह पत्रिका हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। निगम के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपनी पूरी निष्ठा एवं समर्पण भाव से सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का कार्य बढ़ाने के लिए सभी भरसक प्रयत्न करने चाहिए जिससे निगम वैज्ञानिक भंडारण तथा राजभाषा के क्षेत्र में निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो सके।

(हरप्रीत सिंह)
प्रबंध निदेशक

निदेशक (कार्मिक) की ओर से .....

राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने एवं लेखन के प्रति अभिरुचि पैदा करने के उद्देश्य से भंडारण भारती पत्रिका का ''राजभाषा विशेषांक'' प्रकाशित किया जाना सभी के लिए गौरव की बात है। निगम की विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यकलापों को जनसाधारण तक पहुँचाने में इस पत्रिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की सभी भाषाएँ हमारी अपनी भाषाएँ हैं किन्तु हिंदी ने अनेक भाषा–भाषियों को आपस में जोड़ने का काम किया है। इस भाषा की विशेषज्ञता को देखते हुए इसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है । इस दृष्टिकोण से सभी का दायित्व है कि इसकी समृद्धि के लिए सभी अपेक्षित प्रयास किए जाएं । आज हिंदी का निरंतर विस्तार हो रहा है और इसने सूचना प्रौद्योगिकी जैसे अनेक क्षेत्रों में भी अपने को स्थापित कर विशेष स्थान प्राप्त किया है ।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पत्रिका के लिए श्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त करने सहित हमारा निगम सरकार की अपेक्षाओं के अनुकूल राजभाषा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रहा है । निगम ने विभिन्न कार्यक्रमों, बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि का आयोजन कर प्रेरणादायक वातावरण तैयार कर एक शानदार पहल की है। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों से काम करने की इच्छा शक्ति प्रबल होती है।

राजभाषा का कार्य उच्चतम शिखर पर पहुँचने के लिए सभी को सदैव जागरूक रहने की आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया जा सके। इस विशेषांक में राजभाषा की विभिन्न जानकारी का समावेश करते हुए अन्य लेखों को भी प्रकाशित किया गया है । मुझे विश्वास है कि इसमें प्रकाशित सभी सामग्री ज्ञानवर्धक, रूचिकर और प्रेरणादायक सिद्ध होगी।

मैं इस विशेषांक के सफल प्रकाशन की कामना करते हुए इसके प्रकाशन में अपना योगदान देने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि यह पत्रिका निगम में राजभाषा को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाने में पूर्ण रूप से सफल होगी ।

(जे.एस. कौशल)
निदेशक (कार्मिक)

संपादकीय

भण्डारण भारती का राजभाषा विशेषांक (अंक–62) आपके समक्ष प्रस्तुत है। राजभाषा हिंदी से संबंधित विभिन्न जानकारियों को इस पत्रिका के माध्यम से पाठकों तक पहुँचाना हमारा उद्देश्य है।

किसी भी भाषा का विकास उसके साहित्य पर निर्भर करता है। साहित्य समृद्ध होगा तो भाषा भी निश्चित रूप से समृद्ध होगी। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में उच्च कोटि के साहित्य का सृजन हुआ है। निगम की गतिविधियों सहित विभिन्न राजभाषा कार्यकलापों एवं अन्य विषयों के लेखों से इस पत्रिका को सुसज्जित करने का हमने अथक प्रयास किया है।

पत्रिका का यह अंक राजभाषा विशेषांक है इसलिए इसमें राजभाषा, कम्प्यूटर, अनुवाद एवं अन्य संगत विषयों को प्राथमिकता के आधार पर प्रकाशित किया गया है। इसके अतिरिक्त, निगम के मुख्य व्यवसाय भण्डारण एवं उससे संबंधित सारगर्भित विषयों को भी इसमें समुचित स्थान दिया गया है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इस पत्रिका को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली द्वारा वर्ष 2015–16 का द्वितीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया है, जो निगम के लिए एक उपलब्धि है।

आशा है हर अंक की भांति पत्रिका का यह अंक भी आपको पसंद आएगा। इस पत्रिका में विभिन्न विषयों को शामिल कर इसे रोचक, पठनीय एवं विषयपरक बनाने के लिए पाठकों के सुझावों की हमें प्रतीक्षा रहेगी, ताकि भविष्य में अपेक्षित सुधार कर इसे और भी रोचक, पठनीय एवं ज्ञानवर्धक बनाया जा सके।

(नम्रता बजाज)
प्रबंधक (राजभाषा)

कार्यालयीन हिन्दी का अपेक्षित स्वरूप

डॉ. विचार दास 'सुमन' ★

संविधान के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी संघ की राजभाषा है और उसके अनुपालन के लिए संविधान में कई व्यवस्थाएं की गई और इसी व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 351 के अनुसार 'हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करके उसका विकास किया जाए जिससे कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बने। साथ ही उसका आत्मीयता में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी और आठवीं सूची में लिखित अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और शब्दावली को आत्मसात करते हुए आवश्यकतानुसार हिन्दी के शब्द भण्डार को बढ़ाने के लिए मुख्यतः संस्कृत से तथा गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिन्दी की समृद्धि को सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा।'

सरकारी पत्र–व्यवहार और टिप्पणी लेखन की भाषा सामान्य बोलचाल की भाषा से थोड़ी भिन्न होती है, फिर भी इस भाषा को यथासंभव जनसामान्य की भाषा के समीप ही रखा जाना चाहिए। कार्यालयीन हिन्दी का संपूर्ण स्वरूप सरकारी कामकाज की कार्य प्रणाली और उसके पीछे निहित सिद्धांतों द्वारा निर्धारित होता है।

कार्यालयीन भाषा की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं–

1. **सरल एवं स्पष्ट भाषा:** प्रायः यह समझा जाता है कि हिन्दी भाषा में टिप्पणी एवं प्रारूप लिखना कठिन है लेकिन कोई भी भाषा सरल या कठिन नहीं होती, भाषा की जानकारी न होना ही भाषा को कठिन बनाता है क्योंकि भाषा एक नदी की भांति होती है। उसकी धारा में जो आता है वह उसी का हो जाता है। अतः दैनिक कार्यों के माध्यम से जितनी अधिक हिन्दी भाषा और उसके शब्दों से परिचय होगा वह उतनी ही सहज व सरल लगेगी। प्रारंभ में 'प्रदूषण' शब्द बहुत ही कठिन व अटपटा लगता था किन्तु अब प्रदूषण शब्द बहुत ही सहज व सरल लगता है। कार्यालय में प्रयुक्त हिन्दी इतनी सरल होनी चाहिए कि दूसरे अधिकारी व कर्मचारी आसानी से समझ सकें। कार्यालयीन हिन्दी में द्विअर्थी और अटपटे शब्दों से बचना चाहिए। यही वजह है कि कभी–कभी प्रबुद्ध लोग जब फाइल पर अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने लगते हैं तो भाषा विस्तार के साथ–साथ मामले की तह तक पहुंचने में और मामले पर शीघ्र कार्रवाई करने में काफी विलंब हो जाता है। उदाहरण के लिए 'इसे मंजूरी दे सकते तो ठीक होगा' के स्थान पर 'इसे मंजूरी दी जा सकती हैं' का प्रयोग किया जाना चाहिए।

2. **संक्षिप्तता:** सरकारी कामकाज की भाषा संक्षिप्त होनी चाहिए। संक्षिप्तता के साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि टिप्पणी व प्रारूप में वे तथ्य छूट न जाएं जिनका उल्लेख करना आवश्यक है। विचार स्पष्ट करने के लिए विस्तार अधिक हो सकता है परंतु अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। जैसे– 'आपका लम्बा, विस्तृत भरा पत्र मिला' के स्थान पर 'आपका दिनांक..... का पत्र सं..... मिला' का प्रयोग किया जाना चाहिए। अतः भाषा निश्चित एवं संक्षिप्त होनी चाहिए।

3. **अर्थ की स्पष्टता:** कार्यालयीन भाषा का मुख्य कार्य विचारों को बिना किसी लाग–लपेट के संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाना होता है। इस रूप में अच्छी भाषा उसी को माना जाएगा जिसका केवल वही अर्थ निकले जो लिखने वाला संप्रेषित करना चाहता है। द्वि–अर्थी या अनेकार्थी होना साहित्यिक भाषा का गुण माना जाता है। कामकाजी हिन्दी में यह एक अवगुण होता है।

4. **दूसरी भाषाओं के प्रचलित शब्दों का प्रयोग:** प्रत्येक जीवंत भाषा में यह क्षमता होती है कि वह दूसरी भाषा के शब्दों को अपने में समाहित करते हुए अपनी भाषा में समृद्धि करे। इसी के अनुरूप मुगलों के शासनकाल

★ पूर्व निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली

में अरबी, फारसी के तथा अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजी भाषा के हजारों शब्द हिन्दी भाषा में समाहित हो गए। भारत सरकार की नीति है कि अंग्रेजी के शब्दों के प्रयोग में किसी भी प्रकार की हिचक नहीं होनी चाहिए। अंग्रेजी के अनेक शब्द जैसे रजिस्टर, टाइपिस्ट, टिकट, टोकन आदि का बहिष्कार किसी भी दृष्टि से हिन्दी की समृद्धि के लिए हितकर नहीं माना जा सकता है।

5. **वाक्य विन्यास:** कामकाजी हिन्दी में आवश्यकतानुसार दूसरी भाषाओं के शब्दों को अपनाया जा सकता है। लेकिन पद–रचना तथा वाक्य–रचना हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल ही होनी चाहिए। यद्यपि किसी भी जीवंत भाषा पर दूसरी भाषा का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है किन्तु यह प्रभाव उस भाषा के मूल स्वरूप को विकृत न करे, यह ध्यान रखना आवश्यक है। इस दृष्टि से 'बैंक' शब्द का बहुवचन 'बैंकों' होना चाहिए, न कि अंग्रेजी के बहुवचन रूप 'बैंक्स' को ही यथावत लिया जाए। इसी क्रम में चेक का बहुवचन चेकों होगा न कि चैक्स।

   वाक्य स्तर पर वाक्य–रचना हिन्दी की प्रकृति के अनुकूल हो। उदाहरण के लिए 'पेड़ से गिरने वाला लड़का आज मर गया' वाक्य अंग्रेजी रूपांतर The boy, who fell from the tree, died today के प्रभाव के कारण वह 'लड़का, जो पेड़ से गिरा था मर गया' के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो हिन्दी भाषा की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। इस प्रकार दूसरी भाषा के प्रभाव से बचना चाहिए। हमें अंग्रेजी में सोचकर या लिखकर उसका अनुवाद करने की अपेक्षा मूल लेखन ही हिन्दी में करना चाहिए तभी भाषा की स्वाभाविकता बनी रह सकती है।

6. **शब्दों की मितव्ययिता:** कर्मचारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना कामकाज यथाशीघ्र निपटाकर कार्यालयीन प्रक्रिया को गति प्रदान करें। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि कम से कम शब्दों में अपनी बात कही जाए। इसी प्रकार मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए 'चर्चा करें, निरस्त, स्वीकृत, अनुमोदित, जारी करें' आदि का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार पत्राचार में भी आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग न केवल श्रम को बल्कि भाषिक सौंदर्य को नष्ट भी करता है साथ ही अर्थ का अनर्थ होने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। उदाहरण के लिए– 'भयंकर सूखा पड़ने से और वर्षा न होने से फसल खराब हो गई' के स्थान पर 'भयंकर सूखे से फसल खराब हो गई' का प्रयोग किया जाना चाहिए।

7. **एकरूपता:** राजभाषा आयोग एवं संसदीय राजभाषा समिति ने भाषा की एकरूपता पर विशेष बल दिया। उनका मत था कि जब तक भाषा में एकरूपता नहीं होगी, तब तक वह कठिन रहेगी तथा देश को एक सूत्र में भी बांधा नहीं जा सकेगा।

   इन निर्देशों के अनुपालन के अभाव में एक ही शब्द के लिए भिन्न–भिन्न राज्यों में अलग–अलग पर्याय प्रयोग में आ रहे हैं जैसे– Category के पर्याय के रूप में श्रेणी, कोटि (केन्द्र) प्रकार (म.प्र.), प्रवर्ग (बिहार) तथा मद, निकाय (राजस्थान) प्रयोग हो रहा है। इन सबके निवारण के लिए ही सरकार द्वारा शब्दावली निर्माण आयोग द्वारा अनुमोदित शब्दावली के प्रयोग का आग्रह किया गया है।

8. **सुसंस्कृत/सभ्य भाषा का प्रयोग:** कार्यालयीन भाषा सुसंस्कृत, सभ्य एवं शिष्ट होनी चाहिए। पहले किसी के निर्णय यदि गलत साबित हुए हों तो यह न कहा जाए कि 'वह इतना मूर्ख था कि इतना भी उसकी समझ में नहीं आया' के स्थान पर 'उस समय इन बातों पर विचार नहीं किया गया' लिखा जाना चाहिए।

   कार्यालयीन हिन्दी में कर्म वाच्य का प्रयोग अधिक किया जाता है। इसका कारण उसमें व्यक्ति निरपेक्षता एवं सत्यनिष्ठा होती है। हर भाषा की अपनी शैली, अभिव्यक्ति की पद्धति होती है। अतः अनुवाद की अपेक्षा चिंतन कार्य करने वाली भाषा का प्रयोग किया जाए, ताकि भाषा में स्वभाविकता बनी रहे।

   कार्यालयीन भाषा में कर्म वाच्य, व्यक्ति निरपेक्ष वाक्य रचना की प्रधानता रहती है क्योंकि इसमें व्यक्ति

की अपेक्षा पदनाम प्रमुख होता है। यहां अधिकारी अपने ऊपर दायित्व नहीं लेना चाहता। सभी कार्य आदेश, अनुमोदन, सहमति, स्वीकृति व अनुदेश के आधार पर किए जाते हैं। इसलिए इसमें आदेशात्मक, सुझावात्मक, कथनात्मक वाक्यों का प्रयोग किया जाता है।

आदेशात्मक वाक्य: जिनमें कर्ता वाक्य संरचना में निहित है।

1. मिसिल पर प्रस्तुत करें।
2. चर्चा के अनुसार मसौदा पुनः प्रस्तुत करें।
3. मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करें।

व्यक्ति निरपेक्ष एवं कर्म वाच्य प्रधान आदेशात्मक वाक्य

1. मिसिल पर प्रस्तुत किया जाए।
2. चर्चा के अनुसार मसौदा पुनः प्रस्तुत किया जाए।
3. मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

इसी के अंतर्गत:

1. मिसिल के लौटने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
2. मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दी जाती है।

कर्ता का लोप:

1. सूचित किया जाता है कि.....
2. शिकायत मिली है कि.....
3. ऐसा पाया गया है कि.....

उक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि कार्यालयीन हिन्दी की वाक्य संरचना सामान्य हिन्दी की वाक्य संरचना के अंदर रहकर भी चयन के सिद्धांत पर आधारित है। कार्यालयीन हिन्दी में कर्म वाच्य की प्रधानता है, जो इसकी प्रकृति के अनुसार स्वाभाविक ही है।

"अजन्मी बेटी के मूक प्रश्न"

प्रो. बलवंत रंगीला ✶

माँ से .....
माँ, तू तो दुनिया में मोहमाया की तस्वीर है
पर शायद तेरे वश में नहीं मेरी तकदीर है
हाँ तू तो खुद भी पुरुष के अत्याचार की शिकार है
तुझे अपना व मेरा भला सोचने का भी नहीं अधिकार है

बाप से .....
पापा, तुम तो जी–जान से संतान के रखवाले हो
बेटों से अधिक बेटी पर मर–मिटने वाले हो
तो फिर मुझे ही क्यों संसार में आने से रोकते हो
बेवजह अपने को तथाकथित नरक में झोंकते हो
क्या मैं बेटों से बढ़कर माँ–बाप की वफादार नहीं हूं
भाइयों के समान आपकी मुहब्बत की हकदार नहीं हूं
एक बाप ही तो बेटी का सबसे बड़ा रक्षक होता है
हाय! क्या कहीं कोई बाप, बेटी का भक्षक भी होता है?

डॉक्टर से (हत्यारे) .....
डॉक्टर तू तो मानव के प्राण बचाने का
कार्य करता है
फिर लालच में अंधा हो, मेरे प्राण क्यों हरता है
यदि तू महिला डॉक्टर माँ है,
तो तुझे मां कहलाने का नहीं अधिकार
अंत तक तेरा पीछा करेगा इस बेबस अजन्मी बेटी का
हाहाकार।

✶ कवि, जी–97, सरिता विहार, नई दिल्ली

अनमोल वचन

- ✶ ***दुनिया का सारा सौन्दर्य एक स्वस्थ शरीर में है।***
- ✶ ***धीरज के सामने भयंकर संकट भी धुएं के बादलों की तरह उड़ जाते हैं।***

भाषाई एकता– अंग्रेजी का वर्चस्व कैसे समाप्त हो

हरभजन सिंह ★

भारत एक बहुभाषी देश है, जहां अनेक भाषाएं और बोलियां बोलने वाले लोग रहते हैं। हमारे संविधान में भी भाषाओं की इस विविधता को स्वीकार करते हुए इसकी 8वीं अनुसूची में पहले 14 प्रमुख भाषाओं को सम्मिलित किया गया था, किन्तु इनकी संख्या बढ़कर अब 22 हो गई है। इन भाषाओं की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इनमें विविधता के बावजूद आश्चर्यजनक एकता विद्यमान है। हमारी सभी भाषाओं के साहित्य की आत्मा एक है।

यदि हम भारत की विभिन्न भाषाओं में रचित साहित्य पर एक दृष्टि डालें तो देखेंगे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक के प्रायः सभी कवियों और लेखकों ने अपनी रचनाओं में समसामयिक विचारधारा से चाहे, वह धार्मिक हो अथवा सामाजिक या राजनीतिक हो, अभिभूत होकर समान चिंतन की अभिव्यक्ति की है, भले ही उनकी भाषाएं भिन्न–भिन्न क्यों न रही हों। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना के अनुरूप ही भारत की विभिन्न भाषाओं में इन महाकाव्यों के उदाहरण मिलते हैं। भक्ति पंरपरा को ही लीजिए। वह भी दक्षिण से उत्तर में आई और पश्चिम से पूर्व तक सारे भारत में फैल गई। वल्लभाचार्य और रामानंद के संदेश को जहां कबीर, सूर, तुलसी और रविदास ने अपनाया तो असमिया भाषा में शंकर देव, बंग्ला में चैतन्य महाप्रभु मराठी में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ तथा तुकाराम आदि संत–कवियों ने गाया। गुजराती में भी नरसी मेहता तथा दयाराम आदि संत भी जनता को यही संदेश देते दिखाई पड़ते हैं।

जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन आरंभ हुआ तो भारत की सभी भाषाओं में नवजागरण और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध आंदोलन के समान स्वर सुनाई पड़ते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी भाषाओं में मूल रूप से भावात्मक एकता सदा से विद्यमान रही है।

स्वतन्त्रता प्राप्त हुए, या यूं कहिए कि अंग्रेजों को गये हुए 66 वर्ष बीत गए परन्तु उनकी भाषा "अंग्रेजी" नहीं गई। इसी कारण आजादी से लेकर आज तक हिन्दी भारत में चिंता का विषय बनी हुई है और यह प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि जब भारत में अंग्रेजी भाषा किसी की मातृभाषा नहीं है, लोकभाषा नहीं है, राज्य भाषा नहीं है, पड़ोसी देश की भाषा नहीं है, फिर भारत में इस भाषा का वर्चस्व क्यों रहे? पढ़ने–सीखने के बाद भी सिर्फ 5 प्रतिशत से भी कम लोग अंग्रेजी भाषा को अच्छी तरह बोल व लिख पाते हैं। 66 सालों बाद भी 60 प्रतिशत जनता–जनार्दन अंग्रेजी भाषा बिल्कुल नहीं समझती। अंग्रेजी भाषा जीवन के हर क्षेत्र में पतन का कारण बन चुकी है। फिर भी भारतीय बाजार, आधुनिक मीडिया, शिक्षा संस्थान अंग्रेजी के कब्जे में है जिससे आजकल युवा वर्ग प्रभावित है।

आज के युवाओं की सोच ही ऐसी हो गई है कि वे मात्र अंग्रेजी में ही उज्ज्वल भविष्य बना सकते हैं। उनकी दृष्टि में अंग्रेजी बोलने–जानने वाला ही ज्ञानी होता है जब कि केवल हिन्दी का ज्ञान रखने वाला मूर्ख होता है। यथार्थ तो यह है कि भाषा तो मात्र ज्ञान का माध्यम भर होती है, कोई भी भाषा अपने आप में नॉलेज नहीं होती है इसलिए नोलेज/ज्ञान चाहे वह अंग्रेजी में व्यक्त किया जाए या हिन्दी में, उच्च कैरियर में सहायक होता है।

यह मानकर चलना कि अंग्रेजी माध्यम को अपनाने भर से कैरियर ब्राइट हो जाएगा, युवाओं की बहुत बड़ी भूल है। वास्तव में, कैरियर का ब्राइट बनना तो इंटेलीजैंसी व थौरो नॉलेज पर निर्भर करता है। इस समय तो हिंदी का प्रचलन तकनीकी शिक्षा में भी होने लगा हैं। इंजीनियरिंग की थीसिस भी हिन्दी में प्रस्तुत करने की सुविधा है। कम्प्यूटर, प्रिंट मीडिया व इलैक्ट्रॉनिक में भी हिन्दी वालों को काफी अवसर उपलब्ध हैं। प्री–मैडिकल व प्री–इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं भी हिन्दी माध्यम में आयोजित हो रही हैं। अतः युवाओं को यह दृष्टिकोण त्यागना ही होगा कि हिन्दी माध्यम वालों का भविष्य अंधकारमय होकर रह जाता है। वास्तव में हमें आज अंग्रेजी परस्त नजरिया बदलने

★ वरिष्ठ सहायक प्रबंधक(सामान्य) निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

की जरूरत है। युवाओं को अधिकाधिक नॉलेज पाने का उद्देश्य लेकर चलना चाहिए। केवल अंग्रेजी के पीछे भागना अविवेक का परिचय ही माना जाएगा।

युवाओं को एक बात और समझनी होगी और वह यह है कि अच्छा नागरिक एवं सफल अधिकारी बनने व अपने कार्यक्षेत्र में प्रभावशाली ढंग से कर्तव्य निर्वहन हेतु यह अत्यंत आवश्यक होता है कि व्यक्ति अपने देश की संस्कृति/इतिहास/परंपराओं/मान्यताओं को भली–भांति न केवल समझे, बल्कि इन सबका गहराई से ज्ञान प्राप्त करे और यह केवल देसी भाषा के माध्यम से ही संभव है। अंग्रेजी की हिमायत वही वर्ग करता आ रहा है, जो संविधान में केवल दस वर्ष तक के लिए अभयदान पाई अंग्रेजी को किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं है और आज हर किसी पर इसका बोझ लाद दिया गया है। काश यहाँ भी कोई कमाल पाशा पैदा हुआ होता जिसने तुर्की देश की कमान संभालते ही अपने सलाहकारों से पूछा था कि तुर्की भाषा को चलाने में कितना समय लगेगा। सलाहकारों ने जब उत्तर दिया– 10 वर्ष, तभी कमाल पाशा के कथन ने कमाल कर दिखाया। उसने कहा था कि आज से समझो कि दस वर्ष खत्म हुए और उसी दिन से वहां तुर्की भाषा चल पड़ी थी।

आज हमें अपने देश में अपनी भाषा के उत्थान के लिए सभी प्रयास करने होंगे, तभी हम अपनी भाषा और अपने संस्कार में, अपना स्वाभिमान और अपने हित सोच पायेंगे। हम देश के व्यापक हित के लिए एक समानता का भाव रख पायेंगे। हम जब तक अंग्रेजी के वर्चस्व को नहीं तोड़ेंगे, शिक्षा न सर्वसुलभ होगी और न सस्ती होगी।

हमें अंग्रेजी का वर्चस्व तोड़ना ही होगा। अंग्रेजी की हिमायत करने वाला वर्ग यदि चाहे तो अपनी संकल्पशीलता से एक ही दिन में इस वर्चस्व को तोड़ सकता है।

तलाश .....

सागरिका दत्ता *

ए जिंदगी तुझे किसकी तलाश है???
आशा, आकांक्षा, सुख, शांति,
निराशा, हताशा, दुख या भ्रांति .....

खुशी की तलाश में भटक रही
या खुद के दिल को सहला रही
कि अपने तकदीर के लिखे पर रो रही
चाहा क्या है, इससे अंजान मैं रही
आशाओं की थैली लिए, भिखारन बन घूम रही।

आंसुओं पर किसका नाम है, गर खबर होती
इस सफ़र में तलाश कब की खत्म होती
चाहा जिसको खुद से भी ज्यादा
जख्म पर न लगाया मरहम, बल्कि जख्म को उसी ने कुरेदा।

ख़ता किससे हुई, करती सवाल बार–बार
ढूंढने जवाब निकल पड़ी, जाने कब से मेरे यार
छिल जाते पैर, सूखते होंठ
पड़ जाते रस्तों पर खून के छाप
न खत्म हुई फिर भी ये तलाश .....

अब आसरा सिर्फ तेरा है
शायद कहीं, किसी राह पर तो सुकुन मिले
ए खुदा इतनी सी दुआ कुबूल कर
ख़त्म हो तलाश, आँखें मूंदने से पहले।

* हिंदी अनुवादक, क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी

रेलवे यानों का विसंक्रमण

रवि तिवारी ✶

भारतीय रेलवे द्वारा रेल यात्रा को सुविधाजनक एवम् सुरक्षित बनाने हेतु अनेक प्रयास किये जाते हैं। इसी क्रम में रेलवे यानों (COACHES) को तिलचट्टों, खटमल, मच्छर, चूहा आदि पीड़क जंतु जो रेल यात्रा को असुविधाजनक बनाते हैं, को नियंत्रित करने हेतु पीड़क जंतु नियंत्रण (PEST CONTROL WORK) करने का कार्य, विभिन्न विशेषज्ञ पीड़क जंतु नियंत्रक अभिकरणों (PEST CONTROL AGENCIES) द्वारा कराया जाता है। अभिकरणों का चुनाव रेलवे मण्डल स्तर पर खुली निविदा द्वारा किया जाता है। वर्तमान में केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा लखनऊ, नई दिल्ली, मुम्बई, पुरी आदि रेलवे मंडलों के रेलवे कोचों में पीड़क जंतु नियंत्रण का कार्य कराया जा रहा है।

रेलवे यानों में सामान्य रूप से दो प्रकार के पीड़क जंतु नियंत्रण का कार्य कराया जा रहा है :

(क) कीट नियंत्रण कार्य (PEST CONTROL WORK)

(ख) कृन्तक नियंत्रण कार्य (RODENT CONTROL WORK)

रेलवे यानों में कीट नियंत्रण कार्य की न्यूनतम अनुशंसित आवृति

क्रं. सं.	यानों का प्रकार	न्यूनतम अनुशंसित आवृति
1	वातानुकूलित रेलवे यान	पाक्षिक
2	गैर–वातानुकूलित रेलवे यान (आरक्षित)	प्रथम तीन माह में पाक्षिक तत्पश्चात मासिक
3	गैर–वातानुकूलित रेलवे यान (गैर–आरक्षित)	द्वैमासिक
4	भोजनयान	पाक्षिक

रेलवे बोर्डों द्वारा अनुशांसित प्रमुख कीटनाशकों की सूची

(1) प्रोपोक्सर (PROPOXURE 20%EC)

(2) डेल्टामेथ्रिन (DELTAMETHRIN 2-5% WP)

(3) सायफ्लूथ्रिन (CYFLUTHRIN 5% EW)

(4) सायफेनोथ्रिन–एस (CYPHENOTHRIN&S 5% EC)

(5) साईपरमेथ्रिन (CYPERMETHRIN 10%WP)

(6) बीटा–साईफ्लोथ्रिन (BETA&CYFLUTHRIN 2-45% SC)

(7) धूम्र उत्पादक कैन (SMOKE GENERATOR CAN)

रेलवे यानों में कृन्तक नियंत्रण कार्य की न्यूनतम अनुशंसित आवृति

क्रं. सं.	यानों का प्रकार	न्यूनतम अनुशंसित आवृति
1	वातानुकूलित रेलवे यान	प्रत्येक प्राथमिक रखरखाव के समय
2	भोजनयान	प्रत्येक प्राथमिक रखरखाव के समय
4	गैर–वातानुकूलित रेलवे यान (आरक्षित)	साप्ताहिक

रेलवे बोर्डों द्वारा अनुशंसित प्रमुख कृन्तक–रोधियों (RODENTICIDES) की सूची

(1) ब्रोमाडिआलोन (BROMADIOLONE 0-005% RB)

(2) ग्लू बोर्ड (GLUE BOARD)

(3) जिंक फास्फाइड (ZINC PHOSPHIDE)

(4) एलुमुनियम फास्फाइड (ALUMINIUM PHOSPHIDE)

रेलवे कोचों में कृन्तक नियंत्रण हेतु, प्रतिष्ठत निर्माताओं

✶ कनिष्ठ तकनीकी सहायक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ

द्वारा निर्मित भोज्य आधारित आकर्षक चिपकाने वाले बोर्डों (FOOD BASED ATRACTIVE GLUE BOARDS) का प्रयोग करना चाहिये।

रेलवे यानों में कृन्तकरोधी कार्य हेतु अनुशंसित ग्लू बोर्डों की संख्या

क्रं. सं.	यानों का प्रकार	रखे जाने वाले अनुशंसित ग्लू बोर्डों की संख्या
1	वातानुकूलित रेलवे यान (प्रथम श्रेणी)	प्रत्येक केबिन, कूपे, परिचालक कक्ष, तथा विद्युत नियंत्रक पैनल में एक–एक
2	वातानुकूलित रेलवे यान	4 यात्री कूपे में तथा एक विद्युत नियंत्रक पैनल में
3	भोजनयान	6
4	गैर–वातानुकूलित रेलवे यान (आरक्षित)	4

इसके अतिरिक्त 2 ग्लू बोर्ड प्रत्येक वातानुकूलित एवम् भोजनयान कोचों के विद्युत नियंत्रक पैनल में सम्पूर्ण यात्रा के समय लगा होना चाहिए तथा 2 ग्लू बोर्ड ओ०बी०एच०एस० परिचर को उपलब्ध कराना चाहिए जिससे यात्रा के समय किसी प्रकार की शिकायत का निराकरण तत्काल किया जा सके अथवा आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग किया जा सके।

ग्लू बोर्ड प्रयोग करने का तरीका

(1) परंपरागत विधि

(2) उन्नत विधि

परंपरागत विधि : इस विधि में ग्लू बोर्डों को कोच के अन्दर निर्धारित स्थान पर प्राथमिक रखरखाव के समय लगा दिया जाता है तथा यान के प्रस्थान होने के लिए तैयार होते समय निकाल दिया जाता है।

परंपरागत विधि की कमियां : परंपरागत विधि पूर्ण रूप से सफल नहीं है क्योंकि प्राथमिक रखरखाव के समय कृन्तक कोनों में छिप जाते हैं, तत्पश्चात् मुख्यतया रात्रि के समय बाहर आकर यान में मुक्त रूप से विचरण करते हैं।

उन्नत विधि : इस विधि में ग्लू बोर्डों को प्राथमिक रखरखाव के पश्चात् हटाया नहीं जाता बल्कि सम्पूर्ण यात्रा के समय लगा रहने दिया जाता है। यात्रियों के सामान एवम् पैर आदि ग्लू बोर्ड से न चिपके इसके लिए बर्थ को 9''×6'' फीट के आयताकार तार की जाली से बंद कर दिया जाता है।

ग्लू बोर्डों के प्रयोग में सावधानियां : ग्लू बोर्डों का प्रयोग करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिये :

(1) प्राथमिक रखरखाव के समय के उपरांत ग्लू बोर्ड हटा देना चाहिए अथवा ग्लू बोर्डों को आयताकार तार की जाली मे बंद करके रखना चाहिए जिससे किसी यात्री के सामान या पैर आदि से ग्लू बोर्ड न चिपके।

(2) ग्लू बोर्ड में चिपके हुये जीवित/मृत कृन्तकों को हटा देना चाहिए।

(3) प्रयोग के लिए अनुपयुक्त होने पर ग्लू बोर्डों को बदल देना चाहिए।

(4) ग्लू बोर्डों के अतिरिक्त चूहे पकड़ने वाले अन्य उपकरण यथा चूहेदानी आदि का प्रयोग करना चाहिए।

(5) ग्लू बोर्डों का प्रयोग करते समय विधिक मापदंडों यथा वन्यजीव अधिनियम व अन्य स्थानीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिये।

विशेषज्ञ पीड़क जंतु नियंत्रक अभिकरणों हेतु सामान्य शर्तें

(1) पीड़क जंतु नियंत्रक अभिकरण केवल वही कीटनाशक रेलवे यानों को विसंक्रमित करने हेतु उपयोग कर सकता है जिसे कीटनाशक अधिनियम, 1968 (पुनः संशोधित 1971) के अंतर्गत केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड एवम् पंजीकरण समिति (CENTRAL INSECTICIDE BOARD & REGISTRATION COMMITTEE) फरीदाबाद घरेलू उपयोग हेतु अनुशंसित करता है।

(2) पीड़क जंतु नियंत्रक अभिकरणों को प्रत्येक चार महीने में प्रयोग किये गए कीटनाशक को बदल देना

चाहिये जिससे कीट किसी विशेष कीटनाशक के प्रति प्रतिरक्षा विकसित न कर सके।

(3) पीड़क जंतु नियंत्रक अभिकरणों को कीटनाशक अधिनियम, 1968 (पुनः संशोधित 1971) का अक्षरशः पालन करना चाहिए तथा इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्रशासन एवम् रेलवे बोर्ड के किसी नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिये।

(4) पीड़क जंतु नियंत्रक अभिकरण को संबंधित राज्य सरकार के कृषि मंत्रालय के पादप सरंक्षा अधिकारी से कीटनाशकों के व्यावसायिक प्रयोग हेतु आवश्यक अनुज्ञापत्र (LICENSE) प्राप्त करना चाहिए।

(5) पीड़क जंतु नियंत्रक अभिकरण को कीटनाशक की अनुशंसित विलयित मात्रा का ही प्रयोग करना चाहिये तथा विलयन बनाने की विधि एवम् मात्रा में अपने हिसाब से कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिये।

(6) पीड़क जंतु नियंत्रक अभिकरण को केवल वही कार्मिक पीड़क जंतु नियंत्रण कार्य के पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त करना चाहिये जो इस कार्य के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र धारण करते हैं।

(7) परा–संक्रमण (CROSS & INFESTATION) को रोकने हेतु अधिकतम संभव यानों को एक साथ उपचारित कराना चाहिये।

(8) उपचार की तिथि एवम् उपचार हेतु नियत अगली तिथि का उल्लेख यथोचित स्टीकर (STICKER) के माध्यम से यानों के अन्दर, दरवाजे के पास/प्रसाधन क्षेत्र में करना चाहिये।

(9) यार्डों में खड़े हुए अतिरिक्त यानों को भी अनुशंसित आवृति के अनुसार उपचारित कराना चाहिये।

(10) पीड़क जंतु नियंत्रक अभिकरण को रेलवे यानों को कीटमुक्त करने की सभी संभव विधियों का प्रयोग करना चाहिये, चाहे उनका उल्लेख रेलवे द्वारा निविदा प्रपत्र में किया गया हो अथवा नहीं।

(11) कीटनाशकों को कार्य करने हेतु अधिकतम समय मिल सके इसलिए कीटनियंत्रण का कार्य यानों के यार्ड में पहुंचते ही आरम्भ कर देना चाहिये।

(12) भोजनयान कीटनियंत्रण की दृष्टि से सर्वाधिक संवेदनशील होते है अतः रेलवे के अधिकारियों से अनुरोध करके, पीड़क जंतु नियंत्रक अभिकरण को भोजनयान को महीने में एक बार अलग करने का प्रयास करना चाहिये जिससे भोजनयान का गहन उपचार हो सके।

(13) पीड़क जंतु नियंत्रक अभिकरण को यात्रियों के सुझाव एवम् शिकायतें आमंत्रित करनी चाहिये। इसके लिए वेबसाइट, टोल फ्री नंबर आदि का उल्लेख स्टीकर के माध्यम से रेलवे कोचों में करना चाहिये।

हिंदी के विकास की अन्य विशेषताएँ

- **पत्रकारिता का आरम्भ भारत के उन क्षेत्रों से हुआ जो हिंदी–भाषी नहीं थे/हैं (कोलकाता, लाहौर आदि)।**
- **हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का आन्दोलन अहिंदी भाषियों (गाँधी, सरस्वती आदि) ने आरम्भ किया।**
- **हिंदी के विकास में राजाश्रय का कोई स्थान नहीं है; इसके विपरीत, हिंदी का सबसे तेज विकास उस दौर में हुआ जब हिंदी अंग्रेजी–शासन का मुखर विरोध कर रही थी। जब–जब हिंदी पर दबाव पड़ा, वह अधिक शक्तिशाली होकर उभरी है।**
- **हिंदी के विकास में पहले साधु–संत एवं धार्मिक नेताओं का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा। उसके बाद हिंदी पत्रकारिता एवं स्वतंत्रता संग्राम से बहुत मदद मिली; फिर बम्बइया फिल्मों से सहायता मिली और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टीवी) के कारण हिंदी समझने–बोलने वालों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है।**

भण्डारण एक व्यवस्था एवं चुनौतियां

सच्चिदानन्द राय ✶

2 मार्च, 1957 को भारत सरकार ने एक साहसिक एवं देश के हित में कदम उठाया जिसका नतीजा हुआ केंद्रीय भण्डारण निगम का उदय। लक्ष्य था देश की जनता को भरपेट खाने के अनाजों का पर्याप्त भण्डारण तथा बचा तो निर्यात कर किसानों की माली स्थिति को सुधारना। कहा जाता है, ''एक दाना अन्न का बचाना एक दाना उगाना है।'' देश स्वतंत्र होने के बाद बड़े भयावह सूखे के प्रकोप से गुजर रहा था। अन्न की उपज उतनी नहीं थी जितनी कि खपत थी। विदेशों से गेहूं/दलहन आयात करना पड़ता था। इन विकट परिस्थितियों में अपने देश को गुजरना पड़ा था। औद्योगिक विकास अपने प्रथम चरण में था। हमारे निगम का श्रीगणेश उस समय सात वेअरहाउसों से हुआ था।

आज निगम भण्डारण के क्षेत्र में अपनी बुलन्दियों पर पहुँचा है। यह सिर्फ अन्न भण्डारण में ही नहीं बल्कि औद्योगिक वस्तुओं के भंडारण से लेकर एयर कार्गो तथा कस्टम्स के कार्गो के संरक्षण में भी आगे निकल चुका है। निगम अपने 7 वेअरहाउस से आगे बढ़कर अब वर्ष 2015–16 में कुल 34 आई.सी.डी./सी.एफ.एस. सहित 400 से ज्यादा वेअरहाउसों का संचालन कर रहा है।

उच्च कोटि के भंडारण उपकरणों का प्रयोग कर अपने लगभग सभी वेअरहाउसों में हानि का प्रतिशत नहीं के बराबर या भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक स्तर तक रखा है। कुछ अपवादों को छोड़ निगम अपने कार्य क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। हमारा निगम एक सेवा उपलब्ध कराने का उपक्रम है। हमारे उत्पाद हमारी उत्तम सेवा है जो अपने ग्राहकों के अनुरूप रही है। निगम की सेवाओं की समाज के विकास में भी उल्लेखनीय भूमिका रही है।

समाज एवं किसानों की सेवा काफी प्रचलित हो चुकी है। हमारा निगम किसानों द्वारा भंडारित अनाजों पर वेअरहाउस चार्ज में छूट देता है। यह सुविधा दूर–दराज के वेअरहाउसों से किसानों तक आराम से पहुँच जाती है। किसानों का सुरक्षित अन्न हमारे देश की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति का कारण बनता है। इस प्रकार देश के विकास में हमारा योगदान दोहरा होता है। पहले अन्न बचाकर तथा दूसरा किसानों को भण्डारण में छूट देकर।

अभी हाल ही में भारत सरकार ने पी.ई.जी. गोदामों का निर्माण कराया है, इसमें किसानों की प्रत्यक्ष भागीदारी हो रही है। किसान अपनी जमीन पर वेअरहाउस का निर्माण कर सरकार से गारंटेड बिजनेस प्राप्त कर सकता है। गोदामों के निर्माण में भी सरकार वित्तीय सहयोग करती है तथा 20 से 30 साल तक का गारंटेड बिजनेस भी देती है।

यह ग्रामीण स्तर पर सरकार द्वारा भंडारण में प्रत्यक्ष किसानों की भागीदारी का उज्ज्वल उदाहरण है। देश की प्रगति किसानों की उन्नति पर ही निर्भर करेगी क्योंकि अभी भी भारत की 60% से 70 % जनता गांवों में ही निवास करती है। इनकी जीविका का साधन भी खेती ही है। कृषि उत्पादों की सुरक्षा एवं उचित मूल्य भण्डारण पर ही निर्भर करता है और इसमें निगम ने काफी सहयोग किया है।

अब आपका निगम आर्थिक तौर पर भी काफी मजबूत हो रहा है। निगम के कार्य क्षेत्रों में भी काफी परिवर्तन हो गया है। पहले सिर्फ अन्न भण्डारण होता था। आयात/निर्यात/सीमा शुल्क के सहयोग से बांडेड वेअरहाउसिंग के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। अब माहौल प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है जिसमें हमें अपने पारंपरिक कार्यों के साथ–साथ नयी चुनौतियों को भी स्वीकारना पड़ेगा। हमारी स्पर्धा में खड़े अति–आधुनिक वेअरहाउसों एवं उनकी दरों में हमसे कम चार्ज लगाना एक स्वस्थ एवं सामाजिक जरूरत पर खरा उतरने की चुनौतीपूर्ण स्थिति है।

हमारे निगम ने हमेशा से ही सामाजिक क्षेत्र के विकास के साथ अपना विकास किया है। आगे इसी उम्मीद के साथ हम सभी कर्मचारी एवं अधिकारीगण मिलकर अपने निगम के उत्थान में भरपूर सहयोग देते रहेंगे।

हमारे निगम का सिर्फ यही कहना है।
भण्डारण प्रत्येक के लिए करना है।।
हम आपकी सेवा में अपने आप को भुला देते हैं।
बदले में किफायती दर ही आपसे लेते हैं।।
भंडारित वस्तुओं की गुणवत्ता का रखते हैं ध्यान।
वही उपयोग करते हैं जो परखता है विज्ञान।।
हमारी सारी नीतियाँ सरकारी होती हैं।
देश पहले फिर दुकानदारी होती है।।

✶ प्रबंधक, आई.सी.डी. अम्बड, नासिक

विश्व हिंदी सम्मेलनों से विश्व मंच पर हिंदी की बढ़ती प्रतिष्ठा

महिमानंद भट्ट ★

हिंदी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की भाषा है। यह हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा रही है। इस भाषा का शृंगार राष्ट्र के सभी भागों के लोगों ने किया है। हिंदी 14 सितंबर, 1949 से भारत संघ की राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा बनी। आज यह विश्व भाषा बन रही है क्योंकि इसे विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा का सम्मान मिल रहा है। विश्व हिंदी सम्मेलनों ने हिंदी का गौरव और अधिक बढ़ाया है जिससे यह विश्वभर में प्रतिष्ठित होती जा रही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों में भी हिंदी बोलने वाले लाखों लोग हैं।

विश्व में हिंदी का विकास करने तथा इसके प्रति जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और इसे प्रचारित–प्रसारित करने हेतु विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई। संपूर्ण विश्व में हिदी भाषा के बढ़ते प्रसार की वजह से 1975 में नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, जिसमें हिंदी को विश्व भाषा बनाने का प्रयास हुआ। आज हिंदी विश्व के अनेक देशों में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। मॉरीशस, फीजी, त्रिनिदाद, सुरीनाम, गयाना जैसे देशों में हिंदी खूब प्रचलित है। एक अनुमान के अनुसार दुनियाभर में फैले चार करोड़ भारतीय भी हिंदी बोलते हैं। इसके अलावा, दुनिया के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। वैश्वीकरण, उदारीकरण, व्यावसायीकरण, बाजारीकरण के दौर में हिंदी का प्रचार–प्रसार बढ़ा है। यहां तक कि विदेशी कम्पनियों ने भी हिंदी के महत्व को समझा है।

भारत जैसे बहुभाषी और बहुसंस्कृति के देश में हिंदी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। हिंदी का ज्ञान राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन देता है। चिरकाल से यह भाषा निरंतर विकास करती हुई विश्व पटल पर छा रही है। मॉरीशस में सन् 1926 में 'हिंदी प्रचारिणी सभा' की स्थापना 'तिलक विद्यालय' के रूप में हुई। इसके बाद विश्व हिंदी सम्मेलनों ने हिंदी को विश्व भाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें विश्व भर के हिंदी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार और हिंदी प्रेमी शामिल होते हैं।

विश्व हिंदी सम्मेलनों का उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रति जागरुकता पैदा करना, समय–समय पर हिंदी के विकास का आंकलन करना, विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग/प्रचार–प्रसार को बढ़ावा देना और हिंदी के प्रति प्रवासी भारतीयों के रिश्तों को गहराई/मान्यता प्रदान करना। अब तक दस विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। पहला सम्मेलन नागपुर में 10 से 14 जनवरी, 1975 को, दूसरा–पोर्टलुई, मॉरीशस में 28 से 30 अगस्त, 1976 को, तीसरा–दिल्ली में 28 से 30 अक्तूबर, 1983 को, चौथा–मॉरीशस में 02 से 04 दिसम्बर, 1993 को, पांचवा–त्रिनिदाद और टोबेगो में 04 से 08 अप्रैल, 1996 को, छठा–लंदन में 24 से 23 सितंबर, 1999 को, सातवां–सूरीनाम में 05 से 09 जून, 2003 को, आठवां–न्यूयार्क में 13 से 15 जुलाई, 2007 को, नवां–जोहांसबर्ग में 22 से 24 सितंबर, 2012 को, दसवाँ–भोपाल में 10 से 12 सितम्बर, 2015 में आयोजित किया गया। इस प्रकार इन सम्मेलनों से हिंदी विश्व मंच पर आई। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा का योगदान भी इसमें महत्वपूर्ण है।

हिंदी को विश्व भाषा के मंच पर मान्यता के लिए ''महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय'' की स्थापना की गई है तथा फरवरी, 2008 में मॉरीशस में 'विश्व हिंदी सचिवालय' की स्थापना भी की गई, यहां से विश्व हिंदी पत्रिका भी प्रकाशित होती है। इसके अलावा, विदेशों

★ वरिष्ठ सहायक प्रबंधक (रा.भा.) निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं का हिंदी को विश्व भाषा बनाने में योगदान है। ये पत्रिकाएं हैं – ''भारत दर्शन'' न्यूजीलैंड से प्रकाशित, ''सरस्वती'' कनाड़ा से तथा ''अन्यथा'' अमेरिका से प्रकाशित होती हैं। विश्व हिंदी न्यास समिति द्वारा 'कलायन' कर्मभूमि त्रैमासिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित की जाती हैं। 'प्रवासी टुडे' तथा 'पुरवाई' भी विदेशों से प्रकाशित होती हैं। अमेरिका का 'टेक्सास' प्रांत हिंदी लोकप्रियता में सबसे आगे है। विदेशी माध्यमों द्वारा हिंदी में समाचारों के प्रसारण ने भी हिंदी को विश्व भाषा बनाने में अग्रणी भूमिका अदा की है। बी.बी.सी. लंदन, वायस ऑफ अमेरिका, जर्मन रेडियो, विविध भारत (सीलोन) आदि से समाचारों का प्रसारण प्रमुख है।

संयुक्त अरब अमीरात में हिंदी कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली कई संस्थाएं हैं। 'प्रतिबिंब' नामक एक नाटक संस्था भी है। दुबई और शारजाह में लगभग हर व्यक्ति हिंदी बोलता और समझता है। दक्षिण अफ्रीका में बड़े पैमाने पर हिंदी भाषी लोग रहते हैं। यहां हिंदी के विकास का इतिहास बहुत पुराना है तथा भारतीय भाषाएं अधिकारिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती हैं।

विश्व भाषा के रूप में हिंदी विश्व में तीसरी भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, कम्बोडिया आदि देशों में सामाजिक, सांस्कृतिक, जनसंपर्क की प्रेरणा है। अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, जापान, चेकोस्लोवाकिया आदि देशों में विदेशी भाषा के रूप में हिंदी के अध्ययन–अध्यापन का काम हो रहा है। अकेले अमेरिका में 45 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी सामर्थ्यवान भाषा है, जिसकी जड़े मजबूत हैं इसलिए यह विश्व भर में किसी न किसी रूप में जीवित है।

हिंदी को विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में हिंदी साहित्यकारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें प्रवासी हिदी साहित्यकार फिजी के समला प्रसाद मिश्र, मॉरिशस के अभिमन्यु अनन्त, प्रो0 वासदेव विष्णु दयाल, सूरीनाम के ब्रजेन्द्र कुमार भगत, मुंशी रहमान खान आदि प्रमुख हैं। फिजी में हिंदी संवैधानिक संसदीय मान्यता प्राप्त भाषा है। चीन के प्रो0 चिन्हिन होने ने "रामचरितमानस" का हिंदी में अनुवाद किया है। टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रो0 पाथाओ दोई ने भी हिंदी के प्रचार–प्रसार के लिए सराहनीय परिश्रम किया है। चेक के प्रवासी साहित्यकार 'श्री ओदेलोन स्मेकल' का योगदान भी महत्वपूर्ण है।

आयरलैंड के डॉ. गियर्सन ने भी भारत आकर संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। उनका विचार था कि भारतवासियों के साथ आत्मीयता संबंध स्थापित करने के लिए उनकी भाषा और संस्कृति को जानना और समझना अति आवश्यक है। गियर्सन की सेवाएं हिंदी भाषा एवं साहित्य के लिए जहाँ भारत में दिशा–निर्देश थे, वहीं विश्व के मंच पर हिंदी को स्थापित करने में उनका योगदान ऐतिहासिक महत्व का है। केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा ने गियर्सन पुरस्कार की स्थापना कर गियर्सन को उनकी हिंदी सेवा के लिए जो विशेष सम्मान से नवाजा है वह वस्तुतः गर्व की बात है। गियर्सन की तरह ही सर एडविन ग्रीव्स थे जो अंग्रजों के धर्म जगत में हिंदी के सशक्त प्रवक्ता थे।

हिंदी राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, संचार माध्यम की भाषा के साथ विश्व भाषा बन गई है क्योंकि हिंदी सर्वाधिक सहज, सरल, सुबोध, बोधगम्य एवं प्रवाहमयी भाषा है तथा इसमें अन्य भाषा के शब्दों को ज्यों का त्यों आत्मसात करने की विलक्षण शक्ति है इसलिए इसमें उर्दू, फारसी, अरबी, संस्कृत, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के शब्द भी शामिल हैं। हिंदी का यही लचीलापन इसे विश्व भाषा में विकसित कर रहा है। अब हिंदी को संयुक्त राष्ट्रसंघ की अधिकारिक भाषा बनाए जाने के प्रयास जारी हैं। अभी चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश एवं अरबी संयुक्त राष्ट्रसंघ की अधिकारिक भाषाएं हैं। इसमें सातवीं भाषा के रूप में हिंदी को स्थान प्राप्त होने पर हिंदी विश्वभाषा पर प्रतिष्ठित हो जाएगी । हम सभी का कर्तव्य है कि राष्ट्रभाषा/राजभाषा को विश्वभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करवाने के लिए पुरजोर प्रयास जारी रखें। विश्व मंच पर हिंदी की गूंज के बारे में ठीक ही कहा गया है कि–

गूंजी हिंदी विश्व में, स्वप्न हुआ साकार।
राष्ट्रसंघ के संघ में, हिंदी की जय–जयकार।।

सकारात्मकता का महत्त्व

हरि मोहन ★

एक लोक कथा है। गर्मी और थकान से हारा एक मुसाफिर एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गया। संयोग से वह जिस पेड़ के नीचे बैठा, वह कल्पवृक्ष था। कथाओं में कल्पवृक्ष एक मिथक है। माना जाता है कि उसके नीचे बैठकर जो कल्पना की जाये वह फलीभूत होती है। वहाँ बैठकर उसने सोचा कि काश कहीं से खाने के लिए कुछ मिल जाता। अचानक उसके सामने भोजन अवतरित हो गया। उसने पानी के बारे में सोचा तो पानी उपस्थित हो गया। उसने पेट भरकर खाना खाया और पानी पिया। खा–पीकर वह सोचने लगा कहीं इस पेड़ पर कोई प्रेत तो नहीं रहता, जिसने यह चमत्कार किया। उसके मन में डर बैठ गया। वह सोचने लगा कि अगर प्रेत है तब तो वह मुझे खा जाएगा। उसने यह सोचा ही था कि पेड़ से कूदकर एक प्रेत उसे खा गया। हमारी लोक कथा हमें सन्देश देने के लिए बनाई गई हैं। यह कहानी सन्देश देती है कि मन में हम जैसे विचार लायेंगे उसका वैसा ही असर होगा। यदि हम सकारात्मक सोचेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया भी सकारात्मक ही होगी। यह स्वयं सिद्ध बात भी है। कयोंकि अकसर सकारात्मक रहने वाले लोगों को खुश और नकारात्मक सोच रखने वालों को अक्सर दुखी देखा जाता है। दरअसल, हमारा मन हमारी सोच से पूरी तरह प्रभावित हो जाता है। हमारी सोच जैसी भी होती है वह हमारे चेहरे पर, हमारे व्यवहार में, हमारे कार्यों में दिखने लगती है। यदि हमारे भीतर डर और आशंकाओं की आमद हो चुकी है तो वह हमारी आँखों के जरिये हमारे माथे की शिकन में, हमारी बातों में, हमारे कामों में दिखेगी। हम डर और आशंकाओं को पूरी तरह जीने लगेंगे और कभी भी खुश नहीं रह पायेंगे। हमेशा हम भयभीत और नकारात्मक बने रहेंगे। डर का प्रेत वाक़ई हमें धीरे–धीरे खा ही जायेगा। सिर्फ डर ही नहीं कोई भी नकारात्मक विचार यदि हम मन में बैठा लें तो वह हमें पूरी तरह नकारात्मक बना देता है। यह नकारात्मक छवि हमें लोगों से दूर कर देती है। वहीं सकारात्मक विचार हमें लोगों से जोड़ते हैं। दूसरों की मदद करने को प्रेरित करते हैं। हमें लोकप्रियता देते हैं और व्यक्तित्व में भी निखार लाते हैं। हमारी सोच का प्रभाव सिर्फ हम पर नहीं दूसरों पर भी पड़ता है। यदि नकारात्मक विचारों से हमारा मुख मलिन है, हमारे चेहरे पर गुस्सा या दुःख है तो दूसरों को भी हमारा यह रूप पसन्द नहीं आता। लोग हमसे दूर भागने लगते हैं। वहीं हम एक मुस्कराहट के साथ लोगों के बीच जाते हैं तो हमारा स्वागत गर्मजोशी से होता है और हमारी सकारात्मक सोच दूसरों को प्रभावित करती है। जितने भी लोकप्रिय लोग हैं उन्होंने सकारात्मक सोच से ही अपने चेहरे पर तेज पैदा किया है। दरअसल सकारात्मक सोच हमें लोगों से जोड़कर लोकहित के काम करने के लिए प्रेरित करती है। भारतीय दर्शन मानता है कि सभी कर्मों का कारण मन है। अच्छा या बुरा कोई भी काम करने से पहले हमें मन से स्वीकृति लेनी पड़ती है। अमृतबिन्दु उपनिषद में कहा गया है, **मन एवं मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः** अर्थात मन बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी। मन के परिष्कृत हो जाने से या उसमें सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाने से स्वतः ही दया, करुणा, उदारता, सेवा, परोपकार जैसे सद्गुणों का उदय हो जाता है। हमारा मन सकारात्मक विचारों के प्रवाह से ही परिष्कृत होता है। मन में बैठा हुआ डर हमें हमारी सोच या कल्पना के अनुसार ही फल देने लगता है। कई बार लोगों को भूत–प्रेत दिखाई देने लगते हैं जबकि वैज्ञानिक युग में उनका कोई अस्तित्व नहीं माना जाता। यह उसी सोच और कल्पना का प्रभाव है कि जो है ही नहीं उसे भी हम देखने लगते हैं। मनोविकारों से बचने के लिए हमें सृजनात्मक और सकारात्मक सोच अपनानी होगी। ऐसा करने से हमें सकारात्मक परिणाम प्रप्त होंगे। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है, जिसका मन वश में है राग–द्वेष से रहित है, वह स्थाई प्रसन्नता प्राप्त करता है, जो व्यक्ति मन को वश में कर लेता है उसी को कर्मयोगी कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन को मारने से इच्छायें नहीं मरती इसलिए मन को मारने की नहीं उसे साधने की जरूरत है। मन को साधने का अर्थ यही है कि वह नकारात्मकता से दूर हो, इसका यही उपाय है कि मन को सकारात्मक विचारों की खुराक दी जाये ताकि डर, आशंकायें और नकारात्मक विचारों का प्रवाह रुक जाये और हम सदैव प्रसन्न, सुखी और मानवता की सेवा करने वाले बने रहें।

★ वेअरहाउस प्रबन्धक, सेंट्रल वेअरहाउस, सहारनपुर–प्रथम

कम्प्यूटर और गूगल वॉइस टाइपिंग

नम्रता बजाज ✶

आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग महत्त्वपूर्ण है। कंप्यूटर की महत्ता को देखते हुए आज सभी के लिए इसकी जानकारी प्राप्त करना तथा इसका प्रयोग सीखना आवश्यक होता जा रहा है। इसके प्रशिक्षण की सुविधाएँ आज विद्यालयों, कॉलेजों तथा अनेक निजी संस्थानों में उपलब्ध है। हर छोटी से छोटी समस्या को सुलझाने के लिए भी कम्प्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। चाहे वो मोबाइल में रिचार्ज करवाना हो या फिर बिजली का बिल भरने का कार्य। कम्प्यूटर आज रोजमर्रा की उपयोगी वस्तुओं में से एक बन चुका है। इसका इस्तेमाल हर व्यवसाय में हो रहा है जैसे– परीक्षा, मौसम की भविष्यवाणी, शिक्षा, खरीदारी, ट्रैफिक नियंत्रण, उच्च स्तर की प्रोग्रामिंग, रेलवे टिकट बुकिंग, मेडिकल क्षेत्र, व्यापार आदि। इंटरनेट के साथ ये सूचना तकनीक का मुख्य आधार है और इसने साबित किया कि आज के समय में कुछ भी असंभव नहीं है। मनुष्य की कंप्यूटर तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ती जा रही है। कोई भी अपने जीवन की कल्पना बिना कंप्यूटर के नहीं कर सकता क्योंकि इसने हर जगह अपने पैर पसार लिये हैं।

हिन्दी भाषा के विकास में गति लाने के लिए भी कम्प्यूटर के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। भारत सरकार ने अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों में यूनिकोड फोन्ट का प्रयोग करने के निर्देश जारी किए और यूनिकोड एनकोडिंग को मान्यता दी। यूनिकोड एनकोडिंग को सक्रिय करते ही कंप्यूटर किसी भी भाषा में काम करने के लिए सक्षम हो जाता है। इससे फाइलों के लेन–देन में समस्या नहीं होती है। केवल हिन्दी टाइपिंग जानने वाले ही नहीं अपितु अंग्रेजी की टाइपिंग जानने वाले व्यक्तियों के लिए भी हिन्दी टाइपिंग करना अब बहुत आसान हो गया है।

यूनिकोड (मंगल फोन्ट) स्टेन्डर्ड यूनिवर्सल करैक्टर सेट है जिसकी सहायता से हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कम्प्यूटर पर अंग्रेजी की तरह ही आसानी से सभी कार्य किए जा सकते हैं। मंगल हिन्दी (देवनागरी लिपि) के लिए एक ओपनटाइप यूनिकोड फॉन्ट है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफॉल्ट हिन्दी फॉन्ट है। यूनिकोड को हम आसानी से इंस्टाल करके प्रयोग कर सकते हैं। इसे राजभाषा विभाग की साइट http://rajbhasha.gov.in से या www.bhashaindia.com पर जाकर इंस्टाल किया जा सकता है। यूनिकोड मंगल को इंस्टाल करने के बाद हम अपनी सुविधानुसार टाइपराइटर भी सैट कर सकते हैं।

अब तो ऐसी तकनीक विकसित हो गई है कि यदि आपको हिन्दी और अंग्रेजी की टाइपिंग नहीं आती और आप कुछ टाइप करना चाहते हैं तो आप बस माइक्रोफोन पर बोलते जाइए और कम्प्यूटर आपके बोले गए शब्दों को लिखित रूप में रिकार्ड कर लेगा। अंग्रेजी बोल कर टाइप करने वाला सॉफ्टवेयर तो पहले से ही उपलब्ध था। अब हिन्दी में भी 'हिन्दी डिक्टेशन एंड पीसी कंट्रोल' नामक सॉफ्टवेयर विकसित कर लिया गया है। यह सॉफ्टवेयर भारतीय लहजे में बोली गई हिन्दी ग्रहण करने में सक्षम है। आप इस आसान तरीके से दस्तावेज में अपनी आवाज के साथ टाइप कर सकते हैं। फिलहाल, यह सुविधा क्रोम ब्राउजर में ही उपलब्ध है। इस बारे में कुछ समान्य जानकारी दी जा रही है।

1. सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके कंप्यूटर से एक माइक्रोफोन जुड़ा हुआ है और वह काम करता है तथा एक जी–मेल का यजूर आईडी– पासवर्ड होना जरूरी है ।

2. Chrome ब्राउजर में http://google.com खोलें।

3. गूगल एप्स पर क्लिक करके More में से गूगल डॉक्स एप्प पर क्लिक करके जी–मेल आईडी से लॉग–इन करें।

4. गूगल डॉक्स में एक नया दस्तावेज खोलें।

✶ प्रबंधक (राजभाषा), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

5. उपकरण (Tool) मेनू > वॉइस टाइपिंग (Voice Typing) पर क्लिक करें। पॉप–अप माइक्रोफोन बॉक्स से भाषा (हिंदी) का चयन करें।

6. आप पाठ में बोलने के लिए तैयार हैं तो माइक्रोफोन बॉक्स पर क्लिक करें ।

7. सामान्य गति और वॉल्यूम से स्पष्ट रूप से अपना पाठ बोलें।

8. रोकने के लिए माइक्रोफोन पर पुनः क्लिक करें।

आवाज़ के साथ टाइप करते हुए अगर गलती हो जाए तो गलती पर कर्सर ले जाकर और माइक्रोफोन से पुनः बोल कर ठीक कर सकते हैं। गलती सुधारने के बाद, आप आवाज टाइपिंग जारी रखना चाहते हैं, वहाँ कर्सर वापस ले जाएं।

मोबाइल फोन पर गूगल वॉइस टाइपिंग के लिए Play Store में जाकर Google Indic Keyboard डाउनलोड करके इंस्टाल करें। Setting >> Language and Input में जाकर Keyboard & Input Method में से Google Indic Keyboard को टिक करें तथा Default में भी Google Indic Keyboard को चुनें, इसके अतिरिक्त गूगल वॉइस टाइपिंग विकल्प को भी टिक करें। जिस भी एप्लीकेशन में टाइप करना हो, टाइप करने के लिए क्लिक करने पर की–बोर्ड उपलब्ध होगा। की–बोर्ड के ऊपरी दाएं हिस्से पर उपलब्ध माइक्रोफोन बटन क्लिक करें। Setting Option में जाकर हिंदी भाषा का चयन करें। अब आपका फोन वॉइस टाइपिंग के लिए तैयार है। उपरोक्त प्रक्रिया केवल एक बार ही करने की आवश्यकता होगी। जब भी टाइप करना हो की–बोर्ड पर उपलब्ध माइक्रोफोन के बटन पर क्लिक करें और सामान्य गति और वॉल्यूम से स्पष्ट रूप से अपना पाठ बोलें, इससे आप SMS, WhatsApp, E-mail, Google Docs आदि पर वॉइस टाइपिंग कर सकेंगे। Android Phone में Google Docs पर भी आप कार्य कर सकते हैं। यह सूचना राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की वेबसाइट http://rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध है।

अतः यह स्पष्ट है कि कम्प्यूटर तकनीक से अंग्रेजी के साथ अब हिन्दी में भी काम करना बहुत आसान हो गया है। बस, केवल अभ्यास और इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। अभ्यास और इच्छाशक्ति जागृत होने से कोई भी काम कठिन नहीं होता। यदि पूरे मनोयोग से कम्प्यूटर पर हिंदी में काम किया जाए तो यह आपकी रोजमर्रा की ज़िंदगी का एक आवश्यक अंग बन जाएगा।

हिन्दी हमें बचाएगी

गुलाम हुसैन सनटोनवाला शेख ✶

अंग्रेज गए और अपने कानून छोड़ गए,
रिटायरमेंट और कोट पतलून छोड़ गए।
गोरी मेम के चक्कर में, हम अपनी माँ को भूल गए,
अंग्रेजी के चक्कर में, हम अपनी हिन्दी को भूल गए।
अंग्रेजी के तोते बने और हिन्दी को हम भूल गए,
अंग्रेजी हमें याद रही और हिन्दी को हम भूल गए।
हिन्दी को कम मत समझो, हिन्दी किसी से कम नहीं,
अंग्रेजी है अग्रसर तो हिन्दी भी उससे कम नहीं।

अंग्रेजी के पास हैं हीरे–मोती,
तो हिन्दी के पास है चाँद–सितारे,
हीरे–मोती हमें याद रहे और चाँद–सितारे हम भूल गए।
अंग्रेजी के पास हैं शेक्सपियर जैसे हीरे–मोती
तो हिन्दी के पास है तुलसी,
मीरा जैसे बहुत सारे चाँद सितारे।
ए बी सी डी हमें याद रही और क ख ग हम भूल गए,
हिन्दी सीखो, हिन्दी ही हमें बचाएगी, बचाएगी।।

✶ सेवानिवृत्त, कनिष्ठ अधीक्षक, सीएफएस, अदालज

हमारी हिंदी

मीनाक्षी गंभीर ★

बचपन से जिस भाषा का साथ पकड़ा, जिस भाषा में पहला शब्द बोलना सीखा, वो हिंदी भाषा है।

जिसमें लहजा है, तहजीब भी है, जिसमें बड़ों के लिए बड़प्पन का भाव है, वो वाणी हिंदी है। चाहे हम कई भाषाओं के जानकार क्यूँ न हों पर सहज होकर जिसमें हम अभिव्यक्ति कर लें, वो अपनापन हिंदी है। मैं, मूल रूप से भारत के हिंदी भाषी प्रांत में जन्मी व पली–बढ़ी। बचपन से ही मैंने खुद के भीतर हिंदी भाषा के प्रति एक अलग–सा जुड़ाव महसूस किया और भण्डारण भारती के माध्यम से मैं अपना हिंदी प्रेम अभिव्यक्त करती रही।

"किसी शोहरत की मोहताज नहीं,
हिन्दी भाषी हूँ मैं, मेरी पहचान है हिंदी ।
हर एक के दिल में बसती आवाज है जो,
उस हर आवाज की राग है हिंदी"।।

जब मनुष्य इस पृथ्वी पर आकर होश संभालता है तभी से उसके माता–पिता उसे अपनी भाषा में बोलना सिखाते हैं। इस तरह भाषा सिखाने का यह काम लगातार चलता रहता है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अलग–अलग भाषाएं होती हैं। लेकिन उनका राज–कार्य जिस भाषा में होता है और जो जन–सम्पर्क की भाषा होती है उसे ही राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त होता है। भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान–प्रदान करता है। अपनी बात को कहने के लिए और दूसरे की बात को समझने के लिए भाषा एक सशक्त साधन है। भारत में अनेक राज्य हैं। उन राज्यों की अपनी अलग–अलग भाषाएं हैं परंतु विश्व की एक प्राचीन, समृद्ध, सरल एवं सुगम भाषा होने के साथ–साथ हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है। अतः इसके प्रति अपना प्रेम और सम्मान प्रकट करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। इसी कर्तव्य के निर्वाह हेतु प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह में पूरे देश में हिंदी दिवस से लेकर हिंदी सप्ताह, पखवाड़ा और माह तक मनाया जाता है। हिंदी दिवस आमतौर पर दो तरीकों से मनाया जाता है, पहला प्रशासन के स्तर पर पार्टीनुमा माहौल में– यहाँ काव्य पाठ, लेखन–वाचन, कहानी–लेखन, विविध विषयों पर निबन्ध एवं भाषण, नाटक का मंचन, अतिथि–व्याख्यान आदि विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके इसे एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। कुछ अधिकारी हिंदी में भाषण देते है, प्रीतिभोज का आयोजन होता है और लोग साथ में तस्वीरें खिंचवाते हैं। दूसरा, उदासी के माहौल में– यहाँ प्रायः हिंदी के गौरवशाली अतीत को याद किया जाता है,विद्वान जुटते है, चिंता व्यक्त करते हैं कि हाय! हिंदी की कितनी बुरी दशा हो गई।

पिछले कई सालों से मैं हिंदी पखवाड़े में भाग लेती आ रही हूँ। मुख्य वजह तो यही है कि इसी बहाने हिंदी में लिखने–बोलने का अवसर मिल जाता है और पुरस्कार मिलते हैं, सो अलग। पर क्या ये पखवाड़ा मुझे राजभाषा में कार्य करने के लिए प्रेरित कर पाता है? वास्तव में यह प्रश्न ही गलत है, जिस व्यक्ति की मातृभाषा हिंदी हो, उसे क्या अपनी ही भाषा में काम करने के लिए प्रेरित करना होगा? पर तकलीफ की बात है कि करना पड़ता है और तब भी प्रेरित नहीं हो पाते।

हिंदी, कभी हिंदी चित्रपट पर, कभी दूरदर्शन के चैनलों पर, कभी गीतों–गजलों में, कभी बाजार से सामान्य खरीददारी आदि रूपों में हमारी है और हमें इसके रूप पर नाज भी है। दुनिया के उन्नत देशों की भाषाएँ हिंदी की तरह अपनी लोकप्रियता बनाए रखते हुए सरकारी कामकाज, उच्च शिक्षा, प्रौद्योगिकी आदि में अपनी प्रगति और लोकप्रियता को बनाए हुए है। क्या हिंदी भी इस रूप में आज हमारे सामने है ? जिस हिंदी को हम अपनी हिंदी के रूप में अपनाए हुए हैं क्या उसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है? अंतर्राष्ट्रीय ना सही क्या वर्तमान में हिंदी का एक सशक्त राष्ट्रीय स्वरूप है? भारतीय कार्यालयों के टेबल अब भी तो अंग्रेजी से ही जुड़े हुए हैं और हमारी आदतें भी। दैनिक समाचार पत्र हो,

★ वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक (कार्मिक) कार्यालय, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

एसएमएस हो, किसी लिफाफे पर पता लिखना हो अथवा छुट्टी की अर्जी देनी हो, हमेशा अंग्रेजी ही लिखी जाती है। लिखते वक्त हमारी हिंदी ना जाने कितनी दूर होती है और अंग्रेजी अपनी लगती है।

वर्तमान भारतीय एक विडंबना में जी रहे हैं। उनके दिल में हिंदी है और व्यवहार में अंग्रेजी है। हिंदी जहाँ अहसासों को सुखद बनाती है, वहीं अंग्रेजी व्यावहारिक जगत में एक आत्मविश्वास के साथ चलने का आधार प्रदान करती लगती है। यह व्यावहारिकता भारतीय परिवेश पर बादलों की तरह छाया हुआ है और अक्सर बरसते रहता है। अक्सर बरसते रहता है, से मेरा तात्पर्य है कि जहाँ भी आप कार्यक्रमों में जाएँ, अंग्रेजी की फुहारों से भीगना ही पड़ता है। शायद हम इस बारिश के अभ्यस्त भी हो गए हैं। तो क्या हम अंग्रेजी को अपनाते हुए कहीं हमारी हिंदी को खो तो नहीं रहे? यहाँ एक–दो व्यंग्यात्मक उदाहरण देना चाहूंगी।

"हिन्दी दिवस पर एक नेता जी बतिया रहे थे, ''मेरी पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि वे हिन्दी अपनाएं और इसे नेशनवाइड पापुलर लेंगुएज बनाएं और हिन्दी को नेशनल लेंगुएज बनाने की अपनी डयूटी निभाएं"।

"हिंदी–दिवस की तैयारी जोरों पर थी। ''देखो, 14 सितम्बर को हिंदी डे है और उस दिन हमें हिंदी लेंगुएज ही यूज़ करनी चाहिए। अंडरस्टैंड?'' सरकारी अधिकारी ने आदेश देते हुए कहा। ''यस सर!'' कहकर सरकारी बाबू ने भी हामी भरी"।

हिंदी दिवस या हिंदी पखवाड़ा मनाकर हिंदी की चुनौतियों को खत्म नहीं किया जा सकता, अगर इस दौरान कुछ सार्थक चिंतन हो और उसे कार्यरूप दिया जा सके तो ही इसकी सार्थकता है। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को देश की राजभाषा का दर्जा मिल चुका है परन्तु उसका विकास करना हम सब भारतीय नागरिकों का दायित्व है। हिंदी का विकास देश के सभी भाषाओं का विकास है। वर्तमान में प्रत्येक कार्यालय में हिंदी या राजभाषा के ढेरों साहित्य पड़े हैं जिनका पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है। प्रत्येक कार्यालय हिंदी के छोटे से पत्र के लिए भी कार्यालय के हिंदी विभाग या राजभाषा विभाग की ओर देखता है। हमारी हिंदी आज कार्यालयों में हिंदी विभाग पर टिकी हुई है, यह कहना कोई गलत नहीं होगा। भाषा को दृष्टिगत रखते हुए जब तक हम नहीं जागेंगे तब तक कार्यालय नहीं जगेगा, जब तक कार्यालय नहीं जगेगा तब तक समाज नहीं जगेगा और जब तक समाज नहीं जगेगा तब तक देश का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी हिंदी और सशक्त नहीं होगी। अतएव, हमारी हिंदी हमारे ही हाथों में है। हिन्दी प्रदेशों में कुछ हद तक हिन्दी प्रशासन की भाषा बन चुकी है किन्तु इसमें और विस्तार, निखार और चर्चा–परिचर्चा की आवश्यकता है। मुलाकाती कार्डों, नेमप्लेट आदि को अंग्रेजी में प्रदर्शित करना यह दर्शाता है कि अंग्रेजी से मोह भंग नहीं हो रहा है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी हिन्दी को जो गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त होना चाहिए था, वह उसे नहीं मिला।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हिन्दी को उस का यह पद कैसे दिलाया जाए ? कौन से ऐसे उपाय किए जाएं जिससे हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकें। यद्यपि हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है, परन्तु हमारा चिंतन आज भी विदेशी है। हम वार्तालाप करते समय अंग्रेजी का प्रयोग करने में गौरव समझते हैं, भले ही अशुद्ध अंग्रेजी हो। इस मानसिकता का परित्याग करना चाहिए और हिन्दी का प्रयोग करने में गर्व अनुभव करना चाहिए। हम सरकारी कार्यालय, बैंक, अथवा जहां भी कार्य करते हैं, हमें हिन्दी में ही कार्य करना चाहिए। निमन्त्रण–पत्र, नामपट्ट हिन्दी में होने चाहिए। अदालतों का कार्य हिन्दी में होना चाहिए। बिजली, पानी, गृह कर आदि के बिल जनता को हिन्दी में दिये जाने चाहिए। इससे हिन्दी का प्रचार और प्रसार होगा। प्राथमिक स्तर से स्नातक तक हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जानी चाहिए। जब विश्व के अन्य देश अपनी मातृभाषा में पढ़कर उन्नति कर सकते हैं, तब हमें राष्ट्रभाषा अपनाने में झिझक क्यों होनी चाहिए। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्र–व्यवहार हिन्दी में होना चाहिए। स्कूल के छात्रों को हिन्दी पत्र–पत्रिकाएं पढ़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। जब हमारे विद्यार्थी हिन्दी प्रेमी बन जायेंगे तब हिन्दी का धाराप्रवाह प्रसार होगा। अतः गर्व से हिंदी बोलें एवम औरों को भी हिंदी बोलने के लिए प्रेरित करें, हिंदी हमारी मातृभाषा है, मात्र एक भाषा नहीं।

किसी के द्वारा कही गयी बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों के साथ अपने लेख को विराम देती हूँ।

हमारी अंतर्यात्रा पर, प्रेम की अपनी मात्रा पर,
करने एक शोध, हमें कराने बोध,
चल पड़ी हमारी हिंदी।
खुद को खोजने, बिन गुनाह सजा भोगने,
लेकर मन में रोष, पूछने अपना दोष,
चल पड़ी हमारी हिंदी।
जन–जन को जोड़ने, गलतफहमियां तोड़ने,
अंग्रेजी मोह को लांघने, अपना अधिकार मांगने,
चल पड़ी हमारी हिंदी।

रूठों को मनाने, प्रेम का दीप जलाने,
एकता का आह्वान करने, योग और ध्यान भरने,
चल पड़ी हमारी हिंदी।

मन में एक उदासी सी है, भूखी और प्यासी है,
अपनी भूख मिटाने हेतु, हमारे स्वाभिमान हेतु
चल पड़ी हमारी हिंदी।

गुरू बिना गति नाही

नीलम खुराना ✶

जैसा कि सभी को विदित है कि मनुष्य के रूप में भगवान राम ने भी विश्वामित्र जी/वशिष्ठ जी को अपना गुरू धारण किया था। अर्जुन ने द्रोणाचार्य/कृपाचार्य जी को अपना गुरू/कुलगुरू धारण किया था। ऐसे कई महान हस्तियों/मनुष्यों ने अपने–अपने गुरू धारण किए। इसी पर एक लघु कथा का वर्णन इस प्रकार है :–

एक बार नारद ऋषि किसी काम से विष्णुलोक में गए। उनके जाने के पश्चात उन्हें कोई बात याद आई तो वह फिर तुरन्त विष्णुलोक वापिस गए तो क्या देखते हैं, वह जिस आसन पर बैठे थे, उसको साफ किया जा रहा था। नारद जी ने सोचा कि इस आसन पर तो अभी कुछ देर पहले मैं बैठा था, इसको साफ क्यों किया जा रहा है। उनके पूछने पर बताया गया कि उन्होंने कोई गुरू धारण नहीं किया, जिससे इस आसन पर उनके बैठने के कारण वह अपवित्र हो गया है, इसलिए इसे साफ किया जा रहा है। नारद जी ने कहा कि इससे पहले मैं कई बार यहां आया हूं तो क्या हर बार मेरे द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे आसन को साफ किया जाता है, उत्तर मिला हां। नारद जी के मन को यह बात लग गयी। उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि अब मैं क्या करूं, जिससे मेरे बैठने से आसन अपवित्र न माना जाए, इस पर विष्णु भगवान ने कहा कि आप गुरू धारण कीजिए। नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा कि फिर मैं आपको अपना गुरू धारण कर लेता हूं। विष्णु जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको मृत्युलोक में जाकर अपना गुरू धारण करना होगा। नारद जी को मृत्युलोक में जाने का अधिकार प्राप्त था। नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि मैं किसको अपना गुरू धारण करूं? विष्णु भगवान ने कहा कि मृत्युलोक में जाकर जो तुम्हे सबसे पहले मिलेगा, उसे अपना गुरू धारण कर लेना। नारद जी ने मृत्युलोक के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें एक धीमर जाति का मनुष्य मिला। विष्णु भगवान के कथनानुसार सर्वप्रथम मिले व्यक्ति को उनको अपना गुरू धारण करना था, सोधीमर जाति के व्यक्ति को देखकर उनके मन में घृणा के भाव आ गए और उनका मन उन्हें अपना गुरू स्वीकारने के लिए नहीं माना। उन्होंने सोचा कि इतना ज्ञानी–ध्यानी होकर मैं एक धीमर जाति के व्यक्ति को अपना गुरू धारण करूं, ऐसा नहीं हो सकता। धीमर व्यक्ति ने नारद जी को रोककर कहा कि आप जिस प्रयोजन के लिए यहां आए हो, वह क्यों नहीं कर रहे? नारद जी उसकी यह बात सुनकर हैरान रह गए कि इसको मेरे प्रयोजन के बारे में कैसे मालूम है, इसमें कोई रहस्य है, यह सोचकर उन्होंने धीमर को अपना गुरू धारण कर लिया और विष्णुलोक जा पहुंचे। विष्णु भगवान ने कहा, कहो नारद, गुरू धारण कर आए। नारद जी ने हां में सिर हिलाया। विष्णु भगवान ने कहा कि आप अपने गुरू के बारे में अपने मन में घृणा एवं अहंकार के भाव लाए थे, सो अब आपको रौरव/घोर नरक भुगतना पड़ेगा। नारद जी यह सुनकर भौंचक्के रह गए। उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा कि अब इससे कैसे छुटकारा हो सकता है? भगवान विष्णु ने कहा कि आप अपने गुरू जी के पास जाइए, वही आपको इसके छुटकारे का उपाय बता सकते हैं। नारद जी वापिस मृत्युलोक में अपने गुरू के पास गए। उनको सब वृतान्त कह सुनाया और उनसे क्षमा–याचना की। सच्चे भाव से की गयी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उनके गुरू ने रौरव/घोर नरक का नक्शा बनाया और कहा कि विष्णुलोक में जाकर इस नक्शे पर लोट–पोट हो जाना यानि इसके ऊपर घूम जाना जिससे तुम्हारा घोर नरक का बन्धन कट जाएगा। नारद जी ने ऐसा ही किया। विष्णुलोक में जाकर नक्शे के ऊपर घूमने लगे। विष्णु जी ने कहा कि यह क्या कर रहे हो? नारद जी ने सब बात उन्हें बतायी। इस पर विष्णु जी ने कहा कि सोचो यदि गुरू जी की आज्ञानुसार श्रद्धा भाव एवं विश्वास से घोर नरक के नक्शे के ऊपर घूम जाने मात्र से उसका बन्धन कट सकता है तो गुरू की महिमा क्या होगी।

✶ वरिष्ठ निजी सहायक, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

भारतीय कृषक

रजनी सूद ✶

हिन्दु धर्म की मान्यताओं के अनुसार, ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, विष्णु पालन करते हैं तथा महेश संहार करते हैं। इस प्रकार सृष्टि संचालन तीनों देवताओं में विभक्त है। इस पर विश्वास करके यदि हम कृषकों को ही विष्णु कह दें तो इसमें कोई अतिश्योक्ति न होगी। विश्व का समस्त वैभव, खुशियाँ, आमोद–प्रमोद सब कुछ कृषक के बलिष्ठ कंधों पर आश्रित है। आकाश में उड़ने वाले स्वतंत्र पक्षी, पृथ्वी पर विचरण करने वाला मानव, यहाँ तक कि जलचर भी कृषकों पर ही आधारित हैं। तपस्या भरा, त्याग, अभिमान रहित उदारता और क्लान्ति रहित परिश्रम का यदि चित्र देखना है तो आप हमारे किसानों को देखिए। विदेश के किसानों को तो फिर भी उन्नत तकनीक सहायता करती है परंतु हमारे देश के 90 प्रतिशत किसान अभी भी परपरागत तकनीकों से ही खेती करते हैं।

कड़कड़ाती ठंड की भयानक रात, मनुष्य के शरीर को चीरकर बाहर चले जाने वाली सनसनाती हवा, चारों ओर घनीभूत अंधकार, जिसमें निकट के वृक्ष भी प्रेत होने का संदेश देते हैं, भारतीय किसान वह साधक है कि साधना करते हुए भी जिसके हृदय में कभी सिद्धि की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, वह ऐसा कर्मयोगी है, जो फल प्राप्ति की इच्छा से रहित हो कर कर्म करने में तल्लीन रहता है।

सर्दियों में पानी आते ही रात के अंधेरे में उसकी हंसी बिखर उठी। संसार सो रहा था और वह पानी के लिए जाग रहा था, खेत में पानी और उसके पैर उस बर्फ जैसे पानी में। जेठ की तपती दोपहरी में पक्षी प्यास से व्याकुल होकर इधर–उधर पानी की खोज में उड़ रहे थे, सूर्य जैसे संसार की समस्त चीजों को भून रहा था, इंसानों का शरीर झुलसा जा रहा था, लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। शरीर पर फटी धोती लपेटे, नंगे पैर किसान अब भी खेत में था। पशु–पक्षी तक सघन वृक्षों की छाया में विश्राम कर रहे थे, परंतु किसान को यह ध्यान न था कि आराम नाम की भी कोई चीज होती है।

वर्षा ऋतु में बादल आए, उमड़े–घुमड़े, गरजे–लरजे और बरसने लगे, इतने बरसे कि पूरे गांव में पानी भर गया, चमकती बिजलियों से माताएं अपने बच्चों को बचाने लगी। काली भैंसों वाले अपनी भैंसे छिपाने लगे, कहीं उनकी भैंसों पर बिजली न गिर जाए परंतु किसान अभी भी इस चिंता में था कि उसकी फसल को कहीं कुछ न हो जाए।

देश की सीमाओं के सजग प्रहरियों की भांति उषा की लालिमा निकलने से पहले वह उठता है। परिवार से नाता है तो बस रात भर का। हालांकि, सभी सरकारों द्वारा किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं पर वो किनके काम आती हैं पता नहीं। यदि वह योजनाएं सही तरीके से क्रियान्वित होती तो देश के लगभग हर राज्य से किसानों द्वारा आत्महत्याएँ किए जाने की खबरें क्यों आती रहती हैं। आज भी 40 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जिनके पास दोनों समय खाने के लिए भर–पेट भोजन नहीं, शरीर ढकने के लिए स्वच्छ और मजबूत कपड़े नहीं, उनकी पत्नियां दो साड़ियों में साल भर गुजारा करती हैं। टूटे–फूटे मकान और टूटी झोपड़ियां आज भी उनके रहने का आशियाना है। मूसलाधार बारिश में छतें बैठने लगीं, दीवारें गिरने लगीं, किसान क्या करता, आकाश की ओर देखकर रो दिया और उस अज्ञात शक्ति से, अपनी रक्षा की याचना करने लगा, किसान की जीवन सहचरी दरिद्रता आज भी उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं। अन्य देशों के किसान सुखी हैं, संपन्न हैं, धन–धान्य युक्त हैं, जीवन को सुखमय बनाने के सभी साधन उन्हें उपलब्ध हैं। उन देशों के नागरिकों और कृषकों के ज्ञान, मान, धन संपत्ति सभी में समानता है जबकि हमारे यहां जातिवाद, लिंग भेद, अमीरी–गरीबी अभी भी छाई हुई है। विदेशी किसान सरकार की योजनाओं में सुरक्षित भी होते हैं और सुसंस्कृत भी। मैथिलीशरण जी ने एक बार लिखा था।

''भारतीय किसानों में यदि शिक्षा की कमी न होती, तो ये गांव स्वर्ग बन जाते।''

✶ वरिष्ठ सहायक प्रबंधक (रा.भा.) निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

किसानों की सर्वांगीण उन्नति के लिए सरकारें प्रयत्नशील रही हैं जैसे बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय, प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए सांध्यकालीन विद्यालय, चिकित्सालय, डाक–घर। कृषि की उन्नति के लिए अनेक प्रकार के खाद, नवीन यंत्र प्रदान किए जा रहे हैं। भिन्न–भिन्न सर्वसाधारण उपयोगी संस्थाएं आपको गावं–गांव में मिलेगी, 24 घंटे किसान हैल्प लाइन, ग्राम और ग्रामीणों की सामूहिक उन्नति के लिए शासन की ओर से अनेक नए विभाग खोले गए हैं। भारत सरकार द्वारा अन्न सुरक्षा अधिनियम, 2013 भी लाया गया है, किसान और गांव उन्नति कर रहे हैं परंतु उतनी नहीं जितनी कि उन्हें करनी चाहिए। मेरी नजर में यदि भारतीय किसानों की दशा सुधारनी है तो भारत सरकार को निम्नलिखित कदम सतर्कतापूर्वक उठाने होंगेः

1. उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना।
2. उत्पादक किसानों को उनके श्रम का उचित फल देना।
3. उत्पादन में आत्म–निर्भरता लाना।
4. मध्यस्थों को समाप्त करना तथा मुनाफाखोरी को रोकना।
5. गरीबी को नियंत्रित करना।
6. अनुचित संग्रह करके कृत्रिम कमी लाने की प्रवृति को रोकना।
7. खाद्यान्नों में सट्टे की प्रवृति को रोकना।
8. खाद्यान्नों के उत्पादन और वितरण में स्थिरता लाना।
9. छोटे किसानों को मदद पहुंचाना।
10. कृषि पदार्थों के मूल्यों में स्थायित्व।
11. खाद्यान्नों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाना।

चूंकि केन्द्रीय भंडारण निगम के लिए किसान भले ही प्रत्यक्ष रूप से हितैषी न हो परंतु एफसीआई, मार्कफेड, हैफेड इत्यादि जमाकर्ताओं द्वारा जमा करवाए गए खाद्यान्न किसानों की मेहतन से इन विभिन्न संस्थाओं में आते हैं जो केंद्रीय भंडारण निगम को नवजीवन प्रदान करते हैं। यदि किसानों की दशा सुधरेगी तो अवश्य ही केंद्रीय भंडारण निगम की भी दशा सुधरेगी। भले ही आज का किसान वह किसान नहीं रह गया जिसे लोभ व लालच नहीं परंतु फिर भी उसके परिश्रम का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है जिसको कम नहीं आंका जा सकता।

गर मीत मेरे बन जाओ तुम

रविशंकर श्रीवास्तव ★

जीवन का लक्ष्य रहा कुछ भी
कभी ब्यस्त रहा कभी मस्त रहा
पर वह क्षण मुझको याद नहीं
जिस क्षण अपनों से दूर रहा।

जीवन यह धन्य हो जाय मेरा
गर मीत मेरे बन जाओ तुम

ऐसा भी अवसर कोई मिला नहीं
जिस पर विश्वास अडिग रखता
बरसों की प्यासी आँखों पर
एहसासों का सावन रखता

सब कुछ सम्भव सा लगता है
गर मीत मेरे बन जाओ तुम

सम्बन्धों की इस दुनियां में
रिस्तों से प्यार मिला मुझको
पर दावे से कह सकता हूँ
माँ जैसा प्यार नहीं कोई।

मैं फिर बच्चा बन जाऊँ माँ
गर मीत मेरे बन जाओ तुम

सौगातों और जज्बातों से
मैं खुद को वंचित कैसे रखता

इस भाग दौड़ की दुनिया में
मैं खुद को पीछे कैसे रखता।

मैं फिर वैसा बन जाऊँगा
गर मीत मेरे बन जाओ तुम

इस छल फरेब की दुनिया में
दौलत के हिसाब के रिस्ते हैं
मन में संताप घृणा मन में
सब ऊपर–ऊपर हंसते हैं।

मर्यादित फिर हो जाऊँ मैं
गर मीत मेरे बन जाओ तुम

★ कनिष्ठ अधीक्षक, सेन्ट्रल वेअरहाउस, लखनऊ–प्रथम

देश का आईना है, हिंदी

विजयपाल सिंह ✶

हिंदी देश की एकता, अखंडता और आत्मविश्वास की प्रतीक है। हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिंदी भाषा सीखने के लिए दिनों–दिन वृद्धि हो रही है। हिंदी साहित्य समुद्र की तरह है जिसमें अनेकों भाषाओं का समावेश है। हिंदी तभी जीवित रह सकती है, जब तक यह आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी रहेगी। कोई भाषा किसी पर जोर–जबरदस्ती से नहीं थोपी जानी चाहिए। ऐसा करने पर हिंदी का प्रचार कम हो जाएगा। इसलिए हिंदी में बोलना व लिखना, सीखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रारंभिक शिक्षा से ही हिंदी विषय अनिवार्य हो तथा रोजगार देते समय हिंदी के ज्ञान को प्राथमिकता दी जाए।

हिंदी आज के युग में ही नहीं बल्कि औरंगजेब, अकबर बादशाह, शिवाजी के युग से माध्यम रही है, अंग्रेजों के साथ पत्र–व्यवहार हिंदी में ही होता था। अंग्रेजी के विद्वान लार्ड ग्रिर्यसन ने हिंदी को भारत के जनतंत्र की भाषा कहा है और यह भी कहा कि यदि कोई देश अपने देश की भाषा को अपना लेता है तो उस देश की एकता और अखंडता को भंग करने वाला कोई भी देश नहीं होगा क्योंकि मातृभाषा से ही एकता का जन्म होता है और एकता से देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विजय प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी देश की मातृभाषा उस देश के निवासियों के लिए एक ''कड़ी'' का काम करती है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि हिंदी भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बंगाल से गुजरात तक प्राचीन समय से ही विभिन्न प्रान्तों की सम्पर्क भाषा रही है। इस देश में कुछ ऐसे लोगों ने भी जन्म लिया जिनकी मातृभाषा हिंदी न होते हुए भी अपने आपको हिंदी भाषी मानते थे। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि जिस भाषा के आंगन में ये लोग जन्मे उस भाषा को इन्होंने इतना सम्मान नहीं दिया जितना अपने देश की राजभाषा (हिंदी) को दिया। इनमें से कुछ प्रमुख नेता स्वामी दयानंद, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, महामना मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहर लाल नेहरू, मौलाना आजाद, सुभाष चन्द्र बोस इत्यादि थे।

आज कार्यालयों में उच्च पदों पर विराजमान लोग हिंदी का काम–काज करने में आना–कानी कर रहे हैं जबकि वही अधिकारी जब विदेशों में किसी प्रशिक्षण इत्यादि के लिए दौरे पर जाते हैं तो कुछ ही महीनों में वहाँ की भाषा सीख जाते हैं। लेकिन अपने देश में जन्म लेकर भी अपनी भाषा को नहीं सीख पाते, जहाँ वे अपनी जिंदगी का पूरा सफर तय करते हैं। दुख की बात है कि जब हम अंग्रेजी भाषा के अलावा अन्य भाषाओं को सीख लेते हैं तो अपनी इस पूजनीय मातृभाषा हिंदी को क्यों नहीं जिसके सिर पर सरकार ने 26 जनवरी, 1950 को देवनागरी लिपि में भारत संघ की राजभाषा घोषित करते हुए ताज पहनाया था। आज हम विलायती भाषा का सहारा लेकर अपनी मातृभाषा को पीछे करते जा रहे हैं और विलायती भाषा को आगे। यह बहुत ही शर्म की बात है कि हम जागते हुए भी चोर को अपने घर में घुसने के लिए पनाह दे रहे हैं।

यदि इसी तरह से हमारी मातृभाषा का अपमान होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हम माँ रूपी राजभाषा का चीरहरण होते हुए अपनी आँखों के सामने ही देखेंगे। हमें अगर अपनी माँ रूपी राजभाषा की लाज को कायम रखना है तो जो लोग अहिंदी भाषी हैं उन्हें हिंदी सिखाना शुरु कर दें। मुख्य रूप से ''केन्द्रीय भंडारण निगम'' में कार्यरत सभी अधिकारी/कर्मचारी को जो अहिंदी भाषी हैं क्योंकि इस निगम का सीधा संबंध देश के किसानों से होता है जो निगम के भांडागारों में अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए अपना खाद्यान्न जमा करता है। अगर उनके साथ अंग्रेजी में पत्र व्यवहार किया जाएगा तो वह हिंदी भाषी किसान उस पत्र को पढ़वाने के लिए किसी अन्य के पास जाएगा और जब तक उसका काफी समय खराब हो जायेगा।

आपने सरकारी कार्यालयों में लिखा देखा होगा कि ''हिंदी अपनाओ, हिंदी में बात करने पर हमें गर्व होगा, हिंदी भाषी

✶ कनिष्ठ अधीक्षक, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली।

लोगों का स्वागत है, ''हिंदी में कार्य करना शुरू तो करें'' इत्यादि। यदि आप इन कार्यालयों में अपने किसी काम के लिए जायेंगे तो देखेंगे कि वे हिंदी भाषी लोगों का काम जल्दी करना पसंद नहीं करते और हिंदी भाषी लोगों को एक निम्न वर्ग से संबंध रखने वाला व्यक्ति समझते हैं। मगर मेरी नजरों में वह एक देशभक्त, सच्चे नागरिक व अपनी माँ रूपी राजभाषा की सेवा करने वाला श्रवण कुमार से कम नहीं। मुझे उन लोगों पर गर्व है जो हिंदी में कार्य कर रहे हैं तथा कार्य करने की इच्छा दिल में रखते हैं। आज वे इस राजभाषा की डूबती नौका को सहारा देकर पार लगा सकते हैं। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो भूले को रास्ता बताती है और एकता के सूत्र में बांधती है। इसके सिर पर ताज तभी तक चमकता रहेगा जब तक यह आम आदमी की जिंदगी से जुड़ी रहेगी।

आओ हम सभी मिलकर माँ के ताज को चमकायें, अहिंदी भाषी लोगों को हिंदी भाषी बनायें।

चिड़िया उड़ गई

कृष्ण कुमार *

मेरे आंगन में
एक छोटी सी, रंग बिरंगी
चिड़िया आयी
मेरे मन को बहुत भायी
मैंने
पकड़ना चाहा
वह उड़ी, पर
उड़ न सकी
मैं समझ गया कि
वह बीमार है
मैंने हाथ में उठाया
वह छटपटायी
मैंने सहलाया
उसने पर फड़फड़ाए
चोंच खोली
दाना खाया
पानी पिया और
निडर हो गई
पर थक गई
मैंने उसे कंबल का
गर्म घोंसला दिया
वह सो गई
धीरे–धीरे
वह स्वस्थ होने लगी
बड़ी होने लगी
मैंने उसे तोता रट सिखायी
वह मेरा नाम लेने लगी
मुझे खुशी हुई कि
कोई मेरा है
मैंने उसे तोते की तरह
भाग्य का लिफाफा उठाना सिखाया
वह मेरा अच्छा भाग्य
पढ़ने लगी
भविष्य के लिए
मैं निश्चिंत हो गया
उसने
बोलना सीखा
उड़ना सीखा
यहाँ–वहाँ छत पर
दीवार पर
कई चिड़ियाँ
एवं
जंगली कौवों की उस पर
नजर पड़ी
वे उसके साथ खेलने लगे
मैंने भी आजादी दी
क्योंकि सबको आजादी
अच्छी लगती है
पर वह दीवार से
छत से बाहर
उड़ने लगी
रातों में देर से
आने लगी
उसके शरीर पर जख्म होते
कोमलता
समाप्त होने लगी
मैंने डांटा
दरवाजा बंद कर दिया
वह गुर्राई
गर्म घोंसले में नहीं सोयी
मेरा सिखाया वह
सब भूल गई
रोशनदान में बैठी रही

* पूर्व प्रबंधक (राजभाषा) निगमित कार्यालय, नई दिल्ली।

कुछ तो लोग कहेंगे

रुचि यादव ✶

जसवंत बड़ों का प्रिय, छोटों का सम्माननीय तथा हमउम्र का विश्वासपात्र था, या यूँ कहिए कि वह सर्वप्रिय था। केवल इसलिए नहीं कि वह गाँव का सरपंच था बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह बेहद विनम्र, कठिन परिश्रमी तथा अत्यन्त ईमानदार भी था। उसके हँसमुख स्वभाव के चर्चे भी दूर–दूर तक फैले थे और निःसंदेह उसने हमेशा सभी के मुख से केवल अपनी बड़ाई सुनी थी।

एक दिन वह खेतों से काम करके वापस लौट रहा था कि उसे अपना नाम सुनाई पड़ा। देखा तो कुछ दूर, कुछ किसान आपस में बातें करते चले जा रहे थे। कौतूहलवश वह भी धीरे–धीरे उनके पीछे चलने लगा और उनकी बातें सुनने लगा।

पहला किसान, ''ये जसवंत, सरपंच बनने के बाद बहुत बदल गया है।''

दूसरा किसान, ''हाँ भाई, अब तो वह सीधे मुँह बात भी नहीं करता।''

तीसरा, ''अरे भाई, ''मैंने तो सुना है उसने नरेगा में भी बहुत घपला किया है।'' ..... और यह सुनते ही जसवंत जैसे सुन्न ही हो गया। वह धम्म से खेत की मुंडेर पर ही बैठ गया। वह तो अपनी प्रशंसा की उम्मीद कर रहा था, लेकिन यह क्या, उसके लिए इतने कटु वचन, वे भी ऐसे आरोप जिनसे उसके व्यवहार का दूर–दूर तक नाता न था।

इस घटना ने जसवंत को झकझोर कर रख दिया। अब वह गुमसुम सा रहने लगा। जहाँ चार लोग बातें करते नज़र आते, उसे लगता उसकी ही बुराई कर रहे हैं। उसे रातों को नींद नहीं आती और दिन का चैन भी मानो गायब ही हो गया था। वह अब सभी की बातों पर शक करने लगा था। उसका यह बदला व्यवहार उसकी पत्नी राधा से छुपा ना था। वह अपने पति की बातों में छुपा क्रोध, हास्य में छुपा व्यंग्य एवं आँखों में छुपा रोष कैसे नज़रअंदाज कर सकती थी भला। एक दिन बड़े प्यार से राधा ने जसवंत से इस बदलाव का कारण पूछा। थोड़ी ना–नुकुर के बाद आखिर जसवंत ने उस घटना की ब्यानगी कर ही दी। उसने कहा, ''मैंने इस गाँव की तरक्की के लिए क्या नहीं किया। दिन–रात मेहनत की और मुझे क्या मिला? ये तिरस्कार, ऐसा अपमान ऐसे–ऐसे आरोप।'' राधा ने उसे लाख समझाया, सभी उपलब्धियों को याद दिलाया किन्तु जसवंत तो जैसे जड़ हो चुका था। उस पर किन्हीं बातों का असर न हुआ।

थक–हार कर राधा को एक तरकीब सूझी। उसने जसवंत से अपने मायके वाले मंदिर में रहने वाले साधु जी से मिलने की इच्छा जताई। अगले ही दिन वे दोनों उस मंदिर के साधु जी से मिलने चल पड़े। मंदिर पहुँच कर राधा ने सारी बातें साधु को बताई तथा सहायता हेतु आग्रह किया।

साधु महाराज, जो अब तक सब बातें समझ चुके थे, जसवंत से बोले, ''पुत्र, तुम अपनी पत्नी को इसके मायके छोड़ आओ और आज रात यहीं रुको मेरे पास।'' जसवंत ने ऐसा ही किया। रात को मंदिर के प्रांगण में दरी बिछा कर सोने लगे तो यह क्या .....।

चारों ओर टर्र–टर्र की आवाज। जसवंत ने साधु महाराज से कहा, ''महाराज, लगता है मंदिर के तालाब में बहुत मेंढक हो गए हैं।''

साधु जी ने कहा, ''हाँ पुत्र, ऐसा ही लगता है अब क्या किया जाए, तुम ही कुछ सुझाओ।''

जसवंत ने कहा, ''आवाज से तो लगता है कि ये सैकड़ों में होंगे, शायद 200–250 हों। मैं कल ही मजदूरों को बुला कर तालाब से इन्हें पकड़वा कर, पास की नदी में छुड़वा दूंगा।''

तदनुसार, अगले दिन जसवंत ने 10–15 मजदूरों को

✶ वरिष्ठ सहायक, प्रबंधक (सामान्य), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली।

बुलाया एवं खूब–मेहनत कर सभी मेंढकों को पकड़ लिया। किन्तु बहुत प्रयासों के बाद भी केवल 50 मेंढक ही जाल में फंसे। जसवंत ने साधु जी से पूछा, ''महाराज ये सभी मेंढक कहाँ चले गए? कल रात तो लगता था जैसे सैकड़ों में होंगे।''

साधु महाराज ने गंभीर होते हुए कहा, ''मेंढक कहीं नहीं गए जसवंत। ये इनते ही थे। यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था पुत्र। जो लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे, वे भी इन मेंढकों की तरह मुट्ठी भर ही थे। लेकिन तुम्हें उन मुट्ठी भर लोंगों की वजह से सभी पर शक होने लगा। पुत्र, जीवन में तुम कितना ही अच्छा क्यों न करो, कुछ लोग तो होंगे ही जो तुम्हारी बुराई करेंगे। ऐसे लोगों के कार्य ही दूसरों के व्यवहार में केवल बुराई खोजने का होता है। ये लोग इस तरह होते हैं कि –

दूसरों के व्यवहार में बुराई खोजते हैं ऐसे,
अपने किरदारों में ये लोग फरिश्ते हों जैसे।

इसलिए वत्स, तुम हमेशा हर किसी को खुश नहीं रख सकते। तुम केवल अपना कर्म कर सकते हो। गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि –

''कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन'' अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे कर्म पर है, उसके फल पर अधिकार के पात्र तुम नहीं हो। इसलिए पुत्र, दूसरों की प्रतिक्रिया या कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारे वश में, हाथ में, नियन्त्रण में केवल तुम्हारा कर्म है जो तुम्हें पहले की भांति निष्काम भाव से करते रहना चाहिए।

साधु महाराज की बातें सुन, जसवंत जैसे निद्रा से जागा हो। उसके रोम–रोम से कृतज्ञता के भाव बहने लगे। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ा एवं बोला, ''महात्मा जी, गुरुदेव मेरी आँखें खोलने के लिए कोटि–कोटि धन्यवाद प्रभु। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में सदैव परिणाम की चिंता किए बिना, लोगों की प्रतिक्रिया पर अनावश्यक समय गंवाए बिना, केवल अपने परिश्रम पर, कर्म पर, ध्यान दूंगा और वैसे भी महाराज, यदि यह भी मैं ही सोचूंगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं तो फिर लोग क्या सोचेंगे, उन्हें भी तो कुछ कार्य दिया जाए करने के लिए।''

जसवंत अपने पहले वाले स्वरूप में आ चुका था, उसका यह हास्य इस बात की गवाही दे रहा था। साधु जी ने उसे उठा कर अपने गले से लगाया तथा ढेरों आशीर्वचनों एवं दुआओं के साथ उसे अपने कर्तव्य–पथ पर विदा किया।

याद

दिनेश कुमार *

याद तो आयेगी
आँख भर जायेगी
फिर भी मुस्करायेगी वादा कर

रिश्ता वो तोड़ गयी
दोनों को छोड़ गयी
बेटी को भूल जायेगी वादा कर

साथ कौन जाता है
जीवन का नाता है
दुनियादारी निभायेगी वादा कर

आंसुओं को पीना है
सपनों में जीना है
उमर कट जायेगी वादा कर

दिल बहला लेंगे
थोड़ा समझा लेंगे
खुशी लौट आयेगी वादा कर

* पूर्व वरिष्ठ सहायक प्रबंधक (लेखा) निगमित कार्यालय, नई दिल्ली।

राजभाषा हिन्दी के बढ़ते कदम

राकेश सिंह परस्ते ✶

किसी भी देश का अपना एक संविधान होता है और सम्पूर्ण कार्य को संचालित करने के लिए एक राजभाषा की अनिवार्यता होती है। राजभाषा, देश को अपने प्रशासनिक लक्ष्यों के द्वारा राजनीतिक–आर्थिक इकाई में जोड़ने का काम करती है अर्थात् राजभाषा की प्राथमिक शर्त राजनीतिक प्रशासनिक एकता कायम करना है। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ ही है – राज–काज की भाषा। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, वह राजभाषा कहलाती है। राजाओं–नवाबों के जमाने में इसे 'दरबारी भाषा' कहा जाता था।

हमारा देश एक बहुभाषी देश है। हर राज्यों की अपनी–अपनी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। स्वशासन आने के बाद हमें भी अपनी एक राजभाषा की आवश्यकता पड़ी। स्वतन्त्रता के पूर्व जो छोटे–बड़े राष्ट्रनेता राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में हिन्दी को अपनाने के मुद्दे पर सहमत थे, उनमें से अधिकांश गैर – हिन्दी भाषी नेता स्वतंत्रता मिलने के बाद हिन्दी के नाम पर अपना मत बदलने लगे। इसी के परिणामस्वरुप संविधान सभा में राजभाषा के नाम पर बहस हुई जो 11 से 14 सितम्बर, 1949 तक चली। संविधान सभा के भीतर और बाहर हिन्दी के विपुल समर्थन को देखते हुए अंततः संविधान सभा ने हिन्दी के पक्ष में 'मुंशी–आयंगर फार्मूले' के द्वारा हिन्दी विरोधी एवं हिन्दी समर्थकों के बीच समझौता कर हिन्दी के पक्ष में अपना फैसला दिया।

भारतवर्ष के लिए 14 सितम्बर, सन् 1949 का दिन एक स्वर्णिम दिन था क्योंकि इसी दिन 'हिन्दी' को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी एवं अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा। लेकिन साथ ही साथ यह भी व्यवस्था कर दी गई कि संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात् 1965 तक उन सभी प्रयोजनों के लिए सह–राजभाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी किया जाता रहेगा, जिनके लिए पहले हिंदी का प्रयोग किया जा रहा था। इसी के वजह से आज भी स्थिति ज्यों का त्यों बनी हुई है। वर्ष 1965 से सारा काम–काज हिन्दी में शुरु होना था, परन्तु सरकार की ढुलमुल नीति के कारण यह संभव नहीं हो सका, कई राजभाषा नियम–अधिनियम बनाए गए और अंततः राजभाषा (संशोधन) अधिनियम 1967 के अनुसार ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा, जिन्होंने हिन्दी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, संकल्प पारित करना होगा और विधानमंडलों के संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात् उसकी समाप्ति के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा संकल्प पारित करना होगा। ऐसा नहीं होने पर अंग्रेजी अपनी पूर्व स्थिति में बनी रहेगी। निश्चित रूप से यह अधिनियम राजभाषा हिन्दी के मार्ग पर रेगिस्तान में पानी की लकीर के दिखने–सी राहत पहुँचाने जैसा ही है। कितने वर्ष बीत गए लेकिन जो राजभाषा हिन्दी को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त होना चाहिए था, वह उसे आज तक नहीं मिला।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, कार्यालयों, निगमों, उपक्रमों एवं बैंकों आदि में राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार के लिए भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, संविधान लागू होने के पूर्व से ही कई समाज सुधारक भी पूरे देश को एक सूत्र में बाँधने के लिए हिन्दी के विकास पर अपना महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं क्योंकि हिन्दी ही हमारे देश की स्वतंत्रता की वाहिका थी और अभी वर्तमान में देश–प्रेम का अमूर्त वाहन है। इनमें से अधिकांश गैर–हिन्दी भाषी थे जैसे – राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वती और कई ऐसे अन्य राष्ट्र नेताओं एवं समाज सुधारकों के नाम हैं। स्वामी दयानन्द सरस्वती गुजराती भाषी थे एवं साथ ही साथ संस्कृत के भी अच्छे जानकार थे। हिन्दी का उन्हें सिर्फ कामचलाऊ ज्ञान था, किन्तु उन्होंने बहुत पहले ही हिन्दी की महत्ता को जान

✶ हिन्दी अनुवादक, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद

लिया था जो देश को एक सूत्र में रखने के लिए सबसे बड़ी कुंजी थी एवं अपने विचारों को आम–जन तक पहुँचाने का सबसे बड़ा माध्यम थी। इसीलिए उन्होंने अपना सारा धार्मिक कार्य हिन्दी में लिखा। उन्होंने हिन्दी के प्रयोग को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया और अपनी महान कृति 'सत्यार्थ प्रकाश' को भी जन–जन तक पहुँचाने के लिए हिन्दी भाषा में ही लिखा। वे कहते थे, 'मेरी आँखे उस दिन को देखना चाहती हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब भारतीय एक भाषा को समझने और बोलने लग जाएं।

अब प्रश्न यह उठता है कि हिन्दी को उसका यह पद कैसे दिलाया जाए? कौन से ऐसे उपाय किए जाएं जिससे हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकें। इसके लिए हमें राजभाषा नीति एवं नियमों/अधिनियमों का सख्ती से कार्यान्वयन एवं अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। सरकारी कामकाज हिन्दी में करने एवं इसके प्रचार–प्रसार के लिए हमें विभिन्न प्रकार की कार्यशालाओं, संगोष्ठियों एवं पखवाड़ा आदि का आयोजन करना पड़ता है। इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से हिन्दी के प्रचार–पसार एवं प्रयोग प्रवर्धन पर जोर दिया जाता है, लेकिन क्या सही मायने में हम समस्या मूल जड़ तक पहुँच पा रहे हैं? इस पर किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है और न इसकी जरूरत समझी जाती है।

इसका मुख्य कारण यह है कि जो सरकारी कर्मचारी हिन्दी जानते भी हैं, वे भी द्विभाषिक रूप में कार्य करने की छूट होने के कारण हिन्दी के बजाय अंग्रेजी में काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि एक तो वे पहले से अंग्रेजी में काम करने के अभ्यस्त रहे हैं, दूसरे हिन्दी में काम करने में वे हीनता अथवा संकोच का अनुभव करते हैं। यह हीनता और संकोच की भावना ही इस समय सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ने के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। आज सूचना प्रोद्योगिकी का युग है और सभी यांत्रिक साधन भी द्विभाषी उपलब्ध हैं। हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा उपयुक्त वातावरण की है। हिन्दी के काम को हमेशा कम महत्त्व दिया जाता है। ऐसे शुष्क और नीरस माहौल में राजभाषा हिन्दी को अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए वर्षों बीत जाएंगे इसलिए हमें अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते हैं, तब यह संकल्प लेते हैं कि हम अपना कार्य सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से करेंगे।

इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आज हिन्दी का प्रयोग दिन–प्रतिदिन बढ़ रहा है। हिन्दी विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। विश्व में बोली जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी भाषा बन चुकी है। संसार की उन्नत भाषाओं में यह सबसे अधिक व्यवस्थित भाषा है। हिन्दी सबसे सरल, लचीली एवं दुनिया की सर्वाधिक तीव्रता से प्रसारित हो रही भाषाओं में से एक है। हिन्दी भारत की आम जनता से जुड़ी भाषा है तथा आम जनता हिन्दी से जुड़ी है। हिन्दी सच्चे अर्थों में विश्व भाषा बनने की पूर्ण अधिकारी है।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि में वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। राजभाषा के रूप में हिन्दी के विकास, प्रचार और प्रयोग में पर्याप्त वृद्धि हुई है, फिर भी हम अपेक्षित लक्ष्य तक नहीं पहुँच सके हैं। इसके लिए संविधान द्वारा पारित नीति, नियमों एवं अधिनियमों को और अधिक सख्ती से कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। राजभाषा का एक निश्चित मानक होता है जिसके साथ छेड़–छाड़ या प्रयोग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान एवं राजभाषा किसी भी देश की पहचान होती है। इसलिए हम सभी का यह संवैधानिक दायित्व एवं कर्तव्य है कि हम अपना सरकारी कामकाज राजभाषा हिन्दी में करें एवं इस पर हमें गर्व होना चाहिए। मंजिलें दूर नहीं हैं, बस सिर्फ हमें सब का सहयोग लेते हुए सशक्त और संतुलित कदमों से राजभाषा हिन्दी के कार्य को लक्ष्य तक पहुँचाना है। उम्मीद है अपनी मंजिल तक अवश्य पहुँचेंगे।

खुशी की खोज

सभी को खुशी की चाह है, खुशी की खोज है– और यही कारण है कि हम चूकते चले जाते हैं। इसको खोजने की जरूरत नहीं है– बस जीना शुरू कर देना होता है।

खुशी के लिए कल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम कभी भी खुश नहीं होओगे।

जन–जन की भाषा हिंदी

एस.पी. तिवारी ✶

हिंदी भाषा देश के अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। इसमें देश की एकता, अखंडता, समरसता को बनाए रखने तथा देश के चहुँमुखी विकास की असीमित क्षमता है। इस लिए हम इसे जन–जन की भाषा कह सकते हैं। देश के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने के कारण भारतीय संविधान बनाने वाली मसौदा समिति द्वारा 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का निर्णय लिया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि इसकी लिपि देवनागरी होगी। 26 जनवरी, 1950 को लागू संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 120, भाग 6 में अनुच्छेद 210 और भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत राजभाषा हिंदी से संबंधित नियमों का उल्लेख किया गया है।

यहां पर यह उल्लेख करना नितांत आवश्यक है कि संविधान में व्यवस्था के बाद भी राजभाषा नीति का अनुपालन नहीं हो रहा है। वहीं पर भारत सरकार द्वारा लागू अन्य नीतियों का अनुपालन नियमतः हो रहा है। राजभाषा नीति का अनुपालन न होने का कारण इसे प्रेरणा, प्रोत्साहन से जोड़ना प्रतीत होता है। यदि इसे प्रेरणा और प्रोत्सहान से न जोड़ा जाता तो शायद आज राजभाषा की स्थिति इससे बेहतर होती। वहीं पर आज विश्व के विकसित देश जो अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र होने के बाद तुरंत अपने देश की मातृभाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में लागू कर दिया, जो आज उनकी अपनी मातृभाषा है। बिना अपनी मातृभाषा के कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता। देश के सभी प्रबुद्ध जनों, प्रशासनिक अधिकारियों, राजनेताओं, कार्यपालिका व न्यायपालिका के विशेषज्ञों को इस स्थिति से अवगत कराने की आवश्यकता नहीं, उन्हें यह पूरी तरह अहसास है कि देश की एक मातृभाषा होनी चाहिए। आवश्यकता है उनके नेतृत्व में राजभाषा नीति के अनुपालन की दिशा में सार्थक प्रयास करने की। जब तक शीर्ष स्तर से इस पर बल नहीं दिया जाता, तब तक राजभाषा विभाग के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अभी और समय लग सकता है।

हमें अपने देश व राजभाषा पर गर्व होना चाहिए क्योंकि किसी भी स्वाधीन देश के लिए जो महत्व उसके राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का है वही महत्व उसकी राजभाषा का भी है। हमें अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में ऐसे संस्कार भरने की आवश्यकता है कि उन्हें अपने देश व राजभाषा पर गर्व हो। देश को आजादी दिलाने वाले वीर सपूतों व उनकी आजादी के आंदोलन की भाषा पर गर्व हो। यह तभी संभव है, जब अंग्रेजी/हिंदी माध्यम के विद्यालयों में कम से कम स्नातक तक उक्त संबंध में आवश्यक रूप से ऐसे नैतिक पाठ जोड़े जाएं, अन्यथा आने वाली पीढ़ी का दुर्भाग्य होगा, जिसकी जिम्मेदार वर्तमान पीढ़ी होगी।

हिंदी भारतीय संस्कृति की संवाहिका होने के साथ–साथ हमारी स्वतंत्रता की प्रतीक है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण तक हिंदी/अहिंदी भाषी स्वतंत्रता के वीर सपूतों ने स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा हिंदी ही चुनी। इसका मुख्य कारण हिंदी देश के अधिकांश भाग में बोली जाने वाली भाषा थी, इसके द्वारा ही लोगों को आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित/एकजुट किया जा सकता था।

विश्व के सभी विकसित देश, जैसे चीन, जापान, रूस, अमेरिका आदि सभी देशों पर अंग्रेजी शासन था तथा वहां अंग्रेजी में ही राज–काज का कार्य होता था। लेकिन आजादी के बाद इन देशों ने तुरंत अपनी मात्रृभाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दी जिसका परिणाम यह है कि वहां पर चिकित्सा, अभियांत्रिकी, कृषि विज्ञान, न्यायालय आदि के सभी कार्य उनकी भाषा में होते हैं।

20वीं शदी के अंतिम चरण में भारत में उदारीकरण, वैश्वीकरण तथा औद्योगीकरण तेज हुआ। इस समय बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में आईं तो ऐसा लगा कि हिंदी के लिए खतरा बढ़ गया है क्योंकि उनका सारा कार्य

✶ सहायक प्रबंधक(राजभाषा) निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

अंग्रेजी में होता था। मीडिया में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले रूपर्ट मरडोक स्टॉर चैनल लेकर आए जो बड़ी धूम–धाम से अंग्रेजी में शुरू हुआ। इसके बाद, सोनी, डिस्कवरी, कार्टून नेटवर्क, एनिमल वर्ल्ड आदि चैनल अपने अंग्रेजी कार्यक्रम लेकर भारत में आए। उन्हें विवश होकर हिंदी की ओर मुड़ना पड़ा क्योंकि अपने व्यापार और लाभ को बढ़ाने के लिए आम जन तक पहुचंना था। यह हिंदी के माध्यम से ही संभव था।

कम्प्यूटर के क्षेत्र में हिंदी की स्थिति अच्छी हुई है। आज कम्प्यूटर पर स्पेनिश, जर्मन, फ्रैंच, चीनी, रूसी, हिंदी, डच आदि 60 से भी अधिक भाषाएं प्रयोग की जाती हैं। इनमें भी कम्प्यूटर के क्षेत्र में प्रसिद्ध हस्ती बिल गेट्स ने हिंदी को कम्प्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा माना है। यूनीकोड के माध्यम से अब हम हिंदी के पत्र को कहीं भी ऑनलाइन भेज सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए कम्प्यूटर पर हिंदी के कार्य को बढ़ाकर इसके प्रयोग को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। कम्प्यूटर, हिंदी को राजभाषा से राष्ट्रभाषा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

विज्ञापन के क्षेत्र में यदि हम देखें तो जो चैनल पहले केवल अंग्रेजी में विज्ञापन देते थे वे अब हिंदी में दे रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि किसी भी उत्पाद को आम जनता तक पहुंचाने के साथ–साथ कंपनी को अपना व्यापार फैलाने के लिए हिंदी का सहारा लेना आवश्यक है, क्योंकि ये हिंदी भाषा के द्वारा ही संभव है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी जन–जन की भाषा है, आमजन की भाषा है। उन्हें आमजन की भाषा में अपने उत्पाद के बारे में समझाना ही एक विकल्प था।

फिल्म तथा मनोरंजन के क्षेत्र में यदि हम नजर डालें तो पता चलता है कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी फिल्में, गाने ज्यादा देखे/सुने जा रहे हैं। यहां तक की विदेशों में हिंदी फिल्मों की मांग बढ़ रही है। ऐसा क्यों न हो, क्योंकि हिंदी विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हो गई है।

आज एक राज्य का निवासी दूसरे राज्य में टूटी–फूटी हिंदी बोलकर अपना सारा कार्य कर सकता है। विदेशी पर्यटकों की संपर्क भाषा हिंदी ही है। संचार माध्यमों में हिंदी की विराट क्षमता को किसी अन्य भाषा से कम नहीं आंका है। भाषा केवल विचारों कों व्यक्त करने का माध्यम ही नहीं होती है बल्कि किसी देश की परंपरा, विचारधारा, संस्कार, संस्कृति तथा जीवन–शैली की संवाहिका भी होती है। आज न केवल कॉरपोरेट जगत अपितु हर क्षेत्र जैसे उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, तकनीकी, लेखा, पर्यटन, विज्ञापन इत्यादि में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है, जिसका परिणाम है कि हिंदी आज जन–जन की भाषा बन चुकी है। आवश्यकता है, इसे राज–काज के कार्य में अधिक से अधिक प्रयोग करने की जिससे कि इसे इसका वास्तविक सम्मानीय स्थान प्राप्त हो सके।

आओ, सब मिलकर .....

राधेश्याम तिवारी *

आओ, सब मिलकर हाथ बढ़ाएं।
खुशियों का हम दीप जलाएं।।

आओ मिलकर पेड़ जगाएं।
धरती को हम स्वर्ग बनाएं।।
स्वच्छ बनाएं अपना देश।
रह न सके गंदा अवशेष।।
जल संरक्षण कर्तव्य हमारा।
यह नारा हम सबको प्यारा।।
आओ, सब मिलकर .....
शिक्षा हो परिपूर्ण हमारी।
आओ मिलकर करें तैयारी।।
स्वस्थ्य रहें सब भारतवासी।
तब परिभाषित होगी काबा–काशी।।
आओ, सब मिलकर .....

जब होगा कृषक कल्याण।
भारत होगा तभी महान।।
हर अन्न हमारा सोना है।
इसको कभी न खोना है।।
भंडारण करना सबको सिखलाएं।
मिलकर उन्नत देश बनाएं।।
आओ, सब मिलकर .....

जन–जन में जब होगी खुशहाली।
तभी मनेगी होली–दिवाली।
सब मिलकर सौहार्द बनाएं।
सारे जग को यह दिखलाएं।।
भारत मेरा देश महान।
युवा हमारे देश की जान।।
आओ, सब मिलकर .....

* अधीक्षक, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, द्रोणगिरि नोड, नवी मुम्बई

निगमित कार्यालय में आयोजित हिन्दी दिवस एवं पुरस्कार वितरण समारोह

हिंदी दिवस के शुभारंभ अवसर पर प्रबंध निदेशक का संबोधन

हिंदी दिवस के शुभारंभ अवसर पर उत्तर रेलवे सांस्कृतिक संगठन के कलाकारों की गीत गायन प्रस्तुति

वर्ष 2015–16 के दौरान हिंदी में उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन के लिए वित्त विभाग को प्रथम राजभाषा शील्ड प्रदत्त

वर्ष 2015–16 के दौरान हिंदी में उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन के लिए तकनीकी विभाग को द्वितीय राजभाषा शील्ड प्रदत्त

वर्ष 2015–16 के दौरान हिंदी में उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन के लिए कार्मिक विभाग को तृतीय राजभाषा शील्ड प्रदत्त

वर्ष 2015–16 के दौरान हिंदी में उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन के लिए छोटे विभागों में से पी.सी.एस. विभाग को प्रथम राजभाषा शील्ड प्रदत्त

निगमित कार्यालय में आयोजित हिन्दी दिवस एवं पुरस्कार वितरण समारोह

वर्ष 2015–16 के दौरान हिंदी में उत्कृष्ट कार्य–निष्पादन के लिए छोटे विभागों में से निरीक्षण विभाग को द्वितीय राजभाषा शील्ड प्रदत्त

हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर निदेशक (वित्त) का संबोधन

हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर निदेशक (कार्मिक) का संबोधन

हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर निदेशक (एमसीपी) का संबोधन

हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर महाप्रबंधक (कार्मिक) का धन्यवाद प्रस्ताव

हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारीगण

कार्यालय कार्य में सहज शब्द संग्रह

डॉ. हरीश कुमार सेठी ★

प्रत्येक भाषा के अपने अनेक प्रकार्य होते हैं, जिन्हें सम्पन्न करने की प्रक्रिया में एक विशिष्ट शब्दावली प्रयुक्त की जाती है। इस विशिष्ट शब्दावली का स्वरूप स्वयं में परिभाषेय होता है। इसलिए इसे ''पारिभाषिक शब्दावली'' कहा जाता है। हालांकि प्रत्येक भाषा में सामान्य और पारिभाषिक प्रकृति के शब्दों का व्यवहार होता है। सामान्य शब्दों के अर्थ और व्याकरणिक कोटि आदि जानने के लिए ''शब्दकोश'' तैयार किए जाते हैं और पारिभाषिक शब्दों के पर्याय ''पारिभाषिक शब्दावली'' अथवा ''पारिभाषिक शब्द–संग्रह'' में संकलित किए हुए होते हैं। ज्ञान–विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रशासन, वाणिज्य–व्यापार आदि ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनकी अपनी–अपनी विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावली होती है। ये सभी क्षेत्र पारिभाषिक शब्दावली का विशाल भंडार निर्मित करते हैं।

भारत में स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के प्रयास किए गए। ये प्रयास व्यक्तिगत रूप से भी किए गए और संस्थागत स्तर पर भी। स्वतंत्रता के पश्चात ये प्रयास व्यक्तिगत और प्रशासनिक स्तर पर भी नज़र आते हैं। इस क्षेत्र में काशी नागरी प्रचारिणी सभा, गुजरात विद्यापीठ, भारतीय हिन्दी परिषद, प्रयाग स्थित हिन्दी साहित्य सम्मेलन, कलकत्ता की बंगीय साहित्य परिषद, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हिन्दुस्तानी कल्चर सोसाइटी आदि शैक्षिक–साहित्यिक संस्थाओं के प्रयासों के साथ–साथ रघुनाथ पंत, डॉ. वैलेंटाइन, प्रो. त्रिभुवन कल्याणदास गुज्जर, श्री राम सुंदर त्रिवेदी, पाण्डे महेशचरण सिंह, पोपटलाल गोविंदलाल शाह, यशवंत रामकृष्ण दाते और चिंतामणि गणेश कर्वे, डॉ. रघुवीर, डॉ. जाफर हसन, पं. सुंदरलाल आदि के व्यक्तिगत स्तर पर योगदान विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैं।

पारिभाषिक शब्दावली निर्माण संबंधी मनमाने दृष्टिकोणों ने एक ही अवधारणा के लिए विभिन्न पारिभाषिक शब्द–प्रयोग संबंधी अराजकता की स्थिति पैदा कर दी थी। अराजकता की इस स्थिति को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया। इसके बाद पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की दिशा में योजनाबद्ध प्रयास शुरू किए गए। आयोग ने जनवरी 1962 से विधिवत रूप से काम करना शुरू किया और उसके द्वारा विभिन्न विषयों की पारिभाषिक शब्दावलियां तैयार की गईं। आयोग के द्वारा किए जा रहे प्रयास आज भी जारी हैं।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की पारिभाषिक शब्दावली निर्माण के क्षेत्र में अधिकारिता है। शिक्षा, प्रशासन आदि समस्त क्षेत्रों में आयोग द्वारा निर्मित मानक शब्दावली प्रयोग के ही हर जगह प्रयोग की बाध्यता है। लेकिन, इसके बावजूद कतिपय विद्वानों ने विभिन्न विषयों पर पारिभाषिक शब्दावलियां भी तैयार की हैं। ऐसे में अखिल भारतीय स्तर पर पारिभाषिक शब्दावली व्यवहार में अनेकरूपता की स्थिति बनी रह गई। इस अनेकरूपता को दूर करने के लिए पारिभाषिक शब्दावली के बारे में उच्चतम न्यायालय ने भी यह निर्णय लिया है कि अखिल भारतीय स्तर पर आयोग के द्वारा निर्धारित पारिभाषिक शब्दावली का ही पालन किया जाए। मानक पारिभाषिक प्रयोग की वांछनीयता, एकरूपता एवं समानता की दृष्टि से यह अनिवार्यता सार्थक है।

देखने में यह आ रहा है कि आज भी केवल व्यक्तिगत–संस्थागत स्तर पर ही नहीं, अपितु विभिन्न विभागों–कार्यालयों आदि द्वारा अपने–अपने प्रशासनिक स्तर पर भी शब्दावली निर्माण कार्य के प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं। यानि भारत सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वैज्ञानिक

★ सहायक प्रोफेसर, अनुवाद, अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ, इग्नू, नई दिल्ली।

संगठनों, बैंकों और अन्य एजेंसियों आदि के द्वारा स्वयं भी शब्दावलियां/शब्द–संग्रह प्रकाशित किए गए हैं। इसका मूल कारण तलाश करने पर यह पता चलता है कि हालांकि, आयोग द्वारा प्रकाशित शब्दावलियां अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में काफी सफल रही हैं, लेकिन इनमें सरकार के सैकड़ों विभागों–कार्यालयों आदि के प्रकार्यों के अनुसार शब्दों एवं उनके अर्थों–पर्यायों के भिन्न–भिन्न एवं प्रयोग–आधारित भेदों को शामिल करना असंभव था। विभिन्न विभागों के द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति एक जैसी नहीं होती। उनके तकनीकी कार्यों की भिन्न पृष्ठभूमि के कारण कार्यालय–विशेष के कार्य–व्यापार के संचालन से संबंधित कमोवेश सभी पारिभाषिक शब्दों के पर्याय उपलब्ध कराने में कोई एक शब्दावली सफल नहीं हो सकती। इसलिए अब आयोग अपने द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और मानकों के अनुसार शब्दावली तैयार करने के अलावा सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वैज्ञानिक संगठनों, बैंकों और अन्य एजेंसियों को अपने–अपने संगठनों में अंतर्विभागीय प्रयोग के लिए अपनी–अपनी विभागीय शब्दावलियां प्रकाशित करने में सहायता भी कर रहा है।

इस संदर्भ में केन्द्रीय भण्डारण निगम की ''भण्डारण शब्दावली'', नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड की ''कार्यालयीन एवं तकनीकी शब्दावली'' और भारत सरकार के आयकर विभाग, आयकर निदेशालय (गवेषणा, सांख्यिकी, प्रकाशन एवं जन संपर्क) की ''प्रत्यक्ष कर शब्दावली'', विद्युत मंत्रालय की ''विद्युत शब्दावली'', भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) की ''समेकित वैज्ञानिक एवं पारिभाषिक शब्दावली'', दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ''मानक बीमा शब्दावली'' तथा राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की ''लघु हिन्दी सहायिका'' आदि विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैं। इनमें शामिल पारिभाषिक शब्दों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित रूप (पर्याय) शामिल किए हुए हैं। इन शब्दावलियों को या तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के संयुक्त तत्वावधान में तैयार किया गया या फिर आयोग के अनुमोदन से प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा, विभिन्न विभागों आदि के द्वारा भी स्वयं इन्हें तैयार किया–कराया जा रहा है। प्रस्तुत आलेख में केन्द्रीय भण्डारण निगम की ''भण्डारण शब्दावली'' पर चर्चा की जा रही है। ''भण्डारण शब्दावली'' के अब तक दो संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। सात भागों में विभाजित इस शब्दावली (द्वितीय संस्करण) में कुल 152 पृष्ठों में ''भण्डारण एवं प्रशासन'', ''वित्त एवं लेखा'', ''अभियांत्रिकी'', ''विभागों/अनुभागों के नाम'', ''निगम में पदनाम'', ''अधिसूचित वस्तुओं के नाम'', और ''वाक्यांश एवं अभिव्यक्तियां'' दी हुई हैं। केन्द्रीय भण्डारण निगम ने हिन्दी में बिना किसी संकोच एवं हिचकिचाहट के कार्यालय का काम करने के लिए काफी समय पहले ''भण्डारण शब्दावली'' का प्रथम संस्करण प्रकाशित किया था। समय बीतने के साथ–साथ, जैसे–जैसे निगम ने अपने कार्य–क्षेत्र का विस्तार करके कई नए क्षेत्रों में प्रवेश किया तो इस विविधता ने ऐसे नए शब्दों से साक्षात कराया जो ''भण डारण शब्दावली'' में नहीं थे। इसके अलावा, आई.एस. ओ. प्रमाण, राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था में उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण भी नए शब्दों के परिचय ने शब्दावली को अद्यतन करने की जरूरत महसूस कराई। इसकी परिणति संशोधित संस्करण के प्रकाशन में हुई।

इसमें कोई संदेह नहीं कि समीक्ष्य शब्दावली में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा निर्धारित शब्दावली का आधार लिया गया है। यह आधार लिया भी जाना चाहिए, अन्यथा उसकी प्रासंगिकता संदिग्ध हो जाएगी। शब्दावली में सर्वप्रमुख बात यह है कि इसमें भण्डारण से जुड़ी शब्दावली संकलित की गई है और अपनी जरूरत को ध्यान में रखते हुए उससे जुड़े अन्य शब्द भी संकलित किए गए हैं। जैसे– आयोग की शब्दावली में केवल 'abandonment', 'access', 'contraband' आदि शब्द नजर आते हैं, लेकिन भण्डारण शब्दावली में इनका विस्तार 'abandoned cargo', 'access road', 'contraband goods' के रूप में नजर आता है। वहीं आयोग की शब्दावली अगर 'abstract of tender' का समतुल्य उपलब्ध कराती है तो भण्डारण शब्दावली 'abstract of goods'।

इस प्रक्रिया में केवल प्रशासन से जुड़ी ''प्रशासनिक शब्दावली'' ही नहीं, विज्ञान–प्रौद्योगिकी आदि ज्ञान–विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंधित शब्दावली को भी शामिल किया गया है। जैसे, 'acid text', 'admixutre', 'aerobic', 'agglomeration', 'aggrieved', 'airfreight', 'meliorate baffle plate', 'bait', 'hack',

'multi pronged efforts', 'burrow', 'cotton seed', 'damp prof', 'egress', 'exude', 'gadget', 'garlic', gas plant', 'gunny bag', 'heat proof', 'larvacide', 'insecticide', 'moisture proof film', 'performating machine', 'xylograph', 'xylem' शब्द आदि। इसका कारण समझ में आता है कि एक अवधारणा के रूप में ''भण्डारण'' स्वयं में व्यापक एवं विशिष्ट गतिविधि है। आज निगम कस्टम बाण्डेड वेअरहाउसों, कंटेनर फ्रेट स्टेशनों/अंतर्देशीय निकासी डिपुओं, एअर कार्गो कॉम्प्लैक्स, कंटेनर रेल टर्मिनलों के प्रचालन सहित लॉजिस्टिक एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तथा पेस्ट नियंत्रण आदि विविध क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। निगम की इस विविधतापूर्ण गतिविधियों का संबंध प्रशासन, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, जीव विज्ञान, कीट विज्ञान, रसायन विज्ञान, अभियांत्रिकी आदि ज्ञान–विज्ञान के विभिन्न विषय–क्षेत्रों के साथ है। इस प्रकार प्रशासन–इतर ज्ञान–विज्ञान की विभिन्न शाखाओं और प्रशाखाओं की शब्दावली के चयन से निगम की जरूरत पूरी हो जाती है।

विशेष बात यह भी है कि निगम की जरूरत को ही ध्यान में रखते हुए इसमें ''सामान्य शब्दावली'' एवं उनके हिन्दी पर्यायों को भी शामिल किया गया है। 'garbage', 'gaseous', 'grassroots', 'irritation', 'ivory', 'jettison', 'jewel', 'jim-dandy', 'juncture', 'juxtapose', 'mesh', 'pack niddle', 'yeast', 'weigh bridge' आदि कुछ इसी प्रकार के शब्द समावेश के उदाहरण हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो इसे भण्डारण शब्दावली की उल्लेखनीय विशेषता ही कहा जाएगा कि इसमें आवश्यकता के अनुसार पारिभाषिक एवं सामान्य, दोनों ही प्रकार के शब्द तथा पदबंधों को शामिल किया हुआ है और इसी आधार पर ही ''भण्डारण शब्दावली'' शीर्षक सार्थक प्रतीत होता है।

आयोग द्वारा तैयार की गई शब्दावली से तुलना करने पर यह नजर आता है कि ''भण्डारण शब्दावली'' में सभी पर्याय विकल्पों को शामिल नहीं किया हुआ है। कहीं समतुल्य पर्याय अधिक दिए गए हैं तो कहीं भिन्न पर्याय प्रयोग किए गए हैं।

निगम द्वारा निर्धारित कई पर्याय अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त प्रतीत होते हैं। उदाहरण के लिए 'perishable goods' के लिए आयोग ने "**विनष्च माल**" निर्धारित किया है, जबकि निगम ने इसके लिए ''शीघ्र खराब होने वाला माल'' पर्याय दिया है। इसी प्रकार 'permissible' के लिए "**अनुमत्य, अनुज्ञेय**" के स्थान पर ''स्वीकार्य'' तथा 'perpetual' के लिए ''kk'or, निरंतर, चिर'' के स्थान पर केवल ''स्थायी'' का प्रयोग। इसी तरह, 'zigzag' के लिए ''टेढ़ा–मेढ़ा'' शब्द को न रखकर ''आड़ा–तिरछा'' का प्रयोग देशज आस्वाद कराता है। लेकिन 'persuade' के लिए आयोग द्वारा निर्धारित ''1. समझाना, मनाना 2. सहमत कराना'' के स्थान पर केवल ''समझाना–बुझाना'' का प्रयोग अर्थ को संकुचित कर देता है। इसके अलावा, 'yours sincerely' और 'yours truly' के लिए ''आपका/आपकी'' निर्धारित किए हैं, जो गलत है। वैसे भी यह जेंडर संवेदनशीलता से जुड़ा पक्ष है। इसलिए ''आपका/भवदीया'' शब्द निर्धारण एवं प्रयोग ही उचित है।

वैसे भण्डारण शब्दावली में कहीं–कहीं गलत विकल्प भी नज़र आते हैं। जैसे– 'eco-friendly' और 'market. friendly' में 'friendly' शब्द के लिए ''अनुकूल'' शब्द प्रयुक्त किया गया है। ध्यान देने की बात यह है कि 'friendly' शब्द के लिए सभी जगह ''अनुकूल'' शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा क्योंकि 'eco/environment friendly' के लिए ''पर्यावरण हितैषी'' शब्द निर्धारित किया हुआ है। इसी प्रकार 'no smoking area' ''धूमपान निषिद्ध क्षेत्र'' न होकर ''धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र'' होना चाहिए। वहीं 'post-facto sanction' ''कार्येत्तरी मंजूरी'' न होकर ''कार्योत्तर मंजूरी'' है।

भण्डारण शब्दावली में 'lunch' के हिन्दी पर्याय ''मध्याह्न भोजन, लंच'' पर्याय दिए गए हैं। इनमें से ''मध्याह्न, शब्द के पश्चात अल्प–विराम नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार 'pit' और 'gadget' के पर्याय क्रमशः ''गड़ढा'' और ''मशीन का छोटा पूर्जा'' लिखे हैं, जबकि सही वर्तनी ''गड्ढा'' और ''मशीन का छोटा पुर्जा'' है।

इसके अलावा, ''भण्डारण शब्दावली'' में कहीं–कहीं मानकता का भी अभाव नजर आता है। उदाहरण के लिए, 'parallel' के लिए ''समानांतर'' पर्याय दिया हुआ है। यह प्रयोग अब पुराना पड़ गया है। अब केवल ''समांतर'' शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। आयोग ने भी यही पर्याय

दिया हुआ है। इसके अलावा, हिन्दी की मानक वर्तनी का भी पालन किया जाना जरूरी है। निगम, भविष्य में, जब कभी अपनी शब्दावली का संशोधन–परिवर्द्धन करे तो जहां जरूरी हो वहाँ शब्दावली के साथ उसके संक्षिप्ताक्षर (एब्रीविएशन) भी दे दे। जैसे, 'first information report' के संक्षिप्ताक्षर 'FIR' को भी कोष्ठक में दिया जाना चाहिए। इससे शब्दावली की प्रासंगिकता बढ़ जाएगी, वह और अधिक सहज संप्रेष्य हो जाती है।

शब्दावली का भाग 5 ''निगम में पदनाम'' तथा भाग 6 में ''अधिसूचित वस्तुओं की सूची'' दी हुई है। ध्यान देने की बात यह है कि ये अंग्रेजी के वर्णक्रम के अनुसार व्यवस्थित नहीं हैं। भविष्य में जब इस शब्दावली को संशोधित किया जाए, तो इन्हें वर्णक्रम में व्यवस्थित करके शामिल करना उपयुक्त रहेगा।

अब तक की गई चर्चा का उद्देश्य शब्दावली में दिए गए पर्यायों को निरर्थक बताना या इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न–चिह्न लगाना नहीं है। इस चर्चा के मूल में यह धारणा है कि शब्दावलियों/शब्द–संग्रहों आदि को अद्यतन करके संशोधित करने की निरंतर आवश्यकता बनी रहती है। ऐसा करते समय, आयोग द्वारा निर्धारित अद्यतन शब्दावली से मिलान जरूरी है। वैसे भी निगम की कार्य–प्रणाली में विविधता को ध्यान में रखते हुए इसका परिवर्द्धन–संशोधन और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आज की तारीख में कॉर्पोरेट जगत में काफी परिवर्तन आ चुके हैं इसलिए निगम में प्रयोग होने वाले नए–नए शब्दों के समतुल्यों को भी शब्दावली में शामिल किया जाना चाहिए ताकि सटीक पर्यायों का प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। बेहतर तो यह भी रहेगा कि इसे निगम की वेबसाइट पर भी डाल दिया जाए ताकि यह ऑनलाइन भी उपलब्ध हो सके।

क्या नारी तेरी यही कहानी

रजनी साव *

नारी शक्ति है,
नारी है अभिमान।
नारी ज्वाला है,
नारी है शांत।
नारी के हर रूप में है
उसकी अपनी जगह और अपनी पहचान।
फिर भी आज के कलयुगी समाज में
है वह अकेली जान।
हर पल, हर जगह
उसे एक डर है,
हर अत्याचार, हर अपमान ने बना लिया
उसे अपना घर है।
इतनी प्रगति करने पर भी
क्या, नारी तेरी यही कहानी?

नहीं हो कमजोर तुम .....
नहीं हो किसी से कम .....
आओ आगे बढ़े और करें सामना
खुद पर हो रहे अत्याचार और अपमान का
दिखा दें इनको अपनी ताकत और अपना आत्मबल
कोई कह न सके ..... बेचारी, अबला, अकेली।
क्यों भूली बैठी हो? कि .....

तुम लक्ष्मी हो, तो दुर्गा भी तुम ही हो,
यदि हो पार्वती, सीता, तो काली चंडिका भी तुम ही हो,
उठो जागो अपनी अंतर्शक्ति को पहचानो,
कि .....
कोई फिर नहीं कभी दुहराएगा
ये कहानी कि, क्या नारी तेरी यही कहानी?

* पूर्व हिंदी अनुवादक, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूरु

सम्मान की हक़दारिणी – हमारी राजभाषा

रेखा दुबे ✶

भारतीय संविधान बनाने हेतु गठित मसौदा समिति की बैठक में 14 सितंबर, 1949 को यह निर्णय लिया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। तत्पश्चात् 26 जनवरी, 1950 से लागू संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 120, भाग 6 में अनुच्छेद 210 और भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग के संबंध में प्रावधान किए गए। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने की कहानी तो यही है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा तो संविधान ने दे दिया लेकिन वह बस कुछ अनुच्छेदों में ही सिमट कर रह गई है। हिंदी जन–जन की भाषा तो प्रारंभ से रही है किंतु केवल बोलचाल के लिए, कागजों पर उतर कर सर्वसाधारण की लेखनी का माध्यम बनकर वह अब तक पूर्ण अस्तित्व में नहीं आ पाई है। राजभाषा हिंदी की अभी तक की स्थिति पर यदि गौर करें तो इतने वर्षों में स्थिति में बस कुछ सुधार है। इसके लिए हमारी इच्छा शक्ति में कमी के अतिरिक्त अगर कोई जिम्मेदार है तो वह है हमारा सिस्टम अर्थात् हमारी प्रणाली। एक तरफ तो कागज़ों पर हिंदी को हमारी राजभाषा घोषित कर मुकुट पहना दिया गया है तो दूसरी ओर हिंदी में कार्य करने वालों को प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कार दिया जाता है। यदि हमारी नीतियों में जोर होता तो क्या यह संभव नहीं था कि इतने वर्षों के संघर्ष में जीत हिंदी की होती।

कभी–कभी स्थिति हास्यास्पद लगती है कि अपनी राजभाषा में काम करने के लिए हमें प्रलोभन देना पड़ता है। क्या सरकारी नीतियों में संशोधन की आवश्यकता नहीं ? क्या आज भी प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना के माध्यम से ही हिंदी को जन–साधारण द्वारा अपनाया जा सकेगा। साथ ही क्या ये जन साधारण का कर्तव्य नहीं है कि वह स्वेच्छा से हिंदी में कार्य करें। कोई हमसे नहीं कहता है। कि अपनी मां का सम्मान करें, अपनी मातृभूमि का सम्मान करें तो अपनी भाषा के सम्मान के लिए हम किसी नीति के मोहताज क्यों हैं ? एक सितम्बर से प्रत्येक कार्यालय में हिंदी पखवाड़े की तैयारी जोर–शोर से शुरू होती है। 14 सितम्बर को हिंदी दिवस मनाकर कार्यक्रम की समाप्ति के साथ–साथ राजभाषा के कार्य में हुई प्रगति भी मंद पड़ने लगती है। इस दौरान राजभाषा के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जिसमें नकद पुरस्कारों के माध्यम से अपनी राजभाषा में कार्य करने के लिए रिश्वत ही तो मिलती है हमें। कैसी विडंबना है कि हमें अंग्रेजों की दासता से मुक्त हुए तो 69 वर्ष हो गए लेकिन उनकी भाषा अभी भी हमारे सामने अडिग होकर हिंदी को अंगूठा दिखा रही है कि पहले तो तुमने हमारे देश की दासता को स्वीकारा अब हमारी भाषा की दासता सहो।

हमारी नीति ऐसी क्यों कि हिंदी को उसका दर्जा दिलाने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए जा रहे। जब हम अपने घर, अपने आसपास, अपने मित्रों, सहयोगियों से हिंदी में वार्तालाप करते हैं तो इसका तात्पर्य तो यही है कि आपसी विचार–विनिमय के लिए हमें हिंदी माध्यम ही उपयुक्त लगता है और हम इसे भली–भांति समझ पाते हैं तो फिर यही विचार लिखते समय हमारे मस्तिष्क में क्यों नहीं कौंधता? क्यों हम हिंदी का कोई नोट या परिपत्र देखते ही कह उठते हैं कि हमें हिंदी नहीं आती या हम हिंदी में काम नहीं कर सकते? हिंदी में काम करना हमारे लिए गौरव की बात होनी चाहिए शर्म की नहीं। फिर क्यों हम अपनी भाषा में काम करने से कतराते हैं? हम ये नहीं कहते कि अंग्रेजी का प्रयोग बिल्कुल न हो। अंग्रेजी में प्रचलित शब्दों का प्रयोग जब हम बोलचाल में करते हैं तो फिर हिंदी में लिखते समय भी उन्हें अपना सकते हैं। कार्यालय कार्य में लेखन का माध्यम हिंदी को बनाएं तथा उसमें अंग्रेजी के रचे बसे शब्दों का प्रयोग कर हिंदी लिखने का प्रयास तो करें। लेकिन हिंदी के कठिन शब्दों का प्रयोग कर आत्म संतोष प्राप्त करना सही नहीं है कि हमें हिंदी का ज्ञान है। ऐसी भाषा के प्रयोग का कोई औचित्य नहीं जिसे समझने के लिए हमें किसी की मदद

✶ सहायक प्रबंधक (राजभाषा), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

लेनी पड़े। हिंदी का कठिन रूप प्रस्तुत न किया जाए कि पढ़ने वाला लिखने का साहस ही न जुटा पाए। कई बार लोग अपना पांडित्य प्रदर्शित करने के लिए भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हिंदी को जनसाधारण से दूर करते जा रहे हैं। उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा पढ़ने वाले को भयभीत कर देती है कि हिंदी ऐसी होती है तो मैं हिंदी में काम करने में सक्षम नहीं हूं। हमें अनुवाद पर आधारित न होकर मूल कार्य की शुरूआत ही हिंदी में करने का "साहस" करना चाहिए। "साहस" शब्द का प्रयोग इसलिए क्योंकि कई लोगों के लिए हिंदी में कार्य करना किसी दुस्साहस के बराबर है। मेरा मानना है कि अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से राजस्थान तक कोई भाषा है जो आम जनता में अधिकाधिक बोली और समझी जाती है और सभी के दिलों को छूती है या अभिव्यक्ति को ग्रहण कर पाती है तो वह हिंदी ही है। फिर हम क्यों कहें कि हमें हिंदी नहीं आती।

कई व्यक्ति तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम हिंदी बोल तो सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। ऐसी धारणा मन में क्यों उत्पन्न होती है? जब अंग्रेजी हमारी बोलचाल का माध्यम न होते हुए भी लेखनी पर अपना अधिकार जमा चुकी है तो फिर हिंदी का प्रयोग तो हम आपसी बातचीत के लिए करते हैं फिर भला लिखने में समस्या क्यों? यहां आवश्यकता है अपनी मानसिकता बदलने व इच्छा शक्ति को जाग्रत करने की। वे हिंदी में काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके सोचने का ढंग ऐसा हो गया है कि वे हिंदी में लिख नहीं सकते या उनके पास शब्दों का अभाव है। लेकिन थोड़े से प्रयास से वे अपनी इस दुविधा से मुक्ति पा सकते हैं क्योंकि प्रयास ही हमें मंजिल की ओर ले जाता है। आप किसी भी काम की शुरूआत नकारात्मक सोच से करेंगे तो कार्य में सफलता नहीं मिलेगी।

दिल में हैं गर पक्के इरादे,
खुद से हैं गर सच्चे वादे,
एक दिन आसां होगा सफर ।

केवल हिंदी के प्रयोग के संबंध में नहीं बल्कि जीवन के हर मोड़ पर कठिनाई या विषम परिस्थितियों में इन पंक्तियों को याद कर कदम बढ़ाइये तो आप अपने उद्देश्य में सफल होंगे।

एक आम धारणा है कि जो हिंदी में बात करते हैं या काम करते हैं उन्हें अंग्रेजी नहीं आती या वे किसी की ओर अपना ध्यान आकृष्ट नहीं कर पाते। इस संबंध में मैं अपना एक अनुभव आपके साथ बांटना चाहूंगी। मैं और मेरा भाई एक प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने पापा के इलाज के सिलसिले में गए। हॉस्पिटल के बिलिंग कर्मचारी ने उनके कुछ ऐसे टैस्ट थे जिसमें रेट सही नहीं लगाये थे। जब मेरा भाई काउंटर पर गया तो वहां एक परिवार खड़ा था जो काफी परेशान लग रहा था। वह काउंटर के कर्मचारी से कुछ बात करना चाह रहा था लेकिन उसका अपीयरैंस कुछ ऐसा था कि काउंटर का कर्मचारी उसकी बातों की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। मैं काउंटर के काफी पीछे थी लेकिन उसकी आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी कि उसकी बिलिंग भी ज्यादा थी। जब हॉस्पिटल के कर्मचारी ने उसे मदद करने से इंकार कर दिया था तो वह मजबूर होकर बिल काउंटर पर बिल जमा कराने गया। फिर मेरे भाई की बारी आई। उसने अंग्रेजी में बात करना शुरू किया और अपने मोबाइल में नैट के जरिये उसे रेट लिस्ट दिखाई और कैश डिपोजिट करने पर छूट की भी बात की। वह कर्मचारी मेरे भाई की बात को ध्यान से सुन भी रहा था और काफी नम्रता से जवाब दे रहा था। उसने फोन से अपने अधिकारी से बात की और हमारी बिलिंग में कमी के साथ हमें डिस्काउंट भी मिला। मैं एक दिन ऑटो से कहीं जा रही थी। मेरी बहन का फोन आया और उसने मुझसे उस हॉस्पिटल के बारे में पूछा जहां मेरे पापा का इलाज हुआ था क्योंकि उसकी एक सहेली को वहां जाना था अपने इलाज के लिए। मैंने उसे बताया कि उनकी बिलिंग कुछ सही नहीं है। फिर मैंने उस दिन की घटना सुनाई कि कैसे भाई के कहने पर हमें हॉस्पिटल में डिस्काउंट मिला। ऑटो वाला ये बात सुन रहा था। उसने मुझसे जो बात कही वो मेरे दिल को छू गई। उसने कहा कि मैडम ये दिल्ली का कल्चर है जो इंसान अच्छे कपड़े पहने और अंग्रेजी में बात करे उसके काम आसानी से हो जाते हैं। उसकी इस बात ने मुझे हॉस्पिटल के उस परिवार की याद दिला दी जो काफी साधारण वस्त्रों में था

और उसकी बातचीत का माध्यम भी हिंदी था। मैंने महसूस किया कि ऑटो वाले के माध्यम से हममें से कई लोग अपने अनुभवों को जीवंत कर पाए। वास्तव में दिल्ली का कल्चर कुछ ऐसा ही है। इस अनुभव के माध्यम से मैं यह नहीं कहना चाहती कि जो हिंदी में बात करता है उसके काम नहीं होते। होते हैं लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि उन्हें अपने अंदर कई और गुणों को भी धारण करना होगा जैसे अपने तर्क को साबित करने हेतु वाकपटुता और अपने सामान्य ज्ञान के साथ आत्मविश्वास। अपने मन में कभी कुंठा न आने दीजिए कि आपको अंग्रेजी नहीं आती। फिर भी मन कभी कुंठित हो तो उस समय आप माननीय प्रधान मंत्री के अमरीकी मंच या विदेशों के मंच पर दिए गए उनके हिंदी के भाषणों के दौरान हुई तालियों की गड़गड़ाहट को याद कीजिए। उस समय हर भारतीय के भीतर उत्पन्न हुए गर्व को महसूस कीजिए कि विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के मंच से एक भारतीय ने अपनी भाषा में अपनी बात को इस आत्मविश्वास से रखा कि वहां उपस्थित सभी लोगों ने भरपूर तालियों से उनके वक्तव्य की भूरी–भूरी प्रशंसा की। मुझे लगता है कि उस समय प्रत्येक भारतीय के मन में गौरव का अनुभव हुआ होगा और उसका श्रेय हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री को जाता है जिन्होंने पहली बार राजभाषा हिंदी का झण्डा दूसरे राष्ट्रों में भी फहराया।

अगर हमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा वास्तविक रूप में देना है तो इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी मानसिकता को बदलें और अपने भीतर इच्छा शक्ति जगाएं। साथ ही हमारी प्रणाली में भी कुछ ऐसे सुधारों की आवश्यकता है जिससे प्रभावित होकर हम स्वयं बिना किसी प्रोत्साहन की उम्मीद के स्वेच्छा से अपनी भाषा को अपनाएं । एक प्रयास तो करना होगा अपनी भाषा को सम्मान दिलाने की ओर।

जो सफर की शुरूआत करते हैं,
वही मंजिल को पार करते हैं,
बस एक बार चलने का हौसला रखिये,
कोशिश करने वालों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं

जिस प्रकार स्वतंत्र भारत ने प्रत्येक भारतीय को एक स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है, उसी प्रकार प्रत्येक भारतीय का यह दायित्व है कि वह अपनी राजभाषा हिंदी को दिल से स्वीकारे और मां की तरह सम्मान दें। हम गर्व से कहें कि हम भारतीय हैं और हिंदी विश्व में सम्मान की हक़दारिणी है।

ये वो बंद मुट्ठी है

विनीत निगम *

किसी की नज़र लग गई या ऐसा सदियों से होता आया है,
किसी ने हमारे भाईचारे में जहर घोल डाला है।
ये सच है घर के चार बर्तन होते हैं तो,
आपस में टकराने की आवाज भी आती है।।
बेशक प्यार में झगड़ा भी और लड़ाई भी होती है,
पर गैरों को हक़ नहीं भाई से भाई को जुदा करे कोई।
अपने खून से सींचा है ये बाग सबने मिल के,
फिर मेरा तेरा का सवाल ही कहां उठता है।।

जिन्हें मालूम नहीं कि ये खून हिंदुस्तानी है,
उनको बता दो कि ये वतन हम सबका है।
इस पर मर मिटनेवाला सिपाही सच्चा हिंदुस्तानी है,
उन्हें बता दो हिंदु–मुस्लिम एकता पर नाज़ हमें है ।।
ये वो बंद मुट्ठी है जिसे कोई खोल नहीं सकता,
फरिश्तों की इस जमीं पे अब खून बह नहीं सकता।
जिन्हें मुग़ाल्ता है उन्हें उनके अंदाज़ मुबारक,
क्योंकि बुराई से बुराई कोई खत्म कर नहीं सकते।।

ये वो देश है जहाँ जौहर में पदमनियां कूद जाती हैं,
घास की रोटी खा के लड़ाई लड़ी जाती हैं।
ऐसे मुल्क को कोई क्या मिटा पाएगा,
जो सोचेगा ऐसा खुद ब खुद मिट जाएगा।

* पूर्व प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, नवी मुम्बई

कृषक महिला सशक्तिकरण

अभिलाषा कुलश्रेष्ठ ✶

ग्रामीण महिलायें घरेलू कार्य जैसे घर की सफाई, भोजन बनाना, कपड़ों व बिस्तर की सफाई, घर को व्यवस्थित करना और बच्चों की देखभाल विशेषकर 5 वर्ष से छोटे बच्चों की देखभाल के साथ–साथ पशुओं की साफ–सफाई व देखभाल, भोजन देना, बागवानी, फसल में निराई, गुड़ाई, बीज बोना, फसल कटने के बाद की क्रिया, खाद बनाना व बिखेरना, नर्सरी से पौध निकाल कर खेत में रोपाई का कार्य, अनाज भंडारण और फसल कटाई का काम कुशलतापूर्वक करती हैं। दूध से संबंधित सभी कार्य भी वही करती हैं। बहुत–सी जगह तो डेरी के काम के साथ महिलायें चारा लाने का कार्य भी करती हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इनका योगदान लगभग 25 प्रतिशत है। डेरी में महिलाओं का सर्वाधिक योगदान है।

आज के युग में भी ग्रामीण व शहरी महिलायें घर पर, घर से बाहर पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। इसका समाचार प्रतिदिन आने वाले समाचारपत्र में देखा जा सकता है। अतः महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने हेतु शारीरिक सशक्तिकरण, तकनीकी सशक्तिकरण, शैक्षिक सशक्तिकरण, व सामाजिक सशक्तिकरण की आवश्यकता के साथ राजनैतिक, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक सशक्तिकरण की पूरी तरह जरूरत है, तभी महिलायें पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

1970 के दशक से ग्रामीण महिलाओं के विकास हेतु सारे संसार में प्रयास किये जा रहे हैं। हमारे भारत में भी इस प्रकार के प्रयास विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सरकारी व गैर–सरकारी संगठनों द्वारा किये जा रहे हैं। लेकिन ये प्रयास पर्याप्त नहीं हैं, अतः विभिन्न स्तरों पर जागरूकता लाने की आवश्यकता है।

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की राह में अभी भी कई अवरोध हैं। यद्यपि, भारतीय कानून में स्त्री–पुरुष को समान अधिकार दिए गए हैं, किन्तु व्यावहारिक रूप में इसका पालन नहीं हो पा रहा है। खेती व घरेलू कार्यों में निर्णय लेने हेतु वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। इन्हें खेती, पशुपालन, शिशु पालन की कम तकनीकी जानकारी होती है। कृषि यंत्रों को चलाने की कार्य प्रणाली का भी सम्पूर्ण ज्ञान उन्हें नहीं होता है। बहुत से यंत्र वे चला भी नहीं पाती हैं। वे अपने सामाजिक बंधनों व रीति–रिवाजों की खातिर मीडिया व प्रसार कार्यकर्त्ताओं से संपर्क नहीं कर पाती हैं। घरेलू कार्यों की व्यस्तता के कारण वे प्रसार कार्यक्रमों में भाग नहीं ले पाती हैं।

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु जो विभिन्न प्रसार कार्यक्रम चलाये जाते हैं, यह कार्यक्रम उनके प्रारंभिक ज्ञान व बौद्धिक स्तर के अनुसार ही चलाये जाएं। ग्रामीण महिलाओं को शत–प्रतिशत साक्षर बनाया जाये ताकि वे भी दूसरों की बात को पढ़ सकें और अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकें।

ग्रामीण महिलाओं की समस्या व आवश्यकता जानने हेतु उनका सर्वेक्षण व शोध किया जाये। महिलाओं से संपर्क करने हेतु अधिक से अधिक महिला प्रसारकर्त्ताओं को लगाया जाये। महिलायें भी स्वयं सहायता समूह बनाकर अपनी आर्थिक उन्नति हेतु प्रयास करें। ग्रामीण महिलाओं के लिए उचित व प्रभावकारी शैक्षिक प्रसार विधियां अपनाई जायें। उनके लिए 'गतिमान प्रशिक्षण यूनिट' जानकारी व ज्ञान देने हेतु प्रयोग में लाई जाए।

स्थानीय शिक्षित, अविवाहित या विधवा महिला को महिला प्रसार कार्यकर्त्ता बनाने में प्राथमिकता देना। महिला समूहों को भ्रमण द्वारा तकनीकी जानकारी देना, पत्नी और पति को जोड़े के रूप में प्रसार हेतु कार्य पर रखना, महिलाओं को प्रसार के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए अन्य समकक्ष कर्मचारियों से अधिक आर्थिक लाभ, प्रमोशन, वेतन वृद्धि व ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का भत्ता दिया जाये जिससे इस क्षेत्र में योग्य महिलायें आ सकें।

ग्रामीण महिलायें सशक्तीकरण हेतु स्वयं भी प्रयास कर सकती हैं, वे स्वयं विभिन्न क्षेत्रों, जैसे– खेती, ऋण, श्रम व बाजार की वृद्धि के क्षेत्र में अपनी जानकारी बढ़ायें,

✶ पत्नी श्री प्रवीन गहराना, एसआईओ, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

महिलाओं का समूह बनायें व विकास कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी जानकारी बढ़ायें, खेती के क्षेत्र में विभिन्न पुस्तक–पुस्तिकायें पढ़कर व प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी तकनीकी जानकारी बढ़ायें, खेती व घर के कार्यों में श्रम व समय बचत के उपकरणों का प्रयोग करें, स्व–रोजगार द्वारा आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ायें।

खाली समय का उपयोग क्रियात्मक व कलात्मक कार्यों में करें, जिससे खेती के साथ अन्य साधनों से भी आय प्राप्त कर सकें। टी.वी., आकाशवाणी के कार्यक्रमों को समूह में देख व सुनकर आपस में चर्चा करके लाभ कमायें। स्वयं अपने आप में जागृत हों व आस–पास की महिलाओं को भी जागृत व शिक्षित करें। अतिरिक्त आय के द्वारा स्वयं व सम्पूर्ण परिवार को संतुलित भोजन प्रदान करें।

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में कृषि विज्ञान केन्द्रों का बहुत योगदान रहा है। यहां पर खेती, बागवानी, मृदा विज्ञान तथा पशुपालन का प्रशिक्षण किसानों को दिया जाता है। महिलाओं को प्रशिक्षण देने का कार्य महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। प्रशिक्षण देने से पूर्व सर्वेक्षण द्वारा उनकी रुचि, आवश्यकता, शैक्षिक स्तर, खाली समयावधि को जानकर खेती, बागवानी, मृदा (मिट्टी) विज्ञान, पशुपालन व खेती से संबंधित क्षेत्रों के साथ–साथ गृह विज्ञान का भी व्यावहारिक प्रशिक्षण क्रियात्मक अनुभव के आधार पर दिया जाता है। महिला गोष्ठी, प्रदर्शनी, भ्रमण व प्रदर्शन द्वारा विषय का सरलता से ज्ञान करवाया जाता है। यहां पर केन्द्र पर व उन्हीं के गांव में स्वयं करके सीखो व सीख कर स्वयं करो के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है। महिलाओं के लिए सरल भाषा में साहित्य सृजन, प्रकाशन व वितरण किया जाता है।

यदि ये महिलायें अपनी उन्नति हेतु अन्य संस्थाओं के प्रयास के साथ स्वयं भी जागरूक हों तो वे समस्त बाधाओं को दूर करके पूर्ण सशक्तिकरण की स्थिति को प्राप्त कर सकती हैं।

संवैधानिक उपबंध सार

- संविधान सभा ने दिनाँक 14 सितम्बर, 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था।
- भारत के संविधान के भाग–5 (अनुच्छेद 120) भाग–6 (अनुच्छेद 210) और भाग–17 (अनुच्छेद 343 से 351, 350 को छोड़कर) तक में हिंदी संबंधी प्रावधान हैं।
- अनुच्छेद 343 के तहत संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।
- हिंदी संघ की राजभाषा दिनांक 26 जनवरी, 1950 से बनी।
- अनुच्छेद 343 के तहत गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बी.जी. खेर थे।
- अनुच्छेद 344 (4) के तहद खेर आयोग की सिफारिशों पर निर्णय के लिए गठित तीस सदस्यीय समिति के अध्यक्ष जी.बी. पंत थे।
- संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में भाग–5, अनुच्छेद 120 (1) में लिखा है कि संसदीय कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा।
- राज्य के विधानमण्डल में कार्य के बारे में भाग–6ए अनुच्छेद 210 में लिखा है कि राज्य विधानमण्डल में कार्य राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिंदी/अंग्रेजी में किया जाएगा।

राजभाषा हिंदी – एक परिचय

देवराज सिहं देव ✶

राजभाषा हिंदी ही नहीं राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा, संपर्क भाषा, मानक भाषा व मातृभाषा जन–जन को सुखद अनुभूति व आत्मिक बल देने वाली गौरव गजनी, सुभाषिनी, मधुवादिनी, सरल, सरस एवं विस्तृत भाषा, प्रीति, रीति, प्रकृति, संस्कृति और संवाद की भाषा हिंदी है। हिंदी विश्व की एक प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा होने के साथ–साथ हमारे राष्ट्र की भाषा भी है और स्वतंत्र राष्ट्र की राजभाषा है, जो राष्ट्र के जीवन चरित्र की सांस्कृतिक धरोहर होती है। जिससे राष्ट्र की अखण्डता, एकता फलती–फूलती है। हिंदी की समरसता और सार्वभौमिकता को देखते हुए भारत के महान मनीषियों ने हिंदी को पूरे राष्ट्र की भाषा के रूप में अपनाने पर बल दिया था। हिंदी लोक भाषा और स्वाधीनता संग्राम की भाषा है। हिंदी भारतीय सभ्यता की अभिव्यक्ति है। दुनिया में हिंदी की वर्णमाला ही सर्व सम्पन्न है। हिंदी भाषा दुनिया में हिमालय से ऊँची और सागर से गहरी व्याकरण और भाषा–शैली रखती है।

हिंदी है विस्तृत मृदुभाषा जैसे जननी जग की दाता।
दुनियां गाती इसकी गाथा अपनाओ सब हिंदी भाषा।।

हिंदी का पूर्ण विकास 11वीं शताब्दी में हुआ तथा देवनागरी लिपि ईसा की 7वीं व 8वीं शताब्दी में आई। हिंदी को 14 सितम्बर, 1949 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अन्तर्गत राजभाषा घोषित किया गया किन्तु राजभाषा अधिनियम, 1963 में किए गए उपबन्धों के अनुसार अभी कुछ काम हिंदी, कुछ काम अंग्रेजी तथा कुछ काम दोनों भाषाओं में किये जा रहे हैं।

बड़े अफसोस का विषय है कि हम सत्य, अहिंसा में पूर्ण विश्वास रखते हुए तथा आज़ाद एवं सम्रग राष्ट्र के निवासी होते हुए भी अपनी 'मातृभाषा', राष्ट्रभाषा को बोलने में व राजभाषा को लिखने में हीन भावना से ग्रसित हैं।

सरल सरस मधुवादिनी हिंदी जग की शान।
अपनाओ मिलकर सभी मिले जगत सम्मान।।

ब्रिटिश सरकार ने अपने अधिकारियों को हिंदी सिखाने के लिए ''फोर्ट विलियम कॉलेज'' की स्थापना करनी पड़ी थी। तभी उन्होंने भारत को गुलाम बनाया था। अंग्रेज इंग्लिश पढ़कर भारत को गुलाम नहीं बना पाए थे। आज दुनिया के बहुत से विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। भारत के लिए ये गौरव की बात है।

विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय ईसा से 700 वर्ष पूर्व तक्षशिला, जिला नालंदा, बिहार में स्थापित हुआ जिसमें पूरी दुनिया के 10500 से अधिक विद्यार्थी 60 से अधिक विषयों, विधाओं का अध्ययन करते थे। मगर, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं था। नालंदा विश्वविद्यालय को दुबारा शुरू किया जा रहा है।

अब तो पूरे भारत में इंग्लिश का बंधित आधार करो।
भाषा सीखो दुनिया की मगर हिंदी का विस्तार करो।।

जो राष्ट्र अपनी राष्ट्रभाषा, राजभाषा को सम्मान नहीं करता वो कभी चहुंमुखी विकास नहीं करता। उस राष्ट्र की सभ्यता, संस्कृति निर्जीव होती चली जाती है। जो राष्ट्रीय विकास में बाधक होती है। हिंदी राजभाषा सरकारी काम–काज, राज–काज एवं संपर्क और जनमानस के सांसारिक, सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं को स्पर्श करके सभी क्षेत्रों में कार्य करने की पूर्ण क्षमता रखने वाली भाषा है।

हिंदी मेरे हिंद की अपनाओ जय होय।
फिर तो पूरे हिंद में जयहिंद जयहिंद होय।।

हिंदी भाषा साहित्य में जो अनोखा संगम, रस, छन्द और अलंकारों का मिलता है जिसने हिंदी साहित्य को चार चाँद लगाए हैं वैसा संयोग किसी अन्य साहित्य की भाषा शैली में नहीं मिलता।

हिंदी छन्द रसों की खान, अलंकार है पूर्ण सुजान।
संधि, विशेषण रखते ध्यान, सदियों से कहते विद्वान।।

हिंदी भारत के मस्तक पर दमकती बिंदी के समान है। हिंदी पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोती है। समस्त भाषाएं हिंदी माला के बीज हैं। हिंदी देश की सम्पर्क भाषा है। जैसा देखा गया है कि अंग्रेजी न जानने वाला भी हिंदी

✶ वेअरहाउस प्रबन्धक, सेंट्रल वेअरहाउस, गाजियाबाद–प्रथम

को हेय दृष्टि से देखता है फिर हिंदी राजभाषा को सम्मान कैसे दिलाया जा सकता है। सभी को राजभाषा से वैसा ही प्यार होना चाहिए जैसा हर बच्चे को माँ से होता है।

भारत का हर बच्चा, हिंदी का आभारी है।
काम करो सब हिंदी में, बस यही अलख हमारी है।।

हिंदी हमारे देश की आन–बान और शान है। उसे बढ़ाने के लिए सभी कार्य, संबोधन राजभाषा हिंदी में करने चाहिए तभी हिंदी की छवि को 'विश्व पटल' पर लाने का सपना साकार हो सकता है।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो कार्य हम 68 वर्षों में पूरा नहीं कर पाएं हैं, वो कार्य चन्द वर्षों में पूरा होता नज़र आएगा क्योंकि हम अक्षम नहीं सक्षम हैं।

तुम काबिल हो, यह शक नहीं
तुम ग़ालिब हो, ये शक नहीं
मगर मन से अपनायी हिंदी नही,
ये सच्चाई है, शक नहीं।

भारत वासियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की छवि बनाने के लिये दृढ़ संकल्प से सभी स्तरों पर हिंदी का प्रयोग करना होगा तभी हिंदी का परचम लहरा सकता है। हिंदी विश्व की भाषा बने यही हमारे लिए गर्व की बात होगी। आज स्वस्थ आत्मचिंतन व आत्मबल पैदा करने की आवश्यकता है। हिंदी अन्य भाषाओं को स्वीकारने की क्षमता रखती है।

हिंदी खिलता प्रसून है और मकरन्द है शब्दकोष।
व्याकरण भी अनमोल है, करो सदा उद्घोष।।

साहित्य के क्षेत्र में हिंदी ने जो महारथ ''गागर में सागर'' भरकर दुनिया में हासिल की, वो स्थान दुनिया में किसी भाषा को हासिल नहीं हुआ।

मैं हिंदी हूँ हिंद की, तुम गर्व क्यों नहीं कर रहे हो।
मैं छाऊँगी दुनिया में एक दिन, तुम विश्वास नहीं कर रहे हो।।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब हिंदी को आना होगा, दुनिया में छाए ''देवनागरी'' हिंदी को मुख्यधारा में सभी जगह अपनाना होगा, स्वाभिमान की ज्योति को विश्व में जलाना होगा, हिंदी बने विश्व भाषा तभी विश्व गुरू कहलाना होगा, हिंदी का सारी दुनियां में भाषा ध्वज फहराना होगा। हिंदी बने जन–जन की भाषा इसके लिए नीतियां अपनानी होगी, हिंदी अपने आप में लाखों शब्द रखती है जो दुनिया की कोई भाषा नहीं रखती।

बेल्जियम में जन्मे हिंदी के पैरोकार एक समग्र चिंतक जिन्हें फादर कामिल बुल्के के नाम से जाना जाता है तब उन्होने सन् 1935 में अंग्रेजी, हिन्दी शब्दकोष की रचना की। अगर बुल्के जी शब्दकोष की रचना नहीं करते तो हिंदी के शब्दों को समझना आसान नहीं होता। क्योंकि हिंदी के शब्दकोष में कम से कम नौ लाख शब्द हैं।

फादर कामिल बुल्के, बना गए शब्दकोष।
वरना, फंस कर शब्द जाल में, करते पल–पल खोज।।

समय–समय पर नये–नये शब्दों की उत्पत्ति होती रहती है इसलिए आदमी निर्णय लेने में पूर्णतः सफल नहीं होता। भारत सरकार ने जब से सभी विभागों को हिंदी में काम करने के लिये प्रोत्साहित किया है, तब से लोगों में हिंदी में काम–काज करने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि काम–काज की भाषा सरल और सुबोध होनी चाहिए। भले ही राजभाषा के स्थान पर राष्ट्रभाषा या राज्य भाषा का प्रयोग करना पड़े। मेरा ऐसा मानना है कि जब मनुष्य पर्वत को राई बना सकता है तो हिंदी को अपनाकर अपना कार्य क्यों नहीं कर सकता? आज कमी है तो दृढ़ इच्छा शक्ति की हमें प्रबल इच्छा शक्ति अपनानी होगी तभी हम हिंदी को दुनिया की विश्व भाषा बना पाएंगे।

हिंदी हिंदी हिंदी है, हिन्दी से है हिन्द।
गलियों से महलों तक पहुँचे, और पार करे सरहिंद।।
विश्व हिंदी दिवस, दुनिया मनाएगी उस दिन।
भारत का जन–जन हिंदी अपनाएगा, जिस दिन।।

हिंदी राजभाषा ही नहीं बल्कि राज कराने वाली भाषा है जब हिंदी के प्रसार–प्रचार में पारदर्शिता आएगी तभी हिंदी के प्रसार–प्रचार को बढ़ाया जा सकता है।

राजभाषा हिंदी पर, करे 'देव' बहुत 'मान'।
'सिंह' तरह जब गरजे़ हिंदी, बढ़े हिंद की शान।।

संस्कृति एवं भावात्मक एकता की प्रतीकः हिन्दी

डॉ. रमेश चन्द्र शर्मा ★

यह सर्वविदित है कि भाषा का समाज में अनादिकाल से एक महत्वपूर्ण प्रकार्य रहा है। व्यक्ति का कोई भी कार्य बिना भाषा के संपादित नहीं होता। यदि हम आचार्य दंडी को याद करें तो उन्होंने कहा था–

इदं अन्धतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रायम्।
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिः आसंसारं न दीप्यते।।

अर्थात् यदि भाषा नामक प्रकाश इस संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशित न करता तो केवल इस लोक में ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में अंधकार होता। हम किसी विज्ञान, ज्ञान या प्रौद्योगिकी का अर्जन भाषा के माध्यम से करते हैं और यदि हमारे पास भाषा नाम का अस्त्र न होता तो हमारी स्थिति क्या होती, कल्पना की जा सकती है। यदि व्यक्ति और भाषा के संबंध पर विचार किया जाए तो प्रायः अस्पताल में महिला जब प्रसूति कक्ष में शिशु को जन्म देती है और जन्म लेते ही शिशु जब चिल्ला उठता है अर्थात् आवाज करता है तो डॉक्टर कार्ड पर एक प्रमाण–पत्र देता है– 'Child cried immediately after birth' जिसका अभिप्राय यह होता है कि बच्चा शारीरिक व मानसिक दृष्टि से स्वस्थ है अर्थात् जन्म के समय बच्चे का चिल्लाना उसके स्वाभाविक जन्म का प्रमाण है। यहीं से उसकी भाषा के प्रयोग की यात्रा आरंभ हो जाती है जो पूरे जीवन भर उसके सभी प्रकार के प्रयोजनों को सिद्ध करती हुई उसके अंतिम क्षणों तक साथ निभाती है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति की अभिन्नतम साथी यदि कोई है तो वह उसकी भाषा है।

जहां तक संघ की राजभाषा का संबंध है, हिन्दी को संघ की राजभाषा बनने की एक लंबी पृष्ठभूमि है। अंग्रेजों के भारत आने के काफी पहले मध्यकाल से ही हिन्दी व्यापक आधार पर बोली और समझी जाती थी। दक्षिण और उत्तर, पूर्व और पश्चिम के व्यापारियों, यायावर, साधु संतों एवं यात्रियों के बीच संपर्क का माध्यम बन चुकी थी। देश के विभिन्न भागों में स्थित विद्वानों एवं आम जनता के बीच विचार–विनिमय का साधन यही भाषा थी। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने अपने शासन को सुदृढ़ आधार देने एवं रोजमर्रा के शासकीय कार्यों को चलाने के लिए अंग्रेजी का प्रचार और प्रसार किया। धीरे–धीरे अंग्रेजी सारे देश में, सभी क्षेत्रों में प्रयुक्त होने लगी। यह उच्च स्तरीय शिक्षा का माध्यम बन गई। अंग्रेजों का उद्देश्य भी यही था। अंग्रेजी की शिक्षा में पढ़े–लिखे हिन्दुस्तानियों के बीच उसके समर्थकों का एक ऐसा वर्ग बना दिया जो अंग्रेजी को देश की भाषाओं से अधिक सम्मान देता था। इस प्रकार अंग्रेजी देश के शिक्षित वर्ग के बीच संपर्क भाषा बन गई। ऐसी स्थिति में शासक और शासित की भाषा भिन्न हो गई।

19वीं सदी के अंतिम चरण में देश गुलामी की नींद से कुछ जागने लगा। देश में राजनीतिक चेतना का विकास तेजी से होना प्रारंभ हुआ। फलतः राष्ट्रीयता की भावना जोर पकड़ने लगी। भाषा, राष्ट्र का एक मूल अंग होती है। अतः देश की भाषाओं पर भी नेताओं का ध्यान जगा। हिन्दी की व्यापकता को देखते हुए स्वतंत्रता–संग्राम के सभी नेताओं ने उसे अपना पूर्ण समर्थन दिया। कांग्रेस ने तो अपने 39वें अधिवेशन में महासमिति और कार्यकारिणी समिति का कामकाज आमतौर पर हिन्दुस्तानी में करने का प्रस्ताव ही पारित कर दिया।

आजादी मिलने के बाद भारत के सामने यह समस्या खड़ी हुई कि किस भाषा को संघ की राजभाषा बनाया जाए। अंग्रेज जा चुके थे, अंग्रेजी को बहिष्कृत करने का कार्य शेष रह गया था। भारत में अनेक भाषाएं, उप–भाषाएं, बोलियां और उप–बोलियां हैं जिनके माध्यम से जन–सामान्य विचारों का आदान–प्रदान, अभिव्यक्ति, संवाद स्थापित करता है। ये बोलियां और भाषाएं हमारी सांस्कृतिक गरिमा और भावात्मक एकता का भी पोषण करती रही हैं। इन बोली, भाषाओं के क्षेत्रीय और स्थानीय स्वरूप द्वारा भी जनमानस प्रभावित होता है। हमारी लोक संस्कृति और लोकमानस को यहीं से ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति

★ सयुंक्त निदेशक, विद्युत मंत्रालय, दिल्ली।

और साहित्य के उदात्त पक्ष के मूल में हमारी भाषाओं में अंतर्निहित शक्ति समाहित है।

काफी विचार–विमर्श के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने हिन्दी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया क्योंकि यही वह भाषा है जो संस्कृति और भावात्मक एकता स्थापित कर देश की एकता और अखण्डता की कड़ी को मजबूत बनाती है। देश को एकता के सूत्र में जोड़ने वाले सभी गुण हिन्दी में मौजूद हैं। हिन्दी को यह प्रतिष्ठा और सम्मान लंबी विकास यात्रा के बाद मिला है। आदि शंकराचार्य द्वारा देश के चारों कोनों पर स्थापित चार धाम संपूर्ण देश को आपस में जोड़ते आए हैं। सम्पूर्ण देश में भ्रमण करने वाले तीर्थयात्री, पर्यटक, भ्रमणकारी संत, फकीर या समाज सुधारक पारस्परिक वैचारिक आदान–प्रदान, संवाद और अभिव्यक्ति के लिए हिन्दी, हिन्दवी, हिन्दुस्तानी आदि का प्रयोग किया करते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसके व्यापक और बोधगम्य स्वरूप को देखते हुए लगभग सभी राष्ट्रीय नेताओं ने हिन्दी को स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा बना दिया। इसलिए आजादी मिलने तक इसका स्वरूप अखिल भारतीय बन चुका था।

यही कारण है कि आजादी मिलने के बाद हिन्दी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। परंतु अंग्रेजी के स्थान पर एकदम हिन्दी को लाने की व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी, 1965 तक उन सभी प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी को प्रयोग में लाने का प्रावधान रखा गया जिनके लिए वह संविधान लागू होने से ठीक पहले प्रयोग में लाई जा रही थी। इस प्रकार द्विभाषिकता की स्थिति पैदा हो गई और अंग्रेजी सह–राजभाषा होने के बावजूद सरकारी कामकाज की प्रमुख भाषा बनी रही। इस स्थिति से उबरने और हिन्दी को उसका वास्तविक स्थान दिलाने के लिए समय–समय पर विभिन्न वैधानिक प्रयास किए गए। परंतु, अधिकृत रूप से राजभाषा होते हुए भी हिन्दी के बजाए सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग अधिक हो रहा है। इस पर निगरानी रखने के लिए सांविधानिक प्रावधान किए गए हैं जिनका पालन करना हम सबका दायित्व है।

दूसरी ओर, भारत में सरकारी स्तर पर राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की स्थिति जो भी हो, यदि हम मीडिया रिपोर्टों के आधार पर विश्व स्तर पर हिन्दी की स्थिति का आंकलन करें तो हिन्दी बोलने वालों की संख्या दुनिया में आज तीसरे स्थान पर है। विश्व के लगभग 115 शिक्षण संस्थानों में हिन्दी का अध्ययन होता है। अमेरिका में 32 विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में हिन्दी का शिक्षण होता है। ब्रिटेन के लंदन विश्वविद्यालय, कैंब्रिज और यार्क विश्वविद्यालय में भी हिन्दी का अध्ययन होता है। जर्मनी ने 15 शिक्षण संस्थानों में हिन्दी भाषा तथा साहित्य के अध्ययन को अपनाया है। हालैंड में 1930 से हिन्दी का अध्ययन हो रहा है। आज हालैंड के 4 विश्वविद्यालयों ने हिन्दी को एक प्रमुख भाषा के रूप में अपनाया हुआ है। यदि हम चीन की बात करें तो वहां 1942 में हिन्दी को अध्ययन का एक प्रमुख विषय मानने की शुरूआत हो गई थी। इटली के लोग भी भारतीय संस्कृति से सुपरिचित होने के लिए हिन्दी सीखने के प्रति लालायित रहते हैं। रूस में बड़े स्तर पर हिन्दी रचनाओं और ग्रंथों का रूसी भाषा में अनुवाद किया जाता है। रूस में हिन्दी सीखने की अत्यधिक ललक है। हिन्दी फिल्में और गीत तो उन्हें अत्यधिक प्रिय हैं।

भारतवर्ष के 28 राज्यों में से 15 राज्यों में और 7 केन्द्र शासित प्रदेशों में से 5 केन्द्र शासित प्रदेशों में हिन्दी का प्रमुख रूप से प्रयोग होता है। यदि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थापित 22 भारतीय भाषाओं में से प्रयोग का प्रतिशत देखा जाए तो लगभग 40 प्रतिशत व्यक्ति केवल हिन्दी का प्रयोग करते हैं।

ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि हिन्दी अब केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर प्रयुक्त हो रही है और भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों के लोग इसे सीखने के प्रति लालायित होते जा रहे हैं। यदि व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाए और प्रयास किए जाएं तो यह शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं में स्थान ले सकती है।

अनुवाद में विश्लेषण का महत्व

डा. सत्येन्द्र सिंह ★

भाषा मनुष्य द्वारा स्वीकृत और प्रयुक्त यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की एक ऐसी व्यवस्था है, जिसकी सहायता से समाज विचारों का आदन–प्रदान करता है। अनुवाद का संबंध विज्ञान एवं कला दोनों से है। अतः भाषा विज्ञान के संबंधों को रेखांकित करते समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि भाषा विज्ञान से अनुवाद का संबंध मूलतः अनुवाद सिद्धांत से ही स्थापित होता है। जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति व्याकरण के प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना अच्छा वक्ता हो सकता है। उसी प्रकार यह समझना कि भाषा विज्ञान का समुचित ज्ञान रखने वाला ही व्यक्ति सफल अनुवादक हो सकता है या भाषा विज्ञान के ज्ञान के बिना अनुवाद करना संभव नहीं, गलत होगा। अनुवाद मूलतः व्यवहारिक प्रक्रिया है और यह विश्लेषणात्मक प्रक्रिया अपनाते हुए अभ्यास से ही साधित होती है। गहन विश्लेषणात्मक प्रक्रिया से अनुवादक को दोनों भाषाओं के घटकों की आंतरिक व्यवस्था या प्रणाली को ठीक–ठीक समझने में मदद मिलती है।

अनुवाद कार्य में लक्ष्य भाषा तथा स्रोत भाषा की व्याकरणिक, शैलीगत, प्रकृतिगत एवं संस्कृतिगत विशेषताएं अनिवार्य रूप से एक–दूसरे के संपर्क में आती हैं। लक्ष्य भाषा तथा स्रोत भाषा की संरचनात्मक स्तर पर कुछ समानताएं हो सकती हैं, परंतु दोनों भाषाओं में प्रक्रिया भिन्न–भिन्न स्थलों, परिस्थितियों, समयों पर होने की वजह से उनमें असमानताएं भी होती हैं। दोनों भाषाओं में समानता होने से अनुवाद कार्य आसान हो जाता है तथा दोनों की असमानताओं का तुलनात्मक विश्लेषण स्वाभाविक रूप से करना होता है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि इसे सजगता के साथ ही किया जाए। इस तरह अनुवाद प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण, विश्लेषण की इस तकनीक को व्यतिरेकी विश्लेषण कहा जाता है जिसके द्वारा दोनों भाषाओं में संरचनात्मक असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। विश्लेषण से स्रोत भाषा तथा लक्ष्य भाषा की बनावट में केवल उन्हीं बिन्दुओं को उजागर करना होता है, जिनमें असमानता होती है। अनुवादक को इन्हीं असमान बिन्दुओं के समायोजन में कठिनाई होती है।

भाषा विज्ञान में अनुवाद को अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान की संज्ञा दी गई है। इसलिए भाव विश्लेषण की इस तकनीक का प्रयोग व्यावहारिक अनुवाद कार्य के लिए किया जाता है।

अनुवादक से यह अपेक्षा अनिवार्य रूप से की जाती है कि वह दोनों भाषाओं की संरचनात्मक विशेषताओं को आत्मसात करते हुए अपनी निष्पादन योग्यता में निरंतर वृद्धि करता रहे।

प्रमुख अनुवाद शास्त्री नाइडा ने अनुवाद प्रक्रिया के तीन चरणों का उल्लेख किया:

1. विश्लेषण, 2. अंतरण और 3. पुनर्गठन

वहीं दूसरी ओर डॉ. भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद प्रक्रिया के 6 चरणों की बात कही है:

1. पाठबोधन, 2. विश्लेषण, 3. भाषांतरण, 4. समायोजन, 5. मूल से तुलना और 6. पुनरीक्षण

सभी विद्वानों ने विश्लेषण को इस प्रक्रिया का प्रमुख चरण माना है।

अनुवाद प्रक्रिया में विश्लेषण की पद्धति का विकास आधुनिक भाषा विज्ञान की देन है। इसका उपयोग सबसे पहले भाषा शिक्षण के लिए किया गया, जिसमें अन्य भाषा सीखने वाले विद्यार्थी को उसकी मातृभाषा और लक्ष्य भाषा के बीच समान तथा असमान तत्वों से अवगत कराया जाता है या इसको ध्यान में रखते हुए शिक्षण पाठ्यवस्तु तैयार की जाती है।

★ सहायक निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली।

पूर्व में स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा, दोनों भाषाओं के विभिन्न घटकों (ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ तथा संस्कृति) के बीच समान, अर्थसमान और असमान तत्वों का बाह्य संरचना और प्रयोग वितरण के आधार पर विश्लेषण किया जाता था।

अर्थविज्ञान की नई विचारधाराओं के परिणामस्वरूप अब इस संकल्पना में कुछ परिवर्तन भी आया है। इसके अनुसार यह माना जाने लगा कि अर्थतत्व अपने मूल रूप में सभी भाषाओं में लगभग समान और सार्वभौमिक रूप से उपस्थित रहता है। फिर भी उन्हें भाषिक रूप में व्यक्त करने का तरीका प्रत्येक भाषा का अलग–अलग होता है। इस असमानता के प्रमुख दो कारण हैं:

1. भाषा की खास तरह से विकसित अपनी प्रकृति।
2. भाव तथा अर्थ व्यक्त करने का अपना अलग–अलग तरीका।

लौकिक जगत या वस्तु के प्रति विकसित भाषा समाज का भौगेलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तत्वों की वजह से विशिष्ट दृष्टिकोण विकसित होता है। अतः इस रूप में भी विश्लेषण की भूमिका काफी महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक हो जाती है।

अतः सटीक रूप में अनुवाद करने के लिए दोनों भाषाओं के शब्दों, वाक्यों तथा प्रोक्तियों के गहन अर्थ, संस्कृति–संपृक्त सामाजिक अर्थ और संदर्भित मंतव्य की गहराई में जाकर विश्लेषण किया जाना चाहिए। विश्लेषणात्मक प्रक्रिया अपनाते हुए निम्नलिखित स्तरों पर असमानताएं देखी जा सकती हैं:

ध्वन्यात्मक विश्लेषण: विशेष तौर पर भौगोलिक कारण ों से विभिन्न शब्दों का उच्चारण विभिन्न स्थानों में भिन्न–भिन्न तरीके से किया जाता है। शब्दों के उच्चारण में ध्वन्यात्मक असमानता पाई जाती है। America शब्द को कहीं 'अमरीका' लिखा एवं पढ़ा जाता है। जबकि वहां इसका सही उच्चारण अमेरिका है। इसी तरह से Russia–रूस, Tolstoy–टालस्टाय, Alexander, Depot–डिपो, Mitterand –मितरां लिखकर लक्ष्य भाषा के अनुकूल किया जाता है। लक्ष्य भाषा में ध्वन्यात्मक विश्लेषण से उच्चारणगत समानता लाई जा सकती है।

शब्दात्मक विश्लेषण: दोनों भाषाओं के प्रयोक्ताओं के अलग–अलग सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विशेषताओं की वजह से एक संकल्पना, एक शब्द या एक संकल्पना के लिए अनेक शब्द होते हैं। अंग्रेजी में चाचा, मामा, फूफा, ताऊ के लिए एक ही शब्द Uncle का प्रयोग किया जाता है, जबकि हिन्दी में अलग–अलग रिश्तों के लिए अलग–अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में अभिवादन समय के अनुकूल दोपहर बाद Good Afternoon, सायं Good Evening, तथा रात्रि के लिए Good Night लिखा जाता है। जबकि हिन्दी में नमस्ते या नमस्कार ही लिखा जाएगा। इसी प्रकार arranged marriage के लिए परम्परागत विवाह लिखा जाता है। व्याकरिणक विश्लेषणः इसी तरह अंग्रेजी विभिन्न परसर्गों for, since तथा form के लिए हिन्दी में एक ही परसर्ग है, 'से', इसी तरह अंग्रेजी में Article a, an, the का प्रयोग होता है। हिन्दी में नहीं होता, अंग्रेजी में किसी पवित्र पुस्तक ग्रंथ (Holy book), दुनिया के सात आश्चर्य, सार्वभौमिक सत्यों को या ज्ञात चीजों के बारे में तथा निश्चित चीजों के बारे में लिखने के लिए The का प्रयोग किया जाता है। The Bible, The Ramayan, The Sun या The pen is on the table आदि शब्दों का हिन्दी में अनुवाद करते हुए 'The' Article का कोई अनुवाद नहीं किया जाता है। इसी तरह से 'a' तथा 'an' का भी अधिकतम अनुवाद नहीं किया जाता है। उदाहरणार्थ call a Coolie. कुली बुलाओ, I have a headache. मुझे सिरदर्द है या an idea यहां पर 'an' idea of the back ground of the Indian political history 'an' effort is required. यहां 'an' का अनुवाद नहीं होता है।

इसी तरह 'Have' का अलग–अलग वाक्यों में अलग–अलग अनुवाद होता है।

I have a pencil मेरे पास पेंसिल है (स्वामित्व)

I have two brother मेरा/मेरे दो भाई हैं (संबंध)

I have fever मुझे बुखार है (तार्किक)

He has fever उसे बुखार है (तार्किक)
He has no time उसे (उसके पास) समय नहीं है (तार्किक)
रूपगत विश्लेषण: अंग्रेजी में एक ही रूप में You का प्रयोग बड़े–छोटे, स्त्री–पुरुष एवं एक व्यक्ति तथा अनेक व्यक्तियों के लिए होता है। हिन्दी में यही 'You' कहीं तुम, कहीं आप तथा कहीं तू या प्रयोग अनुरूप आपको, तुमको, अपने/तुम, तूने जैसे you know आपको पता है, You did this यह आपने किया है। It is not related to you यह आपसे/तुमसे संबंधित नहीं है। इसी तरह अंग्रेजी में सर्वनाम He, She का प्रयोग छोटे–बड़े सभी के लिए होता है परंतु हिन्दी में आदर देने के लिए My father/mother is a Doctor and he/she has gone to Lucknow. के लिए मेरे पिताजी/मेरी माताजी एक डॉक्टर हैं। वह लखनऊ गए है/गई हैं। हिन्दी में एक ही सर्वनाम वह है, अंग्रेजी में लिंग के अनुसार वह She/He हो जाता है। अंग्रेजी की Linking verb 'is' है तो हिन्दी में कहीं वह आदर देने के लिए यह 'है' हो जाती है और यह 'है' फिर अंग्रेजी में 'are' न होकर 'is' ही होती है।

वाक्यपरक विश्लेषण: अंग्रेजी वाक्य संरचना S+V+O की हैं। हिन्दी की संरचना S+O+V की है। Mohan Translates two pages of a book daily. मोहन रोज पुस्तक के दो पृष्ठों का अनुवाद करता है।

निषेधात्मक वाक्य विश्लेषण: हिन्दी में निषेध चिह्नक 'न' 'नहीं' 'मत' को सदा क्रिया से पहले लगाया जाता है। अंग्रेजी में प्रयोग चार तरह से होता है:
क्रिया के बाद Rohan is not a doctor.

माडल के बाद Secretary will not attend the function in Mumbai

Do/Does के बाद परंतु He did not come to office to day.

क्रिया से पहले She does not go to office.

माडल और be के मध्य तथा They will not be attending this function क्रिया से पहले

प्रश्नवाचक वाक्य: प्रश्नवाचक वाक्यों में कई बार हिन्दी 'क्या' नहीं लगाने पर भी वह प्रश्नवाचक हो जाता है। जैसे Are you alright? आप ठीक तो हैं?

अकर्तृवाच्य संरचना: हिन्दी में कर्मवाच्य तथा भाववाच्य दोनों संरचनाओं के होने से तथा अंग्रेजी में भाववाच्य दोनों संरचनाओं के होने से तथा अंग्रेजी में भाववाच्य वाली संरचना के अभाव के कारण वाक्य में असमानता होना स्वाभाविक है।

जैसे घास हरी है या घास हरी होती है के लिए The grass is green.

The trees are being cut. पेड़ कटते हैं।

The door opens. दरवाजा खुलता है।

इस तरह अंग्रेजी में 'that' योजक का प्रयोग प्रत्यक्ष कथन को परोक्ष कथन मैं बदलने की अनिवार्यता प्रकट करता है परंतु हिन्दी में 'कि' के प्रयोग की ऐसी अनिवार्यता नहीं है। अंग्रेजी में gold का अभिप्राय एक धातु है, जबकि हिन्दी में एक 'सोना' 'क्रिया' रूप में दूसरा सोना संज्ञा रूप में होता है।

निष्कर्ष: अनुवाद में विश्लेषण की भूमिका को समझते हुए अनुवादक को दोनों भाषाओं के विभिन्न घटकों की इन असमानताओं को आत्मसात करते हुए विश्लेषण करना चाहिए। इससे अनुवाद में बोधगम्यता, सटीकता, सहजता, पठनीयता तथा सुक्तिसंगतता लाई जा सकती है।

यह भी सत्य है कि आज विश्व के देशों में आपस में अनेकों खेल, रक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा तथा मनोरंजन आदि संबंधी अनेको सौदे हो रहे हैं। इससे भी अधिक वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के इस दौर में व्यापारिक प्रतिस्पर्द्धा भी बढ़ गई है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना चाहता है। इसके लिए यह विश्व के किसी भी कोने से सर्वोत्तम तकनीकी/प्रौद्योगिकी अपने देश में लाना चाहता है। ऐसे में अनुवादक की भूमिका और चुनौतीपूर्ण हो जाती है। अतः अनुवादकों को अनुवाद में विश्लेषण की भूमिका को समझते मूलनिष्ठता, सहजता, सटीकता, प्रभावशीलता तथा मौलिकता लाते हुए अनुवाद को अत्यधिक सार्थक बनाना होगा।

प्रायश्चित

भगवतीचरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त, 1903 को उत्तर प्रदेश, जिला उन्नाव के शफीपुर गांव में हुआ। कविता, कहानी, उपन्यास, एकांकी, नाटक, निबंध तथा हास्य व्यंग्य, इन सभी विधाओं में उन्होंने हिन्दी साहित्य की अनेक मूल्यवान कृतियां प्रदान कीं। वर्ष 1961 में भूले–बिसरे चित्र के लिए उन्हें प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनके उपन्यास चित्रलेखा पर दो बार फिल्म निर्माण भी हुआ। वर्ष 1971 में पद्मभूषण से भी अलंकृत हुए।

अगर कबरी बिल्ली घर–भर में किसी से प्रेम करती थी, तो रामू की बहू से, और अगर रामू की बहू घर–भर में किसी से घृणा करती थी, तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू, दो महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी, पति की प्यारी और सास की दुलारी, चौदह वर्ष की बालिका। भंडार–घर की चाभी उसकी करधनी में लटकने लगी, नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा, और रामू की बहू घर में सब कुछ। सासूजी ने माला ली और पूजा–पाठ में मन लगाया।

लेकिन ठहरी चौदह वर्ष की बालिका, कभी भंडार–घर खुला है, तो कभी भंडार–घर में बैठे–बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी–दूध पर अब वह जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हाँडी में घी रखते–रखते ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को जिंस देने गई और दूध नदारद। अगर बात यहीं तक रह जाती, तो भी बुरा न था, कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई थी कि रामू की बहू के लिए खाना–पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुँची और रामू जब आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से बालाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया बालाई गायब।

रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या फिर कबरी बिल्ली ही। मोर्चाबंदी हो गई, और दोनों सतर्क। बिल्ली फँसाने का कठघरा आया, उसमें दूध मलाई, चूहे, और भी बिल्ली को स्वादिष्ट लगनेवाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासिले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके।

कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थीं सास की मीठी झिड़कियाँ और पतिदेव को मिलता था रूखा–सूखा भोजन।

एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह–तरह के मेवे दूध में औटाए गए, सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊँचे ताक पर रखा गया, जहाँ बिल्ली न पहुँच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई।

उधर बिल्ली कमरे में आई, ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूँघा, माल अच्छा है, ताक की ऊँचाई अंदाजी। उधर रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू सासजी को पान देने चली गई और कबरी ने छलाँग मारी, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झनझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर।

आवाज रामू की बहू के कान में पहुँची, सास के सामने पान फेंककर वह दौड़ी, क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े–टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत।

रामू की बहू पर खून सवार हो गया, न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी, रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात–भर उसे नींद न आई, किस दाँव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे, यही पड़े–पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है।

रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर वह लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई, बस एकदम उलट गई।

आवाज जो हुई तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गईं। रामू की बहू सर झुकाए हुए अपराधिनी की भाँति बातें सुन रही है।

महरी बोली – 'अरे राम! बिल्ली तो मर गई, माँजी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ।'

मिसरानी बोली – 'माँजी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है, हम तो रसोई न बनावेंगी, जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी।'

सासजी बोलीं – 'हाँ, ठीक तो कहती हो, अब जब तक बहू के सर से हत्या न उतर जाए, तब तक न कोई पानी पी सकता है, न खाना खा सकता है। बहू, यह क्या कर डाला?'

महरी ने कहा – 'फिर क्या हो, कहो तो पंडितजी को बुलाय लाई।'

सास की जान–में–जान आई – 'अरे हाँ, जल्दी दौड़ के पंडितजी को बुला लो।'

बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई – पड़ोस की औरतों का रामू के घर ताँता बँध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी।

पंडित परमसुख को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े – पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले – 'भोजन न बनाना, लाला घासीराम की पतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा।'

पंडित परमसुख चौबे छोटे और मोटे से आदमी थे। लंबाई चार फीट दस इंच और तोंद का घेरा अट्ठावन इंच। चेहरा गोल–मटोल, मूँछ बड़ी–बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुँचती हुई।

कहा जाता है कि मथुरा में जब पंसेरी खुराकवाले पंडितों को ढूँढ़ा जाता था, तो पंडित परमसुखजी को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था।

पंडित परमसुख पहुँचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी – सासजी, मिसरानी, किसनू की माँ, छन्नू की दादी और पंडित परमसुख। बाकी स्त्रियाँ बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थीं।

किसनू की माँ ने कहा – 'पंडितजी, बिल्ली की हत्या करने से कौन नरक मिलता है?'

पंडित परमसुख ने पत्रा देखते हुए कहा – 'बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता, वह महूरत भी मालूम हो, जब बिल्ली की हत्या हुई, तब नरक का पता लग सकता है।'

'यही कोई सात बजे सुबह' – मिसरानीजी ने कहा।

पंडित परमसुख ने पत्रे के पन्ने उलटे, अक्षरों पर उँगलियाँ चलाईं, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुँधलापन आया, माथे पर बल पड़े, नाक कुछ सिकुड़ी और स्वर गंभीर हो गया – 'हरे कृष्ण! हे कृष्ण! बड़ा बुरा हुआ, प्रातःकाल ब्रह्म–मुहूर्त में बिल्ली की हत्या! घोर कुंभीपाक नरक का विधान है! रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ।'

रामू की माँ की आँखों में आँसू आ गए – 'तो फिर पंडितजी, अब क्या होगा, आप ही बतलाएँ!'

पंडित परमसुख मुस्कुराए – 'रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं? शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा।'

रामू की माँ ने कहा – 'पंडितजी, इसीलिए तो आपको बुलवाया था, अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए!'

'किया क्या जाए, यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाय। जब तक बिल्ली न दे दी जाएगी, तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद इक्कीस दिन का पाठ हो जाए।'

छन्नू की दादी बोली – 'हाँ और क्या, पंडितजी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाय और पाठ फिर हो जाय।'

रामू की माँ ने कहा – 'तो पंडितजी, कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए?'

पंडित परमसुख मुस्कुराए, अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा – 'बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए? अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो लिखा है कि बिल्ली के वजन–भर सोने की बिल्ली बनवाई जाय, लेकिन अब कलियुग आ गया है, धर्म–कर्म का नाश हो गया है, श्रृद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली के तौल–भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली बीस–इक्कीस सेर से कम की क्या होगी। हाँ, कम–से–कम इक्कीस तोले की बिल्ली बनवा के दान करवा दो, और आगे तो अपनी–अपनी श्रद्धा!

रामू की माँ ने आँखें फाड़कर पंडित परमसुख को देखा – 'अरे बाप रे, इक्कीस तोला सोना! पंडितजी यह तो बहुत है, तोला–भर की बिल्ली से काम न निकलेगा?'

पंडित परमसुख हँस पड़े – 'रामू की माँ! एक तोला सोने की बिल्ली! अरे रुपया का लोभ बहू से बढ़ गया? बहू के सिर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं!'
मोल–तोल शुरू हुआ और मामला ग्यारह तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया।

इसके बाद पूजा–पाठ की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा – 'उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं, रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करुँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना।'

'पूजा का सामान कितना लगेगा?'

'अरे, कम–से–कम में हम पूजा कर देंगे, दान के लिए करीब दस मन गेहूँ, एक मन चावल, एक मन दाल, मन–भर तिल, पाँच मन जौ और पाँच मन चना, चार पसेरी घी और मन–भर नमक भी लगेगा। बस, इतने से काम चल जाएगा।'

'अरे बाप रे, इतना सामान! पंडितजी इसमें तो सौ–डेढ़ सौ रुपया खर्च हो जाएगा' – रामू की माँ ने रुआँसी होकर कहा।

'फिर इससे कम में तो काम न चलेगा। बिल्ली की हत्या कितना बड़ा पाप है, रामू की माँ! खर्च को देखते वक्त पहले बहू के पाप को तो देख लो! यह तो प्रायश्चित है, कोई हँसी–खेल थोड़े ही है – और जैसी जिसकी मरजादा! प्रायश्चित में उसे वैसा खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे–वैसे थोड़े हैं, अरे सौ–डेढ़ सौ रुपया आप लोगों के हाथ का मैल है।'

पंडित परमसुख की बात से पंच प्रभावित हुए, किसनू की माँ ने कहा – 'पंडितजी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा–वैसा पाप तो है नहीं – बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए।'

छन्नू की दादी ने कहा – 'और नहीं तो क्या, दान–पुन्न से ही पाप कटते हैं – दान–पुन्न में किफायत ठीक नहीं।'

मिसरानी ने कहा – 'और फिर माँजी आप लोग बड़े आदमी ठहरे। इतना खर्च कौन आप लोगों को अखरेगा।'

रामू की माँ ने अपने चारों ओर देखा – सभी पंच पंडितजी के साथ। पंडित परमसुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा – 'रामू की माँ! एक तरफ तो बहू के लिए कुंभीपाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा–सा खर्चा है। सो उससे मुँह न मोड़ो।'

एक ठंडी साँस लेते हुए रामू की माँ ने कहा – 'अब तो जो नाच नचाओगे, नाचना ही पड़ेगा।'

पंडित परमसुख जरा कुछ बिगड़कर बोले – 'रामू की माँ! यह तो खुशी की बात है – अगर तुम्हें यह अखरता है तो न करो, मैं चला' – इतना कहकर पंडितजी ने पोथी–पत्रा बटोरा।

'अरे पंडितजी – रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता – बेचारी को कितना दुख है –बिगड़ो न!' – मिसरानी, छन्नू की दादी और किसनू की माँ ने एक स्वर में कहा।

रामू की माँ ने पंडितजी के पैर पकड़े – और पंडितजी ने अब जमकर आसन जमाया।

'और क्या हो?'

'इक्कीस दिन के पाठ के इक्कीस रुपए और इक्कीस दिन तक दोनों बखत पाँच–पाँच ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा,' कुछ रुककर पंडित परमसुख ने कहा – 'सो इसकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करने से पाँच ब्राह्मण के भोजन का फल मिल जाएगा।'

'यह तो पंडितजी ठीक कहते हैं, पंडितजी की तोंद तो देखो!' मिसरानी ने मुस्कुराते हुए पंडितजी पर व्यंग्य किया।

'अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ, रामू की माँ ग्यारह तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊँ – दो घंटे में मैं बनवाकर लौटूँगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर रखो – और देखो पूजा के लिए.....'

पंडितजी की बात खतम भी न हुई थी कि महरी हाँफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबराकर कहा – 'अरी क्या हुआ री?'

महरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा – 'माँजी, बिल्ली तो उठकर भाग गई!'

राष्ट्रीय विकास में राजभाषा हिन्दी का योगदान

रणधीर सिंह ★

मानव जाति आज ऐसे युग में पदार्पण कर चुकी है जिसमें शारीरिक श्रम कम और मानसिक श्रम अधिक करना पड़ता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति के लिए अन्य बातों के साथ–साथ विचारों का आदान–प्रदान आवश्यक है। आदान–प्रदान का माध्यम भाषा होती है जिसे विचारों की वाहिका कहा जा सकता है। यह लगभग निश्चित है कि भाषा हमारी सांस्कृतिक एवं सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था को भी प्रभावित करती है।

आज अधिकांश देशों, समाजों एवं संगठनों में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। फिर भी, परस्पर व्यवहार के लिए एक ऐसी भाषा जिसे देश के अधिकांश लोग समझ एवं बोल सकते हैं, प्राथमिकता देना आवश्यक है। इसी भाषा को ही राजभाषा का दर्जा दिया जाता है।

युगों की दासता के बाद भारतवर्ष में जब स्वतंत्रता का नया विहान आया तो भारत के संविधान निर्माताओं ने 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिन्दी को कोई एकाएक स्वीकार नहीं किया गया था। इसके पीछे कई ऐतिहासिक तथा सामाजिक कारण थे। डॉ. मलिक मोहम्मद ने अपनी एक पुस्तक ''राजभाषा हिन्दी के विकास के विविध आयाम'' (1986) में लिखा है कि स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय चेतना की दृष्टि से देश के सभी लोगों ने राष्ट्रभाषा हिन्दी का समर्थन किया। हिन्दी का सशक्त समर्थन करने वालों में अहिन्दी भाषी राष्ट्रीय नेता ही प्रमुख थे। हिन्दी को संविधान में मान्यता प्रदान करने में भी अहिन्दी भाषी नेताओं का बड़ा हाथ रहा है।

शायद ही संसार के किसी देश में उसकी राजभाषा के प्रयोग एवं विकास के लिए इतने प्रावधान किए गए हों जितने हिन्दी के लिए भारतीय संविधान में किए गए हैं। फिर भी हिन्दी उपेक्षित है। अपने ही देश के लोग इसको उचित स्थान नहीं दे रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि किसी भाषा के विकास के सूत्र कुछ और ही है। यहाँ ऐसे कुछ सूत्रों का उल्लेख करना उचित होगा–

1. जिस भाषा के जानने, पढ़ने एवं बोलना आने से रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलती हो, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती हो, उस भाषा का उत्तरोत्तर विकास एवं विस्तार होता जाता है।
2. जिस भाषा के प्रयोग से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य तथा अन्य कारोबार में वृद्धि होती है, कम्पनियाँ, संस्थाएं समितियाँ उसे अपनाती है।
3. जिस भाषा के जानने वाले नई–नई तकनीकों के अविष्कार के लिए दुनिया भर में जाने जाते हों, उनकी भाषा का प्रयोग बढ़ना भी स्वाभाविक है।

हमें यह स्वीकार करना होगा कि उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर हिन्दी सहित सभी भाषाएं प्रगति की दौड़ में पीछे हैं। 120 करोड़ की जनसंख्या वाले तथा अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के लिए विख्यात भारत देश के निवासियों के लिए यह अत्यन्त लज्जा की बात है। उपरोक्त विशेषताएं हमारे लिए एक विदेशी भाषा अर्थात् अंग्रेजी में मिलती है। अंग्रेजी भाषा की तुलना में भारतीय भाषाओं की दयनीय स्थिति से उत्पन्न दुष्परिणामों की 'मार' से भारत का विशाल जनसमूह कराह रहा है।

व्यक्ति के संग–संग राष्ट्र के जीवन में भाषा का व्यापक प्रयोग होता है। प्राचीन काल में ही भारतीय मनीषियों ने भाषा के महत्व को जान लिया था। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान दण्डी के अनुसार– यदि भाषा की ज्योति इस संसार में प्रस्पुफटित नहीं होती तो पूरा विश्व अंधकार में विलीन हो जाता।

भाषा का सीधा संबंध शिक्षा से है और शिक्षा राष्ट्रीय विकास की सीढ़ी है। अतः यह कहना उचित होगा कि देश के विद्यालयों में दी जा रही शिक्षा से राष्ट्रीय विकास के स्वरूप एवं गति का निर्धारण होता है। इस दृष्टि से विद्यालय समाज के दर्पण हैं।

★ वरिष्ठ परामर्शदाता, सीआरडब्ल्यूसी, नई दिल्ली

आज हर माता–पिता चाहता है कि उसके बच्चे अंग्रेजी माध्यम वाले पब्लिक स्कूलों में पढ़ें। अतः देश के महानगरों, मझोले शहरों और यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पब्लिक स्कूलों की बाढ़ सी आ रही है। हर गली, हर नुक्कड़ पर किसी न किसी पब्लिक स्कूल का बोर्ड लगा मिल जाएगा। इनमें अधिकतर स्कूल नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहावत चरितार्थ करते हैं। ये स्कूल माता–पिता की अंग्रेजी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने की उत्कट इच्छा का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। कुछ पब्लिक स्कूल अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन वे इतने महंगे हैं कि बहुत ही कम लोग अपने बच्चों को इसमें पढ़ाने की सोच सकते हैं। अतः इन दोनों ही तरह के तथाकथित पब्लिक स्कूलों द्वारा राष्ट्र के विकास में किसी योगदान की अथवा हर घर में शिक्षा की ज्योति प्रज्वलित करने की उम्मीद करना आकाश कुसुम छूने के समान है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश के बहुत बड़े क्षेत्र में भारत की प्रतिभा पल्लवित एवं पोषित हो रही है जिसके लिए भारतीय भाषाओं को इतना सशक्त बनाना होगा कि विज्ञान एवं तकनीकी जानकारियाँ देश के हर विद्यार्थी को सुलभ हो जाएं। एन.सी.ई.आर.टी. जैसे राष्ट्रीय स्तर के संगठन द्वारा समान शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं। एन.सी.ई. आर.टी. की अंग्रेजी से अनूदित पुस्तकों का विद्यार्थी किस सीमा तक लाभ उठा रहे हैं अथवा उठा सकते हैं, इसे देखने की जरूरत है। हिन्दी माध्यम की पुस्तकों की भाषा मूल से अधिक बोधगम्य होनी चाहिए जिसके लिए सतत् अध्ययन एवं अनुसंधान की आवश्यकता है।

भारत की पावन मिट्टी में जन्मे मनीषियों ने राष्ट्र एवं समाज के विकास के आयाम बहुत पहले निर्धारित कर दिए थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामय। इन छः शब्दों की परिधि मे राष्ट्रीय विकास की सभी संकल्पनाएं जैसे सबके लिए शिक्षा, सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए रोजगार इत्यादि आ जाती है। अपनी भाषाओं का प्रयोग न करके विदेशी भाषा पर अधिक निर्भर हो जाने से भारतीय समाज में असमानता बढ़ रही है। कोई दो प्रतिशत लोग अंग्रेजी के बल पर भारत के शासन के ऊंचे–ऊंचे पदों पर विराजमान हैं। ये नहीं चाहते कि अंग्रेजी का वर्चस्व समाप्त हो। यही वजह है कि हिन्दी माध्यम से पढ़े नवयुवक एवं नवयुवतियों के लिए चिकित्सा, इंजीनियरिंग, एम.बी.ए. तथा राष्ट्रीय स्तर की सेवाओं में प्रवेश करना कठिन हो रहा है।

इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है कि संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में जनता की भाषाओं का इतना कम प्रयोग हो रहा है। जनता के सीधे सम्पर्क में आने वाले सरकार के अंग अर्थात् न्यायपालिका में अंग्रेजी का वर्चस्व यथावत् बना हुआ है। हमारे न्यायालयों द्वारा इतने अच्छे–अच्छे निर्णय दिये जाते है कि अगर वे लोगों की भाषाओं में हों तो थोड़ा–बहुत पढ़े–लिखे अर्थात् नवसाक्षर तक भी इसका फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल यह एक सपना मात्र लगता है। सरकारी कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग की कतिपय औपचारिकताएं हिन्दी अनुवाद द्वारा पूरी की जाती है। यह अनुवाद अटपटा, अस्वाभाविक और इतनी जल्दी में किया जाता है कि पाठक मूल अंग्रेजी को पढ़कर ही संतुष्टि पाता है। हिन्दी अनुवाद को भी मूल की तरह बनाया जा सकता है बशर्ते कि इस पर समुचित ध्यान दिया जाए।

कहना न होगा कि अंग्रेजी को कायम रखने में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सबसे बड़ा हाथ है। सामाजिक न्याय के नाम पर दूसरे देशों से आयातित टैक्नोलॉजी से अंग्रेजी के प्रसार को बल मिला। इंजीनियरों, तकनीशियनों एवं अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों का यह नैतिक ही नहीं संवैधानिक कर्तव्य भी है कि इस प्रकार की टैक्नोलॉजी को जितना जल्दी संभव हो सके भारत की टैक्नोलॉजी बनाएं। ऐसा करना संभव है। जापान जैसे देश ने तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में ऐसा कर दिखाया है। जापान किसी भी तकनीकी ज्ञान को अपनी भाषा के माध्यम से जन–जन तक पहुंचाता है। आज हिन्दी के विकास के लिए स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास पर बल देने की आवश्यकता है। ''रमण प्रभाव'' में चन्द्रशेखर वेंकटरमण का नाम आना स्वाभाविक है। क्योंकि यह हमारा आविष्कार है। अतः ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि ज्ञान–विज्ञान की आधुनिक जानकारी देश के सभी नवयुवक एवं नवयुवतियों तक पहुंचे। अंग्रेजी भाषा को उतना स्थान अवश्य देना होगा जितना यह हमारे लिए जरूरी है। यह ''लाइब्रेरी लैंग्वेज'' के रूप में अत्यन्त उपयोगी हो सकती है। इस दिशा में अंग्रेजी भाषा का लाभ उठाया जाना चाहिए। अंग्रेजी हटाने के लिए पब्लिक स्कूलों को बन्द करने की जरूरत नहीं। सरकारी स्कूलों

में अंग्रेजी का स्तर बढ़ाना होगा ताकि भारतीय नवयुवक जो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, उसे भी अंग्रेजी का समुचित ज्ञान हो सके।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिन्दी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। उपक्रमों के कार्यालय देश के सुदूर क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। इन कार्यालयों में हिन्दी का जो रूप विकसित हो रहा है वही हिन्दी का अखिल भारतीय रूप होगा। अतः हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए शुद्धता वाला दृष्टिकोण अधिक व्यवहारिक नहीं है। जहां तक संभव हो सके, सभी भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्द हिन्दी में अपना लिये जाने चाहिए। तभी हिन्दी समृद्ध होगी और यही हिन्दी पूरे भारत की कामकाज की हिन्दी बनेगी।

राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय चिह्न की तरह हमारी राष्ट्रीय भाषाएं भी हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। हिन्दी का प्रयोग भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में होता है और यह देश के हर कोने में समझी और बोली जाती है। अतः भारतीय भाषाओं में इसका स्थान सर्वोपरि है। यह हमारे देश की राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक कर्मचारी को राजभाषा का सम्मान करते हुए अपना अधिक काम हिन्दी में करना चाहिए। भाषा का सम्मान उसका प्रयोग करने से ही बढ़ता है।

राजभाषा : महत्वपूर्ण जानकारियाँ

- विश्व के लगभग 133 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है।
- ऐसे देशों में जहां भारतीय मूल के लोगों की संख्या अधिक है, जैसे फिजी, गुआना, मॉरीशस, नेपाल, कम्बोडिया, त्रिनिदाद आदि के स्कूलों में हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जाती है।
- प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर, दूसरा मॉरीशस तथा तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था।
- पश्चिम देशों में लंदन विश्वविद्यालय का 'स्कूल ऑफ ओरिएंटल एण्ड अफ्रीकन स्टडीज' सबसे प्राचीन संस्था है जिसमें हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था है।
- फ्रांस दूसरा बड़ा देश है, जहां हिंदी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है।
- उत्तरी अमेरिका में हिंदी पढ़ाने वाले 114 केन्द्र हैं, जबकि सोवियत रूस में 7 हिंदी शोध संस्थान हैं।
- दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना मद्रास में 1927 में हुई थी।
- ब्रिटिश भारत में, 1803 में पहला परिपत्र जारी किया गया ताकि सभी नियमों, विनियमों का हिंदी में अनुवाद किया जाए।
- दक्षिण में हिंदी का आगमन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1296 के आक्रमण के बाद शुरू हुआ।
- 14वीं सदी में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुण्डा, बीदर, आदिलशाही, कुतबशाही, बरीदशाही आदि राज्यों ने हिंदी को अपनी राजभाषा बनाया था।
- 'हिन्दुस्तान लैंग्वेज' नामक पहला हिंदी ग्रामर जांन जोशना केटलर ने 1698 में लिखा।
- 'तारिक फरिश्ता' नामक पुस्तक के अनुसार बीजापुर और गोलकुण्डा के बहमनी साम्राज्य की राजभाषा हिंदी थी।
- तंजावुर के राजा श्री शाह ने हिंदी में 'विश्वजी' और 'आधाविलास' नामक दो नाटक क्रमशः 1674 और 1711 में लिखे।
- देवनागरी टाइप अक्षर सर्वप्रथम 1667 में यूरोप में तैयार किए गए।
- प्रसिद्ध पश्चिमी विद्वानों – एडबीनग्रीव्स, ग्राउस, ग्रियर्सन, ग्रिफिथ, हार्नले, रोडाल्फ, टेसीदरी, ओल्डाम, पीनकैट इत्यादि ने हिंदी के विकास में बहुत योगदान दिया।
- संयुक्त राष्ट्र में हिंदी स्वीकार करने का प्रस्ताव मारीशस द्वारा रखा गया।
- वर्ष 1909 से मॉरीशस में 'हिन्दुस्तान' नामक तथा फिजी में 'फिजी समाचार' नाम से हिंदी साप्ताहिक छप रहे हैं।
- प्रतिवर्ष करीब 3000 हिंदी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं।
- विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है।

मधुमेह (डायबिटीज) : एक परिचय, कारण, लक्षण एवं सावधानियां

प्रकाश चन्द्र मैठाणी ★

आज का मानव भीड़–भाड़ वाले प्रदूषित वातावरण में रह रहा है। विश्व की आबादी आज पांच अरब से कहीं अधिक पहुंच गई है। अत्यधिक जनसंख्या, उद्योगों, मोटर वाहनों और मानव द्वारा पैदा किए गए कूड़ा–कचरे से जमीन, पानी, वायु सभी प्रदूषित हो गए हैं। शहरों में रहने वाले लोगों का शारीरिक श्रम बहुत कम है। वे आराम की जिंदगी बसर करते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, हृदय विकार आदि अनेक रोगों की संख्या बढ़ गई है। इन सभी रोगों में मधुमेह एक ऐसा रोग है जो आदमी को धीरे–धीरे लकड़ी में लगे घुन की तरह अंदर ही अंदर खोखला कर देता है।

मधुमेह का रोग यद्यपि आज के युग में तेजी से फैल रहा है लेकिन यह रोग नया नहीं है। ईसा से सैकड़ों वर्ष पहले महर्षि चरक और सुश्रुत ने इस रोग के विषय में काफी कुछ लिखा है। इन विशेषज्ञों ने मधुमेह को मधु की वर्षा या पिघलाने वाला रोग बताया है। सुश्रुत संहिता में इस रोग को पैतृक रोग अर्थात् एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले रोग का नाम दिया गया है। इस रोग को अंग्रेजी में 'डायबिटीज' और हिंदी में शर्करा मेह या मधुमेह कहते हैं।

मधुमेह क्या है : मधुमेह एक ऐसा रोग है जो शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन हार्मोन पैनक्रियास नामक ग्रन्थि द्वारा पैदा किया जाता है। पैनक्रियास से पैदा हुई इंसुलिन रक्त के अंदर ग्लुकोज का स्तर नियंत्रित करती है तथा ग्लुकोज को इस्तेमाल करने व शरीर में इसका भंडारण करने में मदद करती है।

सभी जीवित प्राणियों को इंसुलिन की आवश्यकता होती है जिन लोगों को मधुमेह का रोग होता है उनके शरीर में इंसुलिन या तो अल्प मात्रा में पैदा होती है या बिल्कुल ही पैदा नहीं होती। बिना इंसुलिन के कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज़ की खपत नहीं होती और परिणामस्वरूप रक्त में इसकी मात्रा बढ़ती जाती है और इसकी कुछ मात्रा पेशाब के साथ आने लगती है। मधुमेह को औषधियों एवं इंसुलिन के इंजेक्शनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

मधुमेह के कारण : मधुमेह रोग पर वैज्ञानिकों द्वारा अनेक प्रयोग करने के बाद भी इसके होने का पूरी तरह पता नहीं चल पाया है लेकिन यह ज्ञात हो चुका है कि निम्नलिखित कारण इस रोग को विकसित करने हेतु जिम्मेदार हैं:–

(1) आनुवंशिक : यह देखा गया है कि मधुमेह एक वंशानुगत रोग है। मधुमेह रोग मां–बाप, दादा–दादी, नाना–नानी आदि से बच्चों में आ सकता है।

(2) निष्क्रियता या स्थूलता : यह देखा गया है कि जो लोग अधिक आराम परस्त हैं उनमें मधुमेह होने की संभावना शारीरिक श्रम करने वालों की तुलना में अधिक होती है।

(3) चिकनाई वाला आहार : आहार मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र एवं सबसे बड़ा शत्रु भी है। चिकनाई वाला आहार तो हमारे शरीर का भयंकर शत्रु है। वसायुक्त आहार लेने से मोटापा बढ़ता है, जिससे व्यक्ति जल्दी ही मधुमेह का रोगी हो जाता है। प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ का सेवन, चोकर रहित आटा और चीनी का उपयोग भी काफी हद तक मधुमेह रोग के लिए जिम्मेदार है।

(4) मानसिक तनाव : मानसिक तनाव किसी एक रोग का नहीं बल्कि बहुत से रोगों का कारण है। चिंता, शोक, द्वेष आदि की भावनाएं ऐसी हैं जिससे स्नायुओं पर दाब बढ़ता है। भावनात्मक विघ्नों से मधुमेह का जन्म होता है।

(5) मोटापा : मोटापा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है इससे

★ सहायक प्रबंधक(राजभाषा) निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

मधुमेह ही नहीं बल्कि उच्च रक्तचाप, हृदय रोग आदि की संभावना बढ़ जाती है।

(6) विषाणुओं का संक्रमण : विषाणु पेनक्रियास ग्रन्थि में अव्यवस्थित बीटा कोषों को नष्ट कर देते हैं। विषाणुओं से लड़ने के लिए शरीर में पैदा हुई एन्टीबॉडीज भी पेनक्रियास पर आक्रमण करके बीटा कोषों पर दुष्प्रभाव डालती है जिससे इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और व्यक्ति मधुमेही हो जाता है।

(7) शरीर में होने वाले कुछ हार्मोन : शरीर में पैदा होने वाले कुछ हार्मोन हैं, जो इंसुलिन बनने पर प्रभाव डालते हैं। पिट्टयुटरी, थाइराइड, एड्रिनल आदि ग्रन्थियों में यदि कोई विकार पैदा हो जाता है तो इनसे पैदा होने वाले हार्मोन पेनक्रियास पर प्रभाव डालते हैं जिससे मधुमेह रोग की संभावना बढ़ जाती है।

(8) कुछ औषधियां : स्टेराइड, मूत्रवर्धक, उच्च रक्तचाप कार्टिजोन, त्वचा रोग और गर्भ निरोधक औषधियों का लम्बे समय तक प्रयोग करने से मधुमेह होने की संभावना बढ़ जाती है। हृदय रोग में प्रयोग होने वाली कुछ औषधियां भी मधुमेह को जन्म देती हैं।

(9) कुछ रोग : शरीर के कुछ ऐसे रोग हैं जिनके होने से मधुमेह की संभावना बढ़ जाती है। पेनक्रियास ग्रन्थि की सूजन, हृदय रोगों का आक्रमण आदि मधुमेह का कारण बन सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका और भारत के केरल राज्य में पेनक्रियास की सूजन को इस रोग का मुख्य कारण माना जाता है।

(10) जाति, देश तथा परिवेश : जिन जातियों के भोजन में कार्बोज, शराब आदि का उपयोग अधिक किया जाता है उनमें यह रोग अधिक होने की संभावना होती है। ऐसी जातियों में मधुमेह रोगी अधिक होते हैं।

(11) धूम्रपान व शराब : धूम्रपान व शराब पर किए गए शोध कार्यों से पता चलता है कि जो व्यक्ति 25 या अधिक सिगरेट पीते हैं, उन्हें 40 वर्ष की आयु के बाद धूम्रपान न करने वालों की तुलना में मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है। यह भी देखा गया है कि शराब पीने वालों को भी मधुमेह होने की अधिक संभावना होती है।

(12) उम्र : मधुमेह एक ऐसा रोग है जो किसी भी उम्र में कभी भी हो सकता है। लेकिन प्रायः यह देखा गया है कि यह रोग सामान्यतः 40 वर्ष की उम्र के बाद ही होता है। अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि 80% मधुमेह के रोगियों की उम्र 50 वर्ष से अधिक होती है। 60 से 70 वर्ष की उम्र में भी बहुत से लोगों को मधुमेह हो जाता है। जन्मजात बच्चों में यह रोग न के बराबर होता है। 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों में यह रोग 5% तक पाया जाता है। 40 से 60 वर्ष की उम्र में 100 व्यक्तियों में से 50 व्यक्तियों को यह रोग हो जाता है। 80 वर्ष की उम्र के बाद यह रोग न के बराबर होता है।

(13) व्यवसाय : जिस व्यवसाय में श्रम का बिल्कुल अभाव है, उससे संबंधित लोगों को मधुमेह रोग की संभावना अधिक होती है। मजदूर, खिलाड़ी, किसान में इस रोग के होने की संभावना न के बराबर होती है।

(14) अन्य कारण : जो लोग अधिक मीठा खाते हैं उनके शरीर में शर्करा का सामान्य स्तर बनाए रखने के लिए क्लोम ग्रन्थि की बीटा कोशिकाओं को निरंतर उत्तेजित होकर बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है। परिणामस्वरूप बीटा कोशिकाएँ नष्ट हो जाती हैं और मनुष्य स्थाई रूप से मधुमेह का रोगी हो जाता है।

मधुमेह के लक्षण : मधुमेह एक ऐसा रोग है जो अन्दर ही अन्दर व्यक्ति को कमजोर बनाकर रोगों के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। इसीलिए इसे 'साइलेंस किलर' कहा जा सकता है।

इस रोग के निम्नलिखित लक्षण हैं :–

(1) बार–बार पेशाब आना, (2) बहुत प्यास लगना, (3) अधिक भूख लगना, (4) मुँह सूखना, (5) वजन का घटना, (6) कमजोरी आना व थकावट होना, (7) घावों का जल्दी ठीक न होना, (8) त्वचा और मसूड़ों में विकार होना, (9) नजर कमजोर होना, (10) हाथ–पैरों का सुन्न होना, (11)

यौन दुर्बलता या नपुंसकता, (12) पेशाब पर चींटी लगना, (13) बेहोशी आना।

मधुमेह का उपचार : मधुमेह के लिए तीन प्रकार की औषधियां प्रयोग की जाती हैं। ये औषधियां हैं:– (1) मुँह से ली जाने वाली औषधियां, (2) इंसुलिन, (3) अन्य औषधियां।

(1) मुँह से ली जाने वाली औषधियां : मुँह से ली जाने वाली औषधियां दो प्रकार की होती हैं :– सल्फोनिल यूरिया ग्रुप की औशधियां व वाइग्वानाइड्स।

पहले प्रकार की औषधियां पेनक्रियास में बीटा कोशिकाओं को उत्तेजित करके अधिक इंसुलिन पैदा करती हैं। इसके बाद ये औषधियां ग्लूकोज को यकृत से विमुक्त होने से रोकती हैं।

दूसरे प्रकार की औषधियां रक्त में उपस्थित ग्लूकोज के उपयोग में वृद्धि करती हैं। ये दोनों औषधियां रक्त में शर्करा का स्तर कम करती हैं। क्लोरप्रोपेमाइड ग्लाइबेन क्लेनाइड, ग्लाइपिजाइड आदि मधुमेह नियंत्रण की बहुत अच्छी औषधियां हैं।

(2) इंसुलिन : शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह का रोग होता है। इसलिए इस रोग में इंसुलिन बहुत ही प्रभावशाली है। इंसुलिन को कई प्रकार से लिया जा सकता है। जैसे :– (1) नेजल स्प्रे द्वारा, (2) इंसुलिन के इंजेक्शन लगाकर, (3) इंसुलिन पम्प, (4) इंसुलिन पैन द्वारा।

(3) अन्य औषधियां :– मधुमेह के लिए कुछ दूसरी औषधियां हैं, जिन्हें जैनरिक औषधियां कहते हैं। जैनरिक औषधियों को डाक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए अन्यथा नहीं। क्योंकि इनसे रक्त में चीनी का स्तर एक दम गिर सकता है। जो कि हानिकारक हो सकती है। सामान्यतः इन औषधियों में डोलबूटामाइड और कोलर प्रोपामाइड औषधियां बहुत प्रचलित हैं।

जिन तरीकों या औषधियों का ऊपर उल्लेख किया गया है। वे सब मधुमेह नियंत्रण के लिए है, इलाज के लिए नहीं। वास्तविकता तो यह है कि आज तक कोई भी अंग्रेजी दवा ऐसी नहीं खोजी जा सकी है जोकि मधुमेह को ठीक कर सके।

मधुमेह से बचाव के तरीके

(1) मधुमेह के रोगी पुरुष को मधुमेह की रोगी महिला से विवाह नहीं करना चाहिए। यदि माता–पिता दोनों को शूगर है तो होने वाले बच्चों को शूगर की शिकायत की संभावना अधिक होती है। शादी के समय जन्मपत्री मिलाने के बजाय यह पता करना चाहिए कि वर या कन्या के परिवारों में मधुमेह का इतिहास तो नहीं है।

(2) प्राणायाम, व्यायाम और योगासन अवश्य करना चाहिए। शारीरिक श्रम मधुमेह को दूर भगाता है।

(3) सैर करना चाहिए, इससे रक्त संचार ठीक रहता है। जिससे मधुमेह व रक्तचाप की शिकायत होने की संभावना बहुत कम होती है।

(4) जामुन, करेला, मेथी का सेवन अवश्य करना चाहिए। इससे मधुमेह दूर रहता है।

(5) व्यक्ति को गलत तथा अधिक आहार लेने से मधुमेह हो सकता है।

(6) शराब पीना, धूम्रपान करना और अन्य नशे मधुमेह को जन्म दे सकते हैं।

(7) अधिक मीठे पदार्थ नहीं खाने चाहिए।

(8) जहां तक हो सके चिकनाईयुक्त भोजन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।

मधुमेह की रोकथाम के तरीके : मधुमेह के रोगी को रोग की रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए :–

(1) रोगी को घी और नारियल का तेल नहीं खाना चाहिए।

(2) पूरी, कचौड़ी, समोसा, पकौड़े आदि नहीं खाने चाहिए।

(3) गुड़, शक्कर, चीनी, शर्बत–मुरब्बा, आइसक्रीम तथा ठंडे पेय पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए।

(4) अफीम, गांजा, शराब, बीड़ी–सिगरेट, तम्बाकू, मांस अण्डा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए।

(5) इंसुलिन या मधुमेह नियंत्रण करने वाली दवाइयों के प्रयोग के दौरान रोगी को भोजन नहीं छोड़ना

चाहिए।

(6) रक्त व मूत्र परीक्षण हर दूसरे–तीसरे माह करवाते रहना चाहिए। इससे रोगी रोग के प्रति सजग रहता है।

(7) थोड़ा–थोड़ा करके कई बार भोजन करना चाहिए।

(8) चावल और आलू का सेवन नहीं करना चाहिए।

(9) इंसुलिन अचानक नहीं छोड़ना चाहिए।

(10) अपने पैरों, त्वचा और आंखों का विशेष ख्याल रखना चाहिए।

(11) तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। चिंता सभी रोगों की जड़ है।

(12) हरी पत्तियों वाली सब्जियां, टमाटर, ककड़ी, खीरा, छाछ, सूप आदि का सेवन करना चाहिए।

(13) मिठास के लिए सैक्रीन का सेवन करना चाहिए।

(14) खूब पानी पीना चाहिए।

(15) कम मिठास वाले ताजे फल, अंकुरित अनाज और मोटे आटे की रोटियों का सेवन करना चाहिए।

नारी सशक्तिकरण

एस.के. दुबे ✶

आज की नारी, होने तुम्हें सशक्त।
देर है किस बात की, निकल जायेगा वक्त।।
वह काम कौन सा है, जो नारी ने न किए।
हर कदम को मिलाया, नए हौंसले दिए।
ममता सभी को बांटी, हर जहर खुद पिए।
हैवानियत की हद को, हर जख्म सी लिए।।

शिकवे गिले के निकले, भले रही अस्त–व्यस्त।
आज की नारी, होना तुम्हें सशक्त।
अबला को सब सताते, सबला से दूर जाते।
कन्याओं पर जुल्म करते, नव वधुओं को जलाते।
रातों में पाप करते, दिन में दिए जलाते।
बनकर नकाबपोशी, दुनिया को सब बनाते।

इन जुल्मी दरिन्दों पर, करो कार्यवाही सख्त।
आज की नारी होना तुम्हें सशक्त।

पाकिस्तान की मलाला, तालिबानियों को हिला डाला।
सीन पर खाई गोली, फिर धधक उठी ज्वाला।
शिक्षा के नाम का, अभियान चला डाला।
अंधेरे में रह रहे थे, वहां कर दिया उजाला।

जो डरा रहे थे उसको, हुए तालिबान त्रस्त।
आज की नारी होना तुम्हें सशक्त

अब कम नहीं हैं नारी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनी नारी।
आई.ए.एस. बनी नारी, आई.पी.एस. बनी नारी।
नेवी, सुरक्षा, आकाश, हिमालय पर चढ़ी नारी।
कड़ी मुश्किलों को नारी, पल भर में करे ध्वस्त।
आज की नारी होना तुम्हें सशक्त।
देर है किस बात की, निकल जाएगा वक्त।।

✶ अधीक्षक (तकनीकी), क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद

बचपन

जितेन्द्र कुमार सिंगला ✶

बचपन कहीं खो गया है
जिन्दगी को क्या हो गया है
खो गया हूँ इस भीड़ में
मै कब पहुंचूंगा नीड़ में
यहाँ ना कोई साथी है ना प्यारा है
ना कोई दोस्त हमारा है
हर चीज बेगानी लगती है
हर चेहरा झूठा लगता है
सब को अपने से मतलब है
पर दिखने में सब अच्छा है
इस कंक्रीट के जंगल में,
सब व्यवसाई हैं, सोदाई हैं
हर चीज को पैसों से तोलते हैं,
प्यार की कीमत रखते हैं
बचपन अपना मस्ताना था
अब बचपन भी प्यार को तरसे है
सूखी फसलें जल को तरसें
पानी पे बादल बरसे हैं
हवा सा बहता समय दीवाना
गया वक्त फिर हाथ ना आना
चाव था पहले बड़ा होने का
अब बचपन को मन तरसे है
अब हँसना किससे सीखूं
हंसने को रूह भी तरसे है
पत्थर के बुत बन गए हैं हम
अब जीने को मन तरसे है
लौटा दे जो कोई बचपन
एहसान रहेगा जन्म जन्म
एहसान रहेगा जन्म जन्म

✶कम्प्यूटर ऑपरेटर (अनुबंध पर), निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

जीवन जीने की कला : योग

आर.पी. जोशी ★

समय परिवर्तनशील होता है। आज से 30–40 वर्षों पूर्व तक समाज का एक बड़ा वर्ग 'योग' को बूढ़ों का व्यायाम मान उसे हेय दृष्टि से देखा करता था। 'योग' को सन्यास का पर्याय माना जाता था। अतः परिवारों में योग के प्रति उत्साह कमोबेश न के बराबर था। समय ने करवट बदली। कुछ योग पुरुषों ने इस प्राचीन विधा को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। वे अपने मिशन में सफल भी हुए जिसके परिणाम आश्चर्यजनक रहे। 'योग' के प्रति लोगों का नज़रिया ही बदल गया। वे लोग जो कुछ समय पहले तक 'योग' से बचते थे आज चलते–फिरते नाखुन घिसते देखने को मिल जाते हैं। यही नहीं धनाड्य वर्ग ने तो 'योग' को स्टेट्स सिंबल ही बना लिया है।

योग का शाब्दिक अर्थ है – 'जुड़ना'। संभवतः यही 'योग' का वास्तविक अर्थ भी है। योग संस्कृत धातु 'युज' से मिलकर बना है जिसका अभिप्राय जुड़ना ही है। स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार, अपने आपको पहचानना या यूं कहें 'अन्तर्मुखता' ही योग की कसौटी है। इसीलिए अष्टांग योग के जनक महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए कहा "योगः चित्त वृति निरोधाः" अर्थात् चित्त की वृतियों का शमन कर देना योग है। मन में उठ रही लघु–लहरियों को शान्त कर देना योग है। ऐसी शान्ति जिससे कर्त्तव्य–अकर्त्तव्य का बोध होने लगे वह योग है। राग–द्वेष, सुख–दुख, लाभ–हानि, जय–पराजय से उठकर जब हम 'सर्वे भवन्तु सुखिनः" की भावना से कार्य करे वह योग है।

किन्तु इस लक्ष्य को प्राप्त करना उतना ही कठिन भी है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की संकल्पना प्रतिपादित की अर्थात् आठ सोपान से गुजर कर ही इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। वे आठ सोपान है – यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।

समाज के कल्याण की कामना 'यम' के अंतर्गत है। स्वयं का आचरण, व्यवहार, 'नियम' से निर्धारित होता है। शरीर की स्थिरता 'आसन' से संभव है। 'प्राणायाम' मानसिक शुद्धि का साधन है। 'प्रत्याहार' इन्द्रियों को अन्तर्मुखी बनाने का कौशल है। एकाग्रता विकसित करने का साधन 'धारणा है जबकि मन का निर्विकार, निर्विषय होना 'ध्यान' है। चैतन्य रहते हुए अपने कर्त्तव्य में लीन हो जाना समाधि है।

यदि हम इस पूरी प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक देखें तो पाएंगे कि 'समाज' से प्रारम्भ होकर 'व्यक्ति विशेष', 'स्थूल' शरीर से 'सूक्ष्म' शरीर और अंत में 'कारण' शरीर तक पहुंचा देना ही योग का मूल लक्ष्य है। यही अन्तर्मुखता भी है। परम आनन्द की अनुभूति अन्तर्मुखता में ही निहित है।

हमारे ऋषि–मुनियों का यह दृढ़ विश्वास था कि यदि हमारे समाज में सुख–शांति नहीं है तो उसका दुष्परिणाम मानव–जीवन पर अवश्य पड़ेगा। मनुष्य का आचरण यदि संयमित नहीं है तो उसका प्रतिकूल प्रभाव स्वयं के शरीर पर अवश्य होगा। यदि मनुष्य अपने शरीर को नियंत्रित करने में असमर्थ है तो उसका मन भी चंचल बना रहेगा और यदि उसका मन चंचल है तो चित्त की निर्मलता की कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार कहा जा सकता है कि योग के आठों सोपान एक–दूसरे के साथ मजबूती से श्रृखंलाबद्ध हैं। किसी भी एक कड़ी के कमजोर हो जाने से अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में रुकावट आ सकती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि योग को पूर्ण समग्रता से अपनाना अपेक्षित है क्योंकि इसका कोई शार्टकट नहीं होता।

आजकल 'योग' को रोग भगाने का एक अहम् साधन मान लिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि योग शारीरिक स्वस्थता के लिए बहुत उपयोगी है किन्तु यह भी उतना ही सत्य है कि रोगों को दूर करना ही 'योग' का ध्येय नहीं है। वास्तव में योग जीवन जीने की कला है। हर देश, काल, परिस्थिति में शांत एवं स्थिर बने रहना योग

★ सहायक महाप्रबंधक(राजभाषा), एअर इंडिया लि., नई दिल्ली

का सबसे बड़ा गुण है। आज के आपाधापी भरे जीवन में हर व्यक्ति तनावग्रस्त है। एक–दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ मन का चैन उड़ा रही है। हमारा शरीर मस्तिष्क से नियंत्रित होता है। मानसिक तनाव शारीरिक व्याधियों को जन्म देता है। 'योग' मानसिक तनाव को दूर करने का सबसे उपयोगी साधन है। नियमित योगाभ्यास से शरीर निरोगी, आचरण संयमित एवं मन शांत बनता है।

यहां यह स्पष्ट कर देना भी जरूरी है कि योगाभ्यास कोई व्यायाम नहीं है। यौगिक क्रियाएं सहज होती हैं, वे श्रमसाध्य नहीं होतीं। अतः योगाभ्यास जहां तरो–ताजगी एवं शरीर के हल्केपन का अहसास दिलाता है वहीं व्यायाम या वर्जिश थकान को जन्म देती हैं।

प्रातः किया जाने वाला योगाभ्यास लाभ की दृष्टि से ज्यादा उपयोगी है क्योंकि वातावरण की ताजगी, ऑक्सीजन की अधिकता, प्रदूषण की कमी, शान्त माहौल साधना को दृढ़ करने में सहायक होते हैं। दैनिक कर्म से निवृत हो साधना खुली जगह पर करना उपयोगी होता है। योगाभ्यास कमरे या हाल में करते समय ध्यान रखें कि वह हवादार हो, नमी रहित हो, जमीन समतल हो और कपड़े साफ–सुथरे व ढीले हों। योगाभ्यास की कई क्रियाएं खाली पेट ही की जानी अनिवार्य होती है। शाम के समय करने पर भोजन के बाद 4 घंटे का अन्तराल रखना उपयोगी रहेगा ताकि क्रिया से पूर्व भोजन पूर्ण रूप से पच जाए।

सर्वप्रथम सूक्ष्म क्रियाएं करनी चाहिए ताकि शरीर खुल जाए। तदुपरान्त शरीर की स्थिरता के लिए आसनों का अभ्यास करें। मन की स्थिरता के लिए शरीर की स्थिरता बहुत जरूरी है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे पानी से भरे बर्तन को हिलाएं और चाहें कि पानी में कोई हलचल न हो, जो संभव नहीं है। शरीर की स्थिरता आसन से ही आती है। अपनी आयु, शारीरिक बनावट आदि को ध्यान में रखकर आसनों का चयन करना चाहिए। प्रयास करें खड़े होकर, बैठकर, पेट के बल लेट कर व पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले एक–एक अथवा दो–दो आसन अवश्य करें। आसनों में ठहराव आवश्यक है किन्तु शरीर के साथ हिंसा वर्जित अर्थात् जोर–जबरदस्ती नहीं करना।

आसनों के बाद कुछ प्राणायाम भी अवश्य करें क्योंकि प्राणायाम स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर जाने की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। आसन से प्राप्त शरीर की स्थिरता अंततोगत्वा प्राणायाम के माध्यम से मन को स्थिर एवं अन्तर्मुखी बनाने में सहायक होती है।

प्राणायाम के बाद ध्यान करना बहुत उपयोगी होता है। यह समझ लेना नितान्त आवश्यक है कि ध्यान कैसे किया जाए, किस वस्तु पर किया जाए और किसके लिए किया जाए क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त को निर्मल और शान्त बनाने में ध्यान का अभ्यास जरूरी हैं।

आप इतना तो कर सकते हैं

- ☞ **हिंदी में हस्ताक्षर करें।**
- ☞ **हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में दें।**
- ☞ **हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करे ।**
- ☞ **हिंदी भाषी राज्यों को भेजे जाने वाले लिफाफे पर पते हिंदी में लिखें।**
- ☞ **विभाग के सभी कम्प्यूटरों पर बहुभाषी शब्द–संसाधक यूनिकोड लोड करें।**
- ☞ **फाइल कवर, स्टेशनरी आदि पर कार्यालय का नाम द्विभाषी में ही लिखें।**
- ☞ **हिंदी हस्ताक्षरित अंग्रेजी के पत्रों का उत्तर भी हिंदी में ही दें।**
- ☞ **हिंदी प्रतियोगिताओं में भाग लें।**
- ☞ **अपने साथियों को हिंदी में काम करने की प्रेरणा दें।**

फौलादी इरादों वाले राजनेता लालबहादुर शास्त्री

डॉ. मीना राजपूत ★

स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लालबहादुर शस्त्री जी के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था – ''अत्यंत ईमानदार, दृढ़ संकल्प, शुद्ध आचरण और महान परिश्रमी, ऊँचे आदर्शों में पूरी आस्था रखने वाले निरंतर सजग व्यक्तित्व का ही नाम है – लालबहादुर शस्त्री।''

सरल व्यक्तित्व के धनी लालबहादुर शास्त्रीजी एक असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी थे। अपनी तरह के इकलौते नेता शास्त्रीजी हमेशा हर आम व खास सभी के प्रिय नेता रहे और इसकी प्रमुख वजह थी वैयक्तिक तथा सार्वजनिक जीवन में उनकी नैतिकता, कर्तव्यपरायणता और ईमानदारी। सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक स्तर पर हर एक के साथ समान व्यवहार। **'जय जवान, जय किसान'** का नारा देनेवाले स्वतंत्र और गणतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्रीजी भारतीय जनता के सच्चे प्रतिनिधि थे। सुप्रसिद्ध राजनेता व महान स्वतंत्रता सेनानी शास्त्रीजी ने अपना संपूर्ण जीवन निःस्वार्थ भाव से देश की सेवा में बिताया। शास्त्रीजी का जन्म 2 अक्तूबर, 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय के एक निम्न मध्यवर्गीय कायस्थ परिवार में हुआ था। शास्त्रीजी के पिता श्री शारदा प्रसाद श्रीवास्तव प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। बाद में उन्होंने राजस्व विभाग में लिपिक की नौकरी कर ली थी। वे बहुत धनी तो नहीं थे, परन्तु अपनी सच्चाई और ईमानदारी के कारण प्रतिष्ठित लोगों में उनकी गिनती होती थी। लालबहादुर जब डेढ़ साल के ही थे तब सन् 1906 में उनके सिर से पिता का साया उठ गया, इसलिए उनकी माता रामदुलारी देवी अपनी दोनों बेटियों और उन्हें लेकर अपने पिता श्री हजारीलाल के पास मिर्जापुर चली गईं थीं। नाना के लाडले 'नन्हें' की प्राथमिक शिक्षा अपने ननिहाल में और आगे की पढ़ाई मौसा श्री रघुनाथ प्रसाद के यहाँ हरिश्चन्द्र हाईस्कूल, बनारस से हुई।

नन्हें लालबहादुर शारीरिक दृष्टि से काफी कमजोर थे। उनके बचपन के कई किस्से प्रसिद्ध हैं, जो अविस्मरणीय व अनुकरणीय हैं। एक किस्सा है– अपने शैशवावस्था में एक बार वे अपने कुछ साथियों के साथ बाग में फल तोड़ने गए। उनके साथियों ने तो जल्दी–जल्दी खूब सारे फल तोड़ लिए, किंतु बालक लालबहादुर बड़ी मुश्किल से एक ही फल तोड़ पाए थे कि माली को आता देख सभी बच्चे भाग खड़े हुए। सबमें छोटे व कमजोर लालबहादुर भाग ही नहीं पाए। लड़कों के भाग जाने के कारण गुस्साए माली ने अपना सारा गुस्सा लालबहादुर पर निकाला और उन्हें पीटने लगा। बालक लालबहादुर फूट–फूट कर रोने लगे। रोते–रोते माली से बोले– ''आप मुझे इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि मेरे पिता नहीं हैं?'' 5–6 वर्ष के छोटे–से बच्चे के मुँह से ऐसी बात सुनकर माली को दया आ गई। उसने उन्हें बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहा– ''बेटा! तुम्हारे पिता नहीं हैं तब तो तुम्हारी जिम्मदारी और भी बढ़ जाती है। तुम्हें तो अपनी माँ का भी ख्याल रखना चाहिए और खुद भी अच्छी आदतें सीखनी चाहिए।'' बालक लालबहादुर ने इस बात को गांठ बाँध लिया। उन्होंने माली से क्षमा मांगी और निश्चय किया कि भविष्य में कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी को तकलीफ हो। कहते हैं कि इस घटना के बाद उनकी बाल सुलभ चंचलता का स्थान गंभीर अनुशासन ने ले लिया।

लालबहादुर बचपन से ही साहसी और स्वाभिमानी थे। अपने विद्यार्थी जीवन में एक बार वे अपने सहपाठियों के साथ गंगा नदी के पार मेला देखने गए। वापसी के समय इनके पास नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं बचे। स्वाभिमानी लालबहादुर ने अपने किसी भी साथी से आर्थिक सहायता नहीं ली, बल्कि बहाना लिया कि वे थोड़ी देर और मेला देखेंगे और बाद में आएंगे। जब उनके सभी साथी नाव में बैठकर नदी पार चले गए तब वे नदी में उतर गए। उस समय नदी उफान पर थी। पास खड़े मल्लाहों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, परन्तु उन्होंने किसी की कोई मदद नहीं ली। किसी भी खतरे की परवाह न करते हुए सकुशल गंगा पार की और घर पहुँचे। इस प्रकार उन्होंने बचपन में ही यह साबित कर दिया कि चुनौतियों का सामना करने के लिए बुलंद इरादों की आवश्यकता होती है।

★ सहायक प्रबंधक(राजभाषा), क्षेत्रीय कार्यालय, नवी मुम्बई

लालबहादुर में लड़कपन से ही धैर्य, आत्मनियंत्रण, शिष्टाचार, स्वावलंबन के गुण कूट–कूट कर भरे थे। कद में बहुत छोटे और शरीर से बेहद कमजोर लालबहादुर गुरुनानक देवजी की यह सूक्ति अक्सर गुनगुनाया करते थे –

नानक नन्हू ही रहो, जैसे नन्हीं दूब।
रुँख सूख जाएंगे, दूब खूब की खूब।।

लालबहादुर शास्त्रीजी का कहना था कि आदमी कद से बड़ा नहीं होता है, वह काम से बड़ा होता है। उनका मानना था कि छोटी सी दूब की तरह आदमी को हमेशा विनम्र रहना चाहिए क्योंकि तेज आँधी चलने पर बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन घास वैसी ही हरी–भरी और सही सलामत रहती है। धुन के पक्के अटूट आत्मविश्वासी लालबहादुर ताउम्र दूब की तरह विनम्र रहे।

शैशवावस्था से किशोरावस्था की ओर बढ़ते धीर–गंभीर लाल बहादुरजी के मन में स्कूली जीवन में ही देशभक्ति का जज्बा उठने लगा था। देशप्रेम की भावना और देश की आजादी की ज्वाला जगाने में उनके अंग्रेजी अध्यापक व स्काउट मास्टर श्री निष्कामेश्वर मिश्र ने उल्लेखनीय भूमिका निभायी। हरिश्चन्द्र हाई स्कूल में पढ़ाई के दौरान काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के लिए आए गाँधीजी को पहली बार देख–सुनकर उनके व्यक्तित्व का लालबहादुर पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोकमान्य तिलक के बनारस आगमन ने उनके मन में देशप्रेम की भावना को और अधिक दृढ़ व प्रबल कर दिया। गाँधीजी द्वारा 1921 में असहयोग आंदोलन के आवाहन पर देशभक्ति से ओत–प्रोत लालबहादुर का मन वतन के लिए कुछ कर गुजरने को बेताब हो उठा। स्कूल की पढ़ाई छोड़कर वे इस आंदोलन में कूद पड़े परंतु उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय उनकी उम्र मात्र 17 साल थी इसलिए उन्हें कड़ी चेतावनी देकर रिहा कर दिया गया। इसी वर्ष शास्त्रीजी ने हिन्दी, अंग्रेजी तथा दर्शन शास्त्र विषय लेकर गाँधीजी के स्वावलंबन व स्वराज के आवाहन से प्रेरित होकर खोले गए राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय काशी विश्वविद्यापीठ (वर्तमान में महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ) में स्नातक (शास्त्री) में प्रवेश लिया। इस विद्यापीठ के प्रधानाचार्य डॉक्टर भगवानदास ने लालबहादुर के मन में जीवन के प्रति समन्वयवादी दृष्टिकोण पैदा किया। नैतिक व आत्मिक उन्नति करना सिखाया। यहीं से उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण को सुनने की कला में दक्षता प्राप्त हुई। दूसरों को समझने के लिए हमेशा तत्पर रहनेवाले संगठन कार्य–कुशल लालबहादुर शास्त्री को इसी विद्यापीठ ने और अधिक प्रौढ़, जिम्मेदार व सुलहकारी स्वभाव का व्यक्ति बनाया। 1925 में प्रथम श्रेणी में स्नातक की परीक्षा पास करने पर 'शास्त्री' की उपाधि प्राप्त लालबहादुरजी ने अपना जाति सूचक उपनाम 'श्रीवास्तव' हटा अपने नाम के आगे 'शास्त्री' लिखना शुरु कर दिया, जो कालांतर में उनके नाम का पर्याय बन गया।

शास्त्रीजी ने स्नातक के बाद देश सेवा का व्रत लेते हुए लोक सेवक मंडल के कार्यकर्ता के रूप में अपने राजनैतिक जीवन की शुरुवात की, जिसकी स्थापना पंजाब केसरी लाला लाजपतराय ने सन् 1921 में की थी। इसके अध्यक्ष हिन्दी, हिन्दु और हिन्दुस्तान के पुरोधा राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन व पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों थे। मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई, निष्ठा और लगन के साथ काम करने के अपने गुणों से शास्त्रीजी ने जल्दी ही इस संस्था में अपने लिए प्रतिष्ठित स्थान बना लिया। शास्त्रीजी से प्रभावित लाला लाजपतराय ने शास्त्रीजी को सन् 1925 में लोकसेवक मंडल की आजीवन सदस्यता प्रदान की, जो कि असाधारण सम्मान, गौरव और रुतवे का प्रतीक थी। शास्त्रीजी ने टंडनजी के साथ 'भारत सेवक संघ' की इलाहाबाद इकाई के सचिव के रूप में भी काम किया। आगे चलकर राजर्षि टंडन की मृत्यु के बाद वे इसके अध्यक्ष बने। यहाँ उन्हें देभक्ति, मैत्रीभाव, त्याग तथा समर्पण भाव की अविस्मरणीय शिक्षा मिली। देश और देशवासियों की सेवा के उद्देश्य से शुरु इस मंडल का ध्येय वाक्य था – **''सादा जीवन उच्च विचार'**। दृढ़ प्रतिज्ञ शास्त्री जी ने इसे अपने जीवन में उतार लिया और आजीवन इसे अपनाए रहे।

शास्त्रीजी 1928 में इलाहाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड के सदस्य चुने गए तथा 4 वर्ष इलाहाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सदस्य भी रहे। 16 मई 1928 को शास्त्रीजी का विवाह मिर्जापुर निवासी श्री गणेश प्रसाद की सुपुत्री लालमणी देवी (विवाह के बाद ललिता देवी) के साथ सम्पन्न हुआ। शास्त्री जी की 6 संताने हुई, 2 पुत्रियाँ– कुसुम व सुमन और 4 पुत्र– हरिकृष्ण, अनिल, सुनील व अशोक।

भारतीय स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व आंदोलनों, जैसे– 1921 के असहयोग आंदोलन, 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभानेवाले शास्त्रीजी 7 बार जेल गए

और कुल 9 वर्ष जेल में रहे। अंग्रेजों द्वारा अनेक कष्ट दिए जाने पर भी वे कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। जेल में रहकर भी एक सच्चे सत्याग्रही की तरह रहे। संध्या, योगासन और प्राणायाम करनेवाले शास्त्रीजी ने योगासन द्वारा न सिर्फ अपने शरीर को ही सुडौल और स्वस्थ्य बनाया, वरन् जेल में रहनेवाले अपने अन्य साथियों को भी इसकी प्रेरणा दी। कठिन साधना व कष्ट भरे जेल जीवन में कांट, हीगेल, लास्की, बट्रैंड रसल, हक्राले, लेकनन आदि प्रसिद्ध पश्चिमी दार्शनिकों, राजनीतिक विचारकों की पुस्तकों का अध्ययन किया। भौतिकी तथा रसायनिकी की शोधकर्ता मैडम क्यूरी की जीवनी का हिन्दी अनुवाद किया और 'भारत छोड़ो आंदोलन' का इतिहास लिखा।

अपने गुरुजनों– राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन और जवाहरलाल नेहरू – के आदेश के अनुसार आगे चलकर शास्त्रीजी ने अपना मार्ग काँग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में चुना। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और शास्त्रीजी को पुलिस तथा यातायात मंत्री नियुक्त किया गया। उनके मंत्रित्वकाल में पहली बार महिलाओं की नियुक्ति, महिला बस संवाहक (बस कंडक्टर) के रूप में की गई। पुलिस का रूप परिवर्तन किया गया। उन्होंने ही भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी–चार्ज के स्थान पर पानी की बौछार का प्रयोग प्रारंभ कराया। उनके परामर्श पर ही सरकार ने सड़क यातायात का राष्ट्रीयकरण किया, जिसके तहत गांवों तक बस सेवा का विस्तार हुआ।

1950 में टंडनजी द्वारा त्याग–पत्र दिए जाने के बाद शास्त्री जी को कांग्रेस का महामंत्री बनाया गया। 1951 में पंडित नेहरू ने कांग्रेस अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव का पद सौंपा व 1952 में गणतंत्र भारत की पहली सरकार बनने पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें रेल एव यातायात मंत्री बनाया। कर्मठ व निष्ठावान शास्त्रीजी ने भारतीय रेलों में अंग्रेजों के काल में प्रचलित शाही ठाठबाट वाले फर्स्ट क्लास को समाप्त कर 4 की जगह 3 ही दर्जे बनाए और तृतीय दर्जे में पंखे लगवाकर उसे सुविधाजनक बनाया। उनके कार्यकाल में अगस्त, 1956 में आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में एक सिग्नल मैन की गलती से भीषण रेल दुर्घटना घटी। इसके कुछ माह बाद ही तमिलनाडु के अरियालुर में भी एक और रेल दुर्घटना हुई। इन दोनों दुर्घटनाओं में कई लोगों की जानें जाने से आहत शास्त्रीजी ने दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी उठाते हुए रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। देश एवं संसद द्वारा उनकी इस अभूतपूर्व पहल को काफी सराहा गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने इस घटना पर संसद में बोलते हुए शास्त्रीजी की ईमानदारी एवं उच्च आदर्शों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने लालबहादुर शास्त्री का इस्तीफा इसलिए नहीं स्वीकार किया है कि जो कुछ हुआ वे इसके लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि इससे संवैधानिक मर्यादा में एक मिसाल कायम होगी।

अपने आप में एक मिसाल शास्त्रीजी 1957 में करीब एक वर्ष के लिए संचार व परिवहन मंत्री बने। इस छोटी सी अवधि में ही उन्होंने प्रशासन को चुस्त–दुरुस्त बनाने के लिए कई कारगर कदम उठाए। तत्पश्चात उन्हें उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने पर उन्होंने छोटे–मोटे उद्योगों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया और गांव–गांव में कुटीर उद्योग शुरु कराया। विशाखापट्टनम में पोत निर्माण यार्ड की शुरुआत उन्हीं के मंत्रित्व काल में हुई। 1961 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत के निधन के बाद शास्त्रीजी की गृह मंत्री के प्रभावशाली पद पर नियुक्ति की गई।

शास्त्रीजी के जीवन का अधिकांश भाग मंत्री पद पर कार्य करते हुए बीता और इस दौरान उनकी सारी सहानुभूति जीवन यापन के लिए सतत संघर्ष करने वाले अभाव ग्रस्त लोगों के साथ रही। वह सदैव इस दिशा में प्रयासरत रहे कि देश में कोई भूखा, अशिक्षित व बेरोजगार न रहे तथा सबको विकास के समान अवसर मिलें। इसी के चलते उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कई नई व अनूठी पहल की। यही नहीं, विभिन्न मंत्रित्व काल का हर मामला बड़ी कुशलता, सूझबूझ तथा सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया। चाहे वह कश्मीर में हजरत बल दरगाह में हजरत के पवित्र बाल चोरी होने का मामला हो या दक्षिण में भाषा की वरीयता का हिन्दी विरोधी मामला हो। डाक तार विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल की घटना हो या श्रीलंका के साथ तमिल अप्रवासियों को लेकर चल रहा विवाद हो या फिर भाषा समस्या को लेकर असम में हुआ उपद्रव हो। उनके इसी गुण के कारण नेहरूजी उन्हें श्रेष्ठ सुलहकार कहा करते थे। पुरुषोत्तमदास टंडन उनके बारे में कहते कि उनमें कठिन समस्याओं का समाधान करने, किसी विवाद का हल खोजने तथा प्रतिरोधी दलों में समझौता कराने की अद्‌भुत

प्रतिभा विद्यमान है। और, उनकी यह बात शास्त्रीजी के कार्यों से बखूबी सिद्ध हुई है।

भारत पर चीन के सन् 1962 में हमले के दौरान शास्त्रीजी ने अपने गृहमंत्रित्व काल में देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। परन्तु, चीन के धोखे व विश्वासघात के कारण चीन के हाथों भारत की पराजय के बाद नेहरू दिल के दौरे का शिकार हो गए। नेहरूजी का साथ देने के लिए शास्त्रीजी को बिना विभाग के मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और वे नेहरूजी के कार्यों में सहयोग करते रहे। 17 मई, 1964 को नेहरूजी के मरणोपरांत शास्त्रीजी को भारत के प्रधानमंत्री के गौरवपूर्ण पद के लिए चुना गया और 9 जून, 1964 को शास्त्रीजी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की।

शास्त्रीजी जब प्रधानमंत्री बने तब देश बेहद कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। चीनी हमले के बाद सुरक्षा खर्च का भार, महंगाई की मार, खाद्यान की भारी कमी, विदेशी मुद्रा का संकट, देश में कहीं सूखा व कहीं बाढ़ का प्रकोप देश के सामने मुँह बाए खड़ा था। शास्त्रीजी ने इस बात को अच्छी तरह जाना और समझा कि देश रक्षा के महत्वपूर्ण कार्य में सिर्फ जवान ही नहीं किसानों का कर्तब्य भी कुछ कम नहीं होता। उनका दृढ़ मत था कि खाद्यान्न के सम्बन्ध में आत्मनिर्भरता उतनी ही जरूरी है, जितनी रक्षा के मामले में। उनका विचार था कि देश की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता तथा सुख–समृद्धि केवल सैनिकों के शस्त्रों पर ही नहीं, बल्कि किसानों और श्रमिकों पर भी आधारित है इसलिए उन्होंने जवानों और किसानों को समान दर्जा दिया। देश के जवानों व किसानों को अपने कर्म और निष्ठा के प्रति दृढ़ रहने तथा देश को खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से **'जयजवान, जय किसान'** का जोशीला नारा बुलंद किया। शास्त्रीजी ने अन्न की समस्या हल करने के लिए एक ओर कृषि अभियान शुरु किया तो दूसरी ओर सिंचाई की समस्या को हल करने के लिए घर–घर ट्यूबवेल का इंतजाम कराया। सरकार की ओर से किसानों को मुफ्त बीज बांटने की व्यवस्था सारे देश में शुरु की। नेहरूजी की हरित क्रांति व श्वेत क्रांति के कार्यक्रमों का विस्तार किया। देश में बनी चीजों को अधिक से अधिक उपयोग करने की लोगों से अपील की। देश की उन्नति तथा देश की ताकत व स्थिरता के लिए लोगों में एकता व एकजुटता स्थापित करने का प्रयास किया।

ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा एवं निर्भीता के दम पर विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश भारत के प्रधानमंत्री के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर शांत व सौम्य स्वभावी शास्त्रीजी ने प्रधानमंत्री के पद की मात्र 19 महीने की अवधि में न केवल अनेकानेक समस्याओं को सुलझाया, बल्कि बड़ी सरलता से देश का सफल नेतृत्व कर देश की प्रतिष्ठा में भी चार चाँद लगाए। लेकिन, 1965 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर घाटी को भारत से छीनने की साजिश को अंजाम देते हुए भारत की सरहदों में घुसपैठ करने की कोशिश की तब शास्त्रीजी का स्वभाव उग्र होकर दहक उठा। शास्त्रीजी के कुशल नेतृत्व ने पाक के नापाक इरादों को नाकाम कर दिया और उसे करारी शिकस्त दी। इस युद्ध में भारत की जीत शास्त्रीजी के धैर्य, सूझबूझ और साहस का ही कमाल थी। उनकी फौलादी इच्छा शक्ति ने भारत की सीमाओं की रक्षा की और अन्य देशों में भारत का गौरव बढ़ाया।

भारत–पाक युद्ध से भयभीत रूस के तत्कालीन प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसीगिन ने भारत–पाक के बीच शांतिपूर्ण संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से समझौते के एक नए प्रस्ताव के तहत रूस के एक नगर ताशकंद में शास्त्रीजी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति मोहम्मद अय्यूब खाँ को आमंत्रित किया। पूरे विश्व के लिए शांति और शांतिपूर्ण विकास में विश्वास रखनेवाले शास्त्रीजी ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। 8 दिनों तक लगातार विचार–विमर्श के बाद यह तय हुआ कि भारत और पाकिस्तान अपनी शक्तियों का प्रयोग एक दूसरे पर नहीं करेंगे और अपने विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से तय करेंगे। अंत में, ताशकंद घोषणा के रूप में दोनों देशों में युद्ध समाप्त करने की घोषणा की गई। इस घोषणा के 9 घंटे बाद, 11 जनवरी, 1966 को, शास्त्रीजी को दिल का दौरा पड़ा और युद्ध में विजय पाकर भी शत्रु की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाले शांति के महान दूत शास्त्रीजी सदा के लिए इस दुनियां को छोड़कर चले गए। गाँधी जी के सच्चे अनुयायी शास्त्रीजी अपने अंतिम समय तक शांति की स्थापना के लिए प्रयत्नशील रहे। शास्त्रीजी की सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत **'भारत रत्न'** से सम्मानित किया गया। युद्ध और शांति दोनो मोर्चों पर विजयश्री प्राप्त करनेवाले अमर बहादुर लालबहादुर शास्त्रीजी के स्मारक का नाम **'विजय घाट'** रखा गया।

आदर्शवादी देशभक्त – सरल राजनेता लालबहादुर शास्त्रीजी को श्रद्धापूर्ण शत्–शत् नमन।

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के जीवन के प्रेरक प्रसंग

प्रसंग 1

गाँधी जी देश भर में भ्रमण कर चरखा संघ के लिए धन इकठ्ठा कर रहे थे। अपने दौरे के दौरान वे ओडिशा में किसी सभा को संबोधित करने पहुंचे। उनके भाषण के बाद एक बूढ़ी गरीब महिला खड़ी हुई, उसके बाल सफेद हो चुके थे, कपड़े फटे हुए थे और वह कमर से झुक कर चल रही थी, किसी तरह वह भीड़ से होते हुए गाँधी जी के पास तक पहुँची। "मुझे गाँधी जी को देखना है," उसने आग्रह किया और उन तक पहुँच कर उनके पैर छुए। फिर उसने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधा एक ताम्बे का सिक्का निकाला और गाँधी जी के चरणों में रख दिया। गाँधी जी ने सावधानी से सिक्का उठाया और अपने पास रख लिया। उस समय चरखा संघ का कोष जमनालाल बजाज संभाल रहे थे. उन्होंने गाँधी जी से वो सिक्का माँगा, लेकिन गाँधी जी ने उसे देने से मना कर दिया।

"मैं चरखा संघ के लिए हजारों रुपए के चैक संभालता हूँ", जमनालाल जी ने हँसते हुए कहा" फिर भी आप मुझ पर इस सिक्के को लेकर यकीन नहीं कर रहे हैं"। "यह ताम्बे का सिक्का उन हजारों से कहीं कीमती है," गाँधी जी बोले।

"यदि किसी के पास लाखों हैं और वो हजार–दो हजार दे देता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सिक्का शायद उस औरत की कुल जमा–पूँजी थी। उसने अपना सारा धन दान दे दिया। कितनी उदारता दिखाई उसने, कितना बड़ा बलिदान दिया उसने!!! इसीलिए इस ताम्बे के सिक्के का मूल्य मेरे लिए अमूल्य है।''

प्रसंग 2

रात बहुत काली थी और मोहन डरा हुआ था। हमेशा से ही उसे भूतों से डर लगता था। वह जब भी अँधेरे में अकेला होता, उसे लगता कि कोई भूत उसके आस – पास है और कभी भी उस पर झपट पड़ेगा। फिर आज तो इतना अँधेरा था कि कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था और मोहन को तो दूसरे कमरे में जाना था।

वह हिम्मत करके कमरे से बाहर निकला, पर उसका दिल जोर–जोर से धड़क रहा था और चेहरे पर डर के भाव आ–जा रहे थे। घर में काम करने वाली रम्भा वहीं दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी।

"क्या हुआ बेटा?", उसने हँसते हुए पूछा।

"मुझे डर लग रहा है दाई," मोहन ने उत्तर दिया.

"डर, किस चीज का डर, बेटा?"

"देखिये कितना अँधेरा है! मुझे भूतों से डर लग रहा है!" मोहन सहमते हुए बोला।

रम्भा ने प्यार से मोहन का सर सहलाते हुए कहा, "जो कोई भी अँधेरे से डरता है उसे मैं यही कहती हूँ कि श्री राम जी के बारे में सोचो और कोई भूत तुम्हारे निकट आने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई तुम्हारे सर के बाल तक नहीं छू पायेगा। राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे।"

रम्भा के शब्दों ने मोहन को हिम्मत दी। राम नाम लेते हुए वो कमरे से निकला, और उस दिन से मोहन ने कभी खुद को अकेला नहीं समझा और न ही वह कभी भयभीत हुआ। उसका विश्वास था कि जब तक राम उसके साथ हैं, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं। इस विश्वास ने गाँधी जी को जीवन भर शक्ति दी, और मरते वक्त भी उनके मुख से राम नाम ही निकला।

हमारी राजभाषा हिंदी

शशि बाला ✶

स्वतन्त्रता के उपरान्त सरकारी कामकाज राजभाषा हिंदी में हो सके इसके लिए सविंधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक प्रावधान दिए गए हैं जिसमें समय–समय पर संशोधन भी हुए और राजभाषा अधिनियम व राजभाषा नियम बने परन्तु इतने नियमों/अधिनियमों के बावजूद भी राजभाषा हिंदी पूर्ण रूप से देश के सभी कार्यालयों की दैनिक सरकारी कामकाज की भाषा नहीं बन पा रही है। आज भी संघ सरकार के अधिकतर कर्मचारी अधिनियमों/नियमों की जानकारी न होने के कारण व हिंदी की कठिन शब्दावली की भ्रामकता के कारण हिंदी में कार्य करते समय सहज महसूस नहीं करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ यह कहना चाहूँगी कि कोई भी कार्य तब तक ही कठिन लगता है जब तक कि उसे शुरू न किया जाए। सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग भी कुछ ऐसा ही है। सभी कर्मचारी हिंदी में सहज रूप से कार्य कर सकें इसके लिए राजभाषा विभाग और उसके विभिन्न अधीनस्थ कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, शब्दावलियाँ, अनुवाद सुविधाएं, प्रोत्साहन योजनाएं इत्यादि उपलब्ध करा रहा है। आजकल तो कंप्यूटर में विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से हिंदी टाइपिंग न जानने वाले लोग भी आसानी से हिंदी में टाइप कर सकते हैं। आपकी सहजता के लिए राजभाषा हिंदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ नीचे प्रस्तुत कर रही हूँ ;

1 14 सितम्बर, 1949 को सविंधान सभा ने यह निर्णय लिया कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी। तभी से यह दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

2. हमारे सविंधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक भारत सरकार की राजभाषा हिंदी से संबंधित हैं।

3. अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी ही संघ की राजभाषा होगी तथा भारतीय अंको का अंतरराष्ट्रीय रूप ही मान्य होगा।

4. अनुच्छेद 351 में सरकार को निर्देश हैं कि वह हिंदी का प्रचार–प्रसार करे ताकि वह भारतीय संस्कृति के सभी तत्वों को अपने में समाहित कर सामासिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर सके।

5. राजभाषा अधिनियम 1963 बने तथा 1967 में इनमें संशोधन किए गए तदोपरान्त राजभाषा अधिनियम 1967 बना।

6. राजभाषा नियम 1976 में बनाए गए। इसमें कुल 12 नियम हैं। इसका प्रत्येक नियम महत्वपूर्ण है। नियम 12 के द्वारा प्रशासनिक प्रधान का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है।

7. सामान्यतः देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी एवं नेपाली भाषाएं लिखी जाती हैं।

8. संसदीय राजभाषा समिति एक उच्चस्तरीय समिति है जिसके अध्यक्ष गृहमंत्री हैं। यह समिति अपना प्रतिवेदन सीधे राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत करती है।

9. संघ में राजभाषा के क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख समितियाँ हैं–

समिति	अध्यक्ष
केन्द्रीय हिंदी समिति	प्रधानमंत्री
संसदीय राजभाषा समिति	गृहमंत्री
केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति	सचिव(राजभाषा)
हिंदी सलाहकार समिति	संबंधित मंत्रालय के मंत्री
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	नगर के वरिष्ठतम अधिकारी
विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति	कार्यालय प्रमुख

10. राजभाषा प्रयोग की दृष्टि से सम्पूर्ण भारत को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है–

✶ हिंदी अनुवादक, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

क क्षेत्र– बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, राजस्थान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली संघ राज्य

ख क्षेत्र – गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन एवं दीव तथा दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र

ग क्षेत्र– क्षेत्र क और ख में निर्दिष्ट राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों को छोड़कर

11. संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाएं–

1. असमिया, 2. उडिया, 3. उर्दू, 4. कन्नड, 5. कश्मीरी, 6. गुजराती, 7. तमिल, 8. तेलुगू, 9. पंजाबी, 10. बंगला, 11. मराठी, 12. मलयालम, 13. संस्कृत, 14. सिंधी, 15. हिंदी, 16. मणिपुरी, 17. नेपाली, 18. कोंकणी, 19. मैथिली, 20. संथाली, 21. बोडो, 22. डोगरी

राजभाषा हिंदी के सरल व सुलभ प्रयोग हेतु कुछ सुझाव–

1. सरल, स्पष्ट व आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करें।
2. सरकारी कामकाज की भाषा संक्षिप्त हो।
3. अर्थ–संप्रेषण के लिए दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी बेहिचक इस्तेमाल करें।
4. वाक्य रचना हिंदी की प्रकृति के अनुरूप होनी चाहिए जिससे अर्थ पूर्ण रूप से संप्रेषित हो।
5. औपचारिक और सभ्य भाषा का प्रयोग करें।
6. यूनिकोड में टाइप करें अथवा टाइप करवाएं जिससे आपकी लिखी सामग्री कहीं भी किसी भी कंप्यूटर में पठनीय हो।
7. अंग्रेजी में टाइपिंग जानने वाले भी हिंदी टाइपिंग टूल्स के माध्यम से हिंदी में लिख कर आसानी से अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकते हैं।
8. आजकल उपलब्ध यनिकोड इनकोडिंग, इंस्क्रिप्ट, रेमिन्गटन एवं फोनेटिक की–बोर्ड विकल्प, गूगल ट्रांसलेशन, गूगल हिंदी इनपुट, गूगल वाइस टाइपिंग इत्यादि के माध्यम से हिंदी में फेसबुक, व्हट्सऐप, तथा सर्च करने के लिए हिंदी में टाइप कर सकते हैं।

मैं आशा करती हूं कि उपरोक्त जानकारी व सुझावों के माध्यम से आप अपने विचारों तथा तथ्यों को सहजता से फाइलों तथा इंटरनेट पर प्रस्तुत कर सकें जिससे आपकी बात उच्च अधिकारियों तथा लोगों तक पूर्ण रूप से संप्रेषित हो। अंत में, मैं कहना चाहूंगी कि हिंदी हम सबकी भाषा है। इसका सम्मान देश का सम्मान है। इसके प्रयोग से हम सभी को आत्म–संतुष्टि, गौरव व देश–सेवा का अहसास होगा।

रचनाकार कृपया ध्यान दें

1. **कृपया प्रकाशनार्थ सामग्री या लेख निगमित कार्यालय के राजभाषा अनुभाग के ई–मेल: rajbhasha.cwc@gmail.com पर या डाक द्वारा भेजें।**
2. **लेख के साथ इस आशय की घोषणा होनी चाहिए कि यह लेख/रचना लेखक की मौलिक रचना है।**
3. **रचनाएं भेजते समय कृपया इस बात का ख्याल रखें वह स्तरीय हो तथा समाज, साहित्य एवं संस्कृति से जुड़ी हुई हों।**
4. **भण्डारण से संबंधित रचनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रकाशित रचनाओं पर पुरस्कार/मानदेय प्रदान किया जाता है।**
5. **आप अपनी रचनाएं निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं।**

प्रबंधक (राजभाषा), केन्द्रीय भण्डारण निगम, निगमित कार्यालय,
4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौजखास, नई दिल्ली–110016

निगमित कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस एवं वृक्षारोपण समारोह

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रीय गान करते हुए प्रबंध निदेशक एवं अन्य उच्च अधिकारीगण

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण करते हुए प्रबंध निदेशक

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल प्रबंध निदेशक एवं अन्य उच्च अधिकारीगण

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान उपस्थित प्रबंध निदेशक, उच्च अधिकारी एवं कर्मचारीगण

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पेंशन से संबधित मामलों के लिए "सिंगल विंडो" ऑनलाइन का उद्घाटन करते हुए प्रबंध निदेशक

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और केन्द्रीय भंडारण निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

निगम ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ दिनांक 22.07.2016 को वर्ष 2016–17 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सुश्री वृंदा सरूप, सचिव (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण) तथा श्री हरप्रीत सिंह, प्रबंध निदेशक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं निगम के निदेशक उपस्थित थे।

पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2015

इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मानव संसाधन प्रबंधन उत्कृष्टता के लिए मिनी रत्न श्रेणी में निगम को ''पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2015'' का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। निगम के प्रबंध निदेशक श्री हरप्रीत सिंह, निदेशक (वित्त), श्री वी.आर. गुप्ता एवं निदेशक (कार्मिक) श्री जे.एस. कौशल ने दिनांक 06.07.2016 को पुरस्कार प्राप्त किया।

''भंडारण भारती'' को पुरस्कार

निगम की त्रैमासिक पत्रिका ''भंडारण भारती'' को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली की दिनांक 27.07.2016 को आयोजित बैठक में वर्ष 2015–16 के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार स्कोप ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में आयोजित समारोह में निगम के निदेशक (कार्मिक) श्री जे.एस. कौशल ने संयुक्त सचिव (राजभाषा) डॉ. बिपिन बिहारी से प्राप्त किया।

निगमित कार्यालय में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला एवं भंडारण भारती पत्रिका का विमोचन

निगमित कार्यालय में प्रत्येक तिमाही में एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। इस तिमाही की कार्यशाला दिनांक 05.08.2016 को आयोजित की गई। इस अवसर पर निगम के प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (कार्मिक), निदेशक (एमसीपी) तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे। इस कार्यशाला के दौरान त्रैमासिक पत्रिका भंडारण भारती (अंक–61) का भी विमोचन किया गया। प्रबंध निदेशक महोदय सहित सभी उच्च अधिकारियों ने राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए।

खेल समाचार

राजीव विनायक ✶

निगम द्वारा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खेलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बैंडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। निगमित कार्यालय में इस वर्ष भी 15 अगस्त को ध्वजारोहण के बाद प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। इस प्रतियोगिता में निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया।

✶ खेल सचिव, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली

संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम (2016–17)

क्र. सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र		"ख" क्षेत्र		"ग" क्षेत्र	
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (तार बेतार टेलेक्स, फैक्स, आरेख, ई–मेल आदि सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	100% 100% 65% 100%	1. ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 2. ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 3. ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	90% 90% 55% 100%	1. ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 2. ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 3. ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	55% 55% 55% 85%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%		100%		100%	
3.	हिंदी में टिप्पण	75%		50%		30%	
4.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%		70%		40%	
5.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं एवं सहायक द्वारा)	65%		55%		30%	
6.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%		100%		100%	
7.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%		100%		100%	
8.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर, पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात हिंदी–ई–पुस्तक, सीडी/डीवीडी, पेनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर खर्च की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों आदि को खरीदकर किया गया व्यय	50%		50%		50%	
9.	कम्प्यूटर सहित सभी प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद	100%		100%		100%	
10.	वेबसाइट	100% (द्विभाषी)		100% (द्विभाषी)		100% (द्विभाषी)	
11.	नागरिक चार्टर तथा जन–सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन	100% (द्विभाषी)		100% (द्विभाषी)		100% (द्विभाषी)	
12.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./नि./सं./स.) द्वारा अपने मुख्यालय के बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	25% (न्यूनतम)		25% (न्यूनतम)		25% (न्यूनतम)	
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)		25% (न्यूनतम)		25% (न्यूनतम)	
	(iii) विदेश में स्थित केन्द्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण			वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण			
13.	राजभाषा संबंधी बैठकें						
	(क) हिंदी सलाहकार समिति	वर्ष में 02 बैठकें (न्यूनतम)					
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 02 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)					
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति	वर्ष में 04 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)					
14.	कोड, मैनुअल, फार्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%					
15.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंको उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां सारा कार्य हिंदी में हो	40% (क क्षेत्र) (न्यूनतम अनुभाग)		30% (ख क्षेत्र) (न्यूनतम अनुभाग)		20% (ग क्षेत्र) (न्यूनतम अनुभाग)	
		सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं हो 'क' क्षेत्र में कुल कार्यक्षेत्र का 40% 'ख' क्षेत्र में 25% 'ग' क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाय।					

एक दिन हिन्दी एशिया ही नहीं, विश्व की पंचायत में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी ।

– गणेश शंकर विद्यार्थी

हिन्दी में अखिल भारतीय भाषा बनने की क्षमता है।

– राजा राममोहन राय

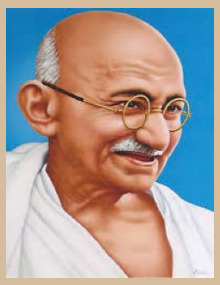

राष्ट्रीय व्यवहार में हिन्दी को काम में लाना देश की उन्नति के लिए आवश्यक है।

– महात्मा गांधी

अगर हम साधारण बुद्धि से काम लें, तब हमें पता चलेगा कि हमारी कौमी जबान हिन्दी ही हो सकती है ।

– सरोजनी नायडू

हिंदी का प्रचार और विकास कोई रोक नहीं सकता

– पंडित गोविंद बल्लभ पंत

केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

4/1, सीरी इंस्टीच्यूशनल एरिया,

अगस्त क्रान्ति मार्ग, हौज खास,

नई दिल्ली–110016